(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्ठम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

शुक्रवार,

9 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री भंवरलाल शर्मा ।

प्रशासनिक सेवाओं एवं न्यायिक सेवाओं की वेतन शृंखला में असमानता

61. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की वर्तमान में तीन वेतन शृंखलाएं हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी शृंखलाएं हैं तथा किस किस वेतन शृंखला में कितने कितने अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान न्यायिक सेवा की भी तीन वेतन शृंखलाएं हैं ? क्या प्रशासनिक सेवाओं एवं न्यायिक सेवाओं की वेतन शृंखलाओं में असमानता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त असमानता को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वर्तमान में तीन वेतन शृंखलाएं हैं, चयन वेतन शृंखला, वरिष्ठ वेतन शृंखला, एवं साधारण वेतन शृंखला । प्रत्येक वेतन शृंखला में कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	वेतन शृंखला का नाम	वेतनमान	कार्यरत अधिकारियों की संख्या
(1)	चयन वेतन शृंखला	1550 — 1900	97
(2)	वरिष्ठ वेतन शृंखला	1150 — 1650	138
(3)	साधारण वेतन शृंखला	750 — 1350	234

Page No 2

(2)

(श्री आदित्येंद्र)

(2) राजस्थान न्यायिक सेवा की वर्तमान में वेतन शृंखलाएं निम्न प्रकार है :—

क्रम	वेतन शृंखला का नाम	वेतनमान
(1)	मुख्य न्यायिक दण्ड नायक	1250 — 1700
(2)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश	1150 — 1650
(3)	सिविल न्यायाधीश	930 — 1500
(4)	मुन्सिफ	750 — 1350

जी हां, इन दोनों सेवाओं के संवर्ग का गठन, कार्यकलाप एवं कार्य का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। अतः इनकी पारस्परिक तुलना करना उचित नहीं है।

(3) जी नहीं। इन दोनों सेवाओं में नियुक्ति के लिए भिन्न भिन्न शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं और कार्यकलाप व कार्य के स्वरूप में भिन्नता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वेतन शृंखलाओं में जो असमानता है, क्या उसको बराबर करने का विचार है?

श्री आदित्येन्द्र : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या यह सही है कि 1968 में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजस्थान की हायर सर्विसेज की वेतन शृंखला आई. ए. एस. के बराबर कर दी जाएगी? 1-1-73 को आई. ए. एस. का पे-स्केल रिवाइज कर दिया गया है तो क्या आई. ए. एस. की वेतन शृंखला के समान ही हायर सर्विसेज की वेतन शृंखला करने का राज्य सरकार का विचार है?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी की जाएगी कि किस प्रकार का आश्वासन सरकार ने दिया था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आश्वासन नहीं, निर्णय था। यदि यह सही है तो सरकार उसे लागू करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर वह निर्णय था तो सरकार को लागू करना चाहिए था। सरकार ने लागू नहीं किया इसका मतलब है कि वह निर्णय नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : आर. ए. एस. और आर. जे. एस. में वेतन का अन्तर करने का लॉजिक क्या है? आर. ए. एस. बी. ए. होते हैं जब कि आर. जे. एस. बी. ए., एलएल. बी. होते हैं। यह अन्तर क्यों है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपको अच्छे मुन्सिफ नहीं मिलते हैं, इसका कारण यह है कि जो अच्छे वकील और कानून जानने वाले हैं, वह इस वेतन पर आना पसन्द नहीं करते हैं। इसीलिए जनता को सस्ता और सुगम न्याय नहीं मिल पाता

(श्री मूलचन्द डागा)

है। आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कृपा करें जिससे कि अच्छे मुन्सिफ और जज मिल सकें।

एक माननीय सदस्य : प्रशासनिक सेवाओं और न्यायिक सेवाओं की वेतन शृंखला में इस प्रकार का अन्तर नहीं करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : न्यायिक क्षेत्र में उनको महत्वपूर्ण सेवाएं करनी पड़ती हैं; इसके बावजूद अन्तर क्यों है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है तो वह कृपया जानकारी कर लें। यदि यह सही है तो उसको लागू करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री ईश्वरचन्द्र : आर. ए. एस. की वेतन शृंखला को यदि आपने बढ़ाया है तो आर. जे. एस. की भी बढ़ानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। सरकार की ओर से उत्तर आ चुका है। और जानकारी करना चाहते हैं तो मुख्य मन्त्री जी से मिलकर जानकारी कर सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़): न्यायिक सेवा में काम करने वाले और प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले एक जैसी योग्यता के आदमी होते हैं। उनमें से एक को कम पैसे मिलें, यह उचित नहीं है। इसके बारे में जनता सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जो न्याय करते हैं, उनका महत्व ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सरकार को उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): राणावत कमीशन नियुक्त हुआ था। उसकी रिपोर्ट में जो प्रशासनिक अधिकारियों की वेतन शृंखला है वह आप न्यायिक अधिकारियों को देना नहीं चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके नेता जवाब दे रहे हैं, आप फिर भी खड़े हो रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप इस प्रकार से आर. जे. एस. के साथ अन्याय कर रहे हैं। बहुत बड़ा अन्तर है आर. एच. जे. एस. व आइ. ए. एस. की वेतन शृंखला में। आइ. ए. एस. के अधिकारियों ने साजिश करके डी. ए. कम करवा दिया है। आर. एच. जे. एस. को डी. ए. नहीं मिलता है। यह अन्तर तुरन्त समाप्त होना जरूरी है।

मेजर श्री फतेह सिंह (भीम) : क्या यह बात सही है कि जिस दिन आर. जे. एस. के रिवाइज्ड वेतनमान की घोषणा की गई थी उस समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की चुनाव याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन थी ? क्या यह बात भी सही है कि राणावत आयोग की नियुक्ति के बाद और उसकी रिपोर्ट आने के पूर्व ही आर. जे. एस. के नये वेतनमानों की घोषणा कर दी गई थी?

श्री मूलचन्द डागा : इससे क्या फर्क पड़ता है ? इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सन् 1968 में सरकार ने किस प्रकार की घोषणा की, मैंने पहले ही बता दिया है, इस समय मुझे उसकी जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो भी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको देखते हुए जो उचित निर्णय होगा वह मैं देख कर लेने की कार्यवाही करूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : सन् 1967 से पहले इनके वेतनमान एक जैसे थे। उसके बाद आर. ए. एस. के बढ़ा दिये गये और उनके नहीं बढ़ाये गये। उनको नुकसान दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है कि नुकसान दिया तो किसने दिया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती उजला अरोड़ा।

जलमहल के इर्द गिर्द एकत्रित पानी

62. श्रीमती उजला अरोड़ा (ग्रामीण जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-आमेर रोड पर स्थित जलमहल के क्षेत्र में वर्षों से बरसात का व जयपुर शहर के गटर का पानी एकत्रित होता है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में बरसात के जल के साथ आई मिट्टी को कभी साफ कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जल महल क्षेत्र में बरसात के पानी के साथ आयी मिट्टी के इस क्षेत्र में जमा हो जाने से इस बांध के पानी के भराव में कमी आयी है और इस कारण ही पानी इस क्षेत्र के ऊपर पहुंच जाता है जिससे दिल्ली-जयपुर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में खुदाई आदि कराने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में प्रति वर्ष होने वाली इस प्रकार की कठिनाई का उचित प्रबन्ध करने का कब तक विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

बांधों के पेटे से कभी भी मिट्टी निकाली नहीं जाती है। यह कार्य अत्यधिक व्यय का एवं अप्रायोगिक (इनटेक्निकल) होता है।

(3) जी नहीं।

मानसागर बांध के पेटे में स्थित जल-महल क्षेत्र में वर्षा के पानी के साथ आई मिट्टी जमा होने के कारण बांध की भराव-क्षमता में विशेष कमी हुई प्रतीत नहीं होती है। जयपुर-दिल्ली मार्ग का इस क्षेत्र में न्यूनतम तल बांध के पूर्ण भराव के स्तर के बराबर है। अतः इस स्तर से पानी ऊंचा बढ़ जाना ही इस मार्ग के अवरुद्ध होने का कारण है। अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बांध में अत्यधिक भराव हो जाता है। बांध से पानी के निकास हेतु कोई वेस्ट वीयर बना हुआ नहीं है, केवल मोरियां हैं जिनसे बहुत सीमित मात्रा में ही पानी का निकास सम्भव होता है।

(श्री सम्पत राम)

बांधों के पेटे से मिट्टी खुदाने का कार्य अप्रायोगिक एवं अत्यधिक खर्चीला होता है व सामान्यतः किसी भी बांध पर नहीं कराया जाता।

मानसागर बांध के जल की निकास क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य अभी विचाराधीन है।

(4) मानसागर बांध से जल की निकासी की क्षमता बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल अपर्याप्त और अमानवीय है। माननीय कृषि मन्त्री जी मेरे साथ गये थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अमानवीय?

श्री मूलचन्द डागा : असन्तोषजनक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिल्कुल अमानवीय! अध्यक्ष महोदय, जब इस बांध की मोरियां खोलने का प्रश्न आया तो सिंचाई मन्त्री महोदय मेरे साथ गये थे। चारों ओर का पानी वहां इकट्ठा हो गया था और भायलीबा, खुराला, मीयाली, झलराभांडों का नाला, गूण्डाला, जोगियों की ढाणी, कीलनगगढ़, गुजरगढ़ घाटी, काला महादेव, बालाजी की घाटी, कागजीवाड़ा, छीपीवाड़ा, परसराम द्वारा, फकीरों की डूंगरी इन सारे गांवों के लोगों को पानी ने तबाह कर दिया उनके रास्ते रुक गये। बेचारे छोटे 2 बच्चों को लेकर इधर से उधर जा रहे थे। कई बीमार हो गये और कइयों की मृत्यु हो गई। वहां पर मेरे साथ में तहसीलदार जयपुर और तहसीलदार रामगढ़ भी गये थे। उन्होंने वहां जांच की। इतने वहां पर अमानवीय कार्य हुए हैं और मन्त्री महोदय यह कह कर कि मिट्टी निकालने का प्रश्न विचाराधीन है, इस प्रश्न को टाल रहे हैं। इस तरह से वहां पर गांव के लोगों को दो-दो माह तक गांवों में बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण कर रही हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भाषण नहीं दे रही हूं, अध्यक्ष महोदय, लोग दुखी हैं। दो-दो महीने तक गांव के लोगों के रास्ते पानी से रोकना कहां तक ठीक है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : दुबारा भाषण शुरू हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दिल्ली का रास्ता रुक जाता है। गांव के लोग कहीं आ-जा नहीं सकते। जयपुर का सारा गन्दा पानी गांवों में फैलता है। इससे वहां पर बीमारियां बढ़ती हैं। इस पानी को रोकने का प्रयत्न करने के बजाय सिंचाई मन्त्री जी ने बहुत ही हृदयहीनता से उत्तर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह इनका दर्द है, इसे मिटाना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह दर्द मेरा ही नहीं सैकड़ों ग्रामवासियों का है। इस तरह से ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। जलमहल का जो पानी है उसको विकास के काम में लाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं दें, केवल प्रश्न पूछें। पानी क्यों इकट्ठा होता है, कारण बतायें, इत्यादि इत्यादि।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मन्त्रीजी को बता सकती हूं कि वहां पर इससे कितना नुकसान हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप; माननीय मन्त्रीजी जवाब दीजिये। बार बार माननीय सदस्या कह रही हैं। आप परेशान क्यों करते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाहती हूं कि....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय, आप जवाब दीजिये। आप मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एच. एल. शर्मा (बेगूं): हम सक्षम हैं, हम जवाब ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: You should concede to the hon. lady member.

श्री प्रद्युम्न सिंह: The Minister is not caring to reply.

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या, अब बहुत हो गया है। आपने पर्याप्त जानकारी दे दी है। मन्त्री महोदय का उत्तर आने दीजिये।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न इतना सा था कि अधिक वर्षा होने के कारण इस जलमहल नामक डैम में पानी काफी भर गया था और जयपुर-दिल्ली का रास्ता बन्द हो गया था। इस पानी को निकालने के लिए यह आवश्यक था कि बान्ध की मोरियां खोली जायं। इसलिए उसकी मोरियां खोली गई। मेरा ऐसा ख्याल है, उस बांध की मोरियां खोलने से कोई विशेष नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मोरियां टेक्निकली अप्रूव्ड है आम तौर से जो सिंचाई का नाला बना हुआ है उसी के रास्ते से पानी गया था। पानी का लेवल 117 फीट का है और सड़क का भी यही लेवल है। अब भी काफी पानी है। 145 गेज तक पानी जा सकता है। आम तौर से मिट्टी भरती है तो उसको नहीं निकालते हैं। बल्कि उसकी वाल को ऊंचा किया जाता है, दूसरी बात यह भी है कि गांवों की समृद्धि के लिए सारे पानी को नहीं निकाला जाता, उतने पानी को निकालते हैं जिस हद तक कि उससे रास्ता अवरुद्ध नहीं होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी ने कोई नुकसान नहीं किया क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल जयपुर-दिल्ली मार्ग वाला ही उत्तर दिया गया है। गांवों में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है, यह जानबूझ कर छिपाया जा रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। जब 10-15 गांवों के आस-पास से होकर पानी निकलता है; तो नहर क्यों नहीं बना दी जाती ? 15-20 गांवों को इतनी परेशानी होती है तो क्या मन्त्री महोदय जवाब देंगे कि भविष्य में उस पानी को बंधवा देंगे ? इससे उनका क्या बिगड़ जायगा।

Page No 7

(7)

श्री अध्यक्ष : यह तो सुझाव है, प्रश्न नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य, उन गांवों के नाम बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बता रही हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : आप जयपुर से आई हैं, आप बता रही हैं,।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन गांवों को मैं भी जानता हूं। उन गांवों को जल-महल के पानी से कोई नुकसान हुआ हो, यह मैं पाव भी मानने को तैयार नहीं हूं। जल-महल से पानी निकालने के लिए जो मोरियां बनी हुई हैं, उनके लिये मेरी मान्यता है कि वह छोटी हैं। हम उनको बड़ा करना चाहते हैं। पानी निकालने के रास्ते में अगर कोई गांव आता है तो उस बात को एग्जामिन कर लेंगे। अगर गांव से निकालने के बजाय और कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो गांव वालों को किसी दूसरे स्थान पर बसाने की कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

सरपंचों एवं प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

63. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने सरपंच और प्रधान पिछले काल में थे जिनके खिलाफ आडिट रिपोर्ट्स के आधार पर या अन्य तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप प्राइमा फेसी साबित हो चुके थे? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उन प्रधानों और सरपंचों, जिनके खिलाफ यह साबित है कि उन्होंने सरकारी रकम का मिसएप्रोप्रियेशन किया है या गबन किया है या रकम अपने लाभ के लिये काम में ले ली है, के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 तथा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है एवं की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, आपने जो जवाब दिया है, उसमें 550 ऐसे पंच हैं, 550 ऐसे नगीने हैं, और 18 प्रधान हैं, जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी केसेज थे। मैंने वर्ड 'प्राइमा फेसी' काम में लिया है। प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश है तो उनके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टीगेशन क्यों नहीं कराते ?

एक माननीय सदस्य : कौनसी पार्टी के हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : वह जनता पार्टी के नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल) : आपकी पार्टी के हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश होने के बाद फाइनल इन्क्वायरी की जाती है नियमानुसार। उसका निर्णय देखने के बाद ही राज्य सरकार सरपंच अथवा पंच को सुनने के बाद फैसला देती है। अगर आवश्यक होता है और भारत दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई अपराध पाया जाता है, तो पुलिस की कार्यवाही भी की जाती है और की जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, अगर प्राइमा फेसी केश साबित हो जाता है तो दफा 408 और 409 के अंतर्गत आपको केस रोकना नहीं चाहिये। मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायत अधिनियम के अंतर्गत बने रूल्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर मिसएप्रोप्रिएशन साबित होता है तो आप जानबूझकर शासकीय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि आप फाइनल इन्क्वायरी करें। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि इस तरह के जो भी मामले मेरे सामने आये हैं और प्राइमा फेसी मिसएप्रोप्रिएशन का केस बना है तो मैंने उन पर आदेश दिये हैं। लेकिन पहले जो दस-दस साल तक प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश होने के बावजूद जो फाइलें दबाई हुई थीं वे भी मैंने पुनः निरीक्षण के लिये मंगवायी हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपके काम से बहुत सन्तुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री गिरधारी लाल भार्गव।

जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था

64. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशन पोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था (सी. टी. एस. बस सर्विस, टैम्पों आदि व्यवस्था) सन्तोषजनक नहीं है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सुधार के लिये राज्य सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है ?

यातायात मंत्री (श्री केदार नाथ) : (1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 20-8-77 को इस सम्बन्ध में बैठक हुई थी जिसमें जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर विचार किया गया था तथा दो समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार एक उच्चस्तरीय समिति नीति निर्धारण करेगी और दूसरी समिति क्रियान्विति करेगी। इसके अलावा, अतिरिक्त सेवायें चलाने का प्रश्न भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विचाराधीन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ रही है। मै मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह उनके नोटिस में है कि जयपुर शहर में जो बस चल रही हैं वह अपर्याप्त है। इसके अलावा बाहर की जो बस्तियां है उनके लिये भी बसेज की समुचित व्यवस्था नहीं है। निर्धारित समय पर भी बसेज नहीं चलतीं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूसरा मैंने टेम्पोज के बारे में पूछा है। माननीय मंत्री महोदय की निगाह में है कि जयपुर शहर में पहले जहां टेम्पो चलते थे, वहां अब न चल कर चांदपोल बाजार रूट, जो एक कन्जस्टेड रूट है, पर चलते हैं, जिससे अव्यवस्था होती है और एक्सीडेन्ट्स होने की भी सम्भावना होती है। लोगों में यह चर्चा है कि जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं।

श्री केदारनाथ : ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तभी तो जवाब दिया, 'जी हां' ठीक नहीं है। ठीक करने के लिये 20-8-77 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एम. एल. एज. को भी आमंत्रित किया गया था। माननीय सदस्य कहीं और व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। उस बैठक में बसेज के टाईमिंग के बारे में, मूवमेंट को रेग्युलेट करने के बारे में, नम्बर बढ़ाने के बारे में, किराये के बारे में और टेम्पोज के बारे में विचार करके निर्णय लिये गये। इस वक्त शहर में 65 बसेज चलती हैं, उनका नम्बर बढ़ाने के लिये और टेम्पोज को शहर के बाहर चलाने के बारे में भी विचार करके फैसले किये गये। फुटपाथ पर से एनक्रोचमेंट्स हटाने के लिये भी फैसला किया गया। अब अगली बैठक 22 तारीख को बुलाई गई है। माननीय सदस्य उसमें अवश्य पधारें और इसका हल निकालने में सहायता करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गंगाराम चौधरी।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बस कर्मचारियों की...... ......

श्री अध्यक्ष : अब बस, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : यह यातायात के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगाराम चौधरी।

तुर्बी खड़ीन की जल प्रदाय योजना

65. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तुर्बी खडीन जल योजना पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक भाचसर और खडीन ग्रामों को पानी क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है?

(2) इन ग्रामों को नियमित रूप से कब तक जल उपलब्ध होने लगेगा?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां, योजना का जल स्रोत गिराब के एक नलकूप पम्प गिर जाने के कारण गत लगभग एक माह से इन ग्रामों में जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

(2) नलकूप में से पम्प निकालने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। पम्प निकलते ही जल वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : कब तक प्रारम्भ हो जायगा?

श्री महबूब अली। ज्यों ही पम्प निकाला जायेगा, त्यों ही।

Page No 10

(10)

श्री गंगाराम चौधरी : कुछ समय बता सकते हैं क्या ?

श्री महबूब अली : जल्दी से जल्दी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नवरंग सिंह।

विद्युत मण्डल के काम में आने योग्य ट्रांसफार्मर्स

66. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास ऐसे ट्रांसफार्मर्स पड़े हैं जो ठीक करके काम में लिये जा सकते हैं ? अगर हां, तो कुल कितने व कितनी रकम के हैं ? कुल कितने व कितनी रकम के ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सकते ?

(2) राजस्थान विद्युत मण्डल का कुल रेवेन्यू कितना है ? एस्टेब्लिशमेंट व एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका कितने प्रतिशत खर्च होता है ? अगर यह मान्य सिद्धान्तों से ऊपर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ? क्या इसके समायोजन की कोई योजना है ?

(3) राजस्थान विद्युत मण्डल के पास विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी बिजली उपलब्ध है ? एच. टी. व एल. टी. लाइनों में अलग अलग कितने प्रतिशत लाइन लासेज हैं ? क्या लासेज को घटाने के लिये बोर्ड ने कोई प्रयत्न किया है ? अगर नहीं, तो क्या योजना है ?

(4) आर. ए. पी. पी कोटा अब तक कितनी बार कितने समय के लिए बन्द किया जा चुका है ? इसके क्या कारण थे ? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें। क्या राज्य सरकार इसके लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर इसको बार-बार बन्द होने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या सरकार का विद्युत मण्डल को पुनर्गठित करने का इरादा है ? अगर हां, तो सरकार उपभोक्ताओं के संगठन के मापक्रम में क्या उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान करेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री सम्पत राम) : (1) जी हां। मार्च 1977 तक करीब 2000 ट्रान्सफार्मर खराब थे जिनकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ की है। इनमें से अधिकांश ट्रान्सफार्मर आवश्यक मरम्मत के बाद ठीक किये जा सकेंगे। बिल्कुल ठीक न होने वाले ट्रान्सफार्मर कितने रहेंगे इसका अनुमान उन्हें खुलवाने के बाद ही लगाया जा सकता है। सम्भवतः ऐसे ट्रान्सफार्मर्स की संख्या $\frac{1}{4}$ से ज्यादा नहीं होगी।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कुल रेवेन्यू वर्ष 1976-77 के अनअंकेक्षित हिसाब से 59.9576 करोड़ है। एस्टेब्लिशमेंट एवं एडमिनिस्ट्रेशन पर करीब 18 प्रतिशत व्यय हुआ है। इस प्रकार के खर्च का कोई नार्म प्रचलित नहीं है। इस सम्बन्ध में यथासम्भव मितव्ययता बरती जाती है।

(3) आजकल मण्डल को विभिन्न स्रोतों से राज्य के हिस्से के अनुसार करीब 66.00 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली मिल रही है। एच. टी. एवं एल. टी. लाइनों में लाइन लासेज का अलग अलग ब्योरा देना सम्भव नहीं है। वर्ष 1976-77 में यह लासेज 24.53 प्रतिशत रहे। लाइन लासेज

(श्री सम्पत राम)

को कम करने के लिए मण्डल बराबर प्रयत्न कर रहा है। इस सम्बन्ध में पावर कनेक्शनों पर एल. टी. कैपेसिटर लगाना अनिवार्य किया गया है। उच्च प्रसारण एवं उप प्रसारण लाइनों की क्षमता में भी वृद्धि की गई है व कई नये 33/11 के. वी. के सब-स्टेशन भी बनाये गये हैं। बिजली की चोरी को पकड़ने हेतु केन्द्रीय एवं वृत्त स्तर पर सतर्कता दस्तों का गठन भी किया गया है।

(4) वर्ष 1973-74 से 1977-78 राजस्थान अणुशक्ति विद्युत गृह 173 बार बन्द हुआ। प्रत्येक वर्ष में जितने घण्टे उत्पादन बन्द रहा उसकी सूचना संलग्न है। राज्य सरकार व मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर केन्द्रीय सरकार व अणु शक्ति आयोग से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करते रहे हैं। अणुशक्ति घर बन्द होने का मुख्य कारण अणुशक्ति स्टेशन पर होने वाले व्यवधान हैं। कभी कभी उच्च प्रसारण लाइनों व अन्य उत्पादक केन्द्रों, जो इस केन्द्र से जुड़े हैं, में भी फाल्ट्स होने के कारण अणुशक्ति बिजली घर बन्द होता है।

(5) इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 5 के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विधिवत गठन हुआ है। राजस्थान राज्य विद्युत परामर्श-दात्री समिति में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व पहले से ही है। इसके अलावा सरकार द्वारा स्थानीय सलाहकार समितियों का भी गठन किया गया है जिसमें जिला उद्योग एसोसियेशन के प्रतिनिधि हैं तथा कृषि निदेशक भी उसके सदस्य हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आर. ए. पी. पी. कोटा जो बार बार बन्द हो रहा है उसके क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार कोई दूसरा अणुगृह बनाने का विचार रखती है जिससे कि जनता को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल सके? इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यह जो अणुगृह बार बार बन्द होता है उसके लिए कौन दोषी अधिकारी हैं? सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्यवाही करने जा रही है? आज जिन अधिकारियों के कारण अणुगृह में गड़बड़ी होने से बार बार ट्रान्सफार्मर्स खराब हो रहे हैं। राज्य सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही क्यों नहीं करती है?

इसके अलावा आज बिजली मण्डल में 18 प्रतिशत प्रशासनिक खर्चा है जिसके कारण वह घाटे में जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य विद्युत मण्डल में इस प्रशासनिक खर्चे को मीट आउट करने के लिए 13 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर में बढ़ा दिये हैं। आज 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर कर दिये जाने के बावजूद विद्युत बोर्ड घाटे में जा रहा है। तो क्या राज्य सरकार विद्युत बोर्ड के प्रशासनिक खर्चे में कमी करने का विचार रखती है?

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, यह कोटा का जो अणुगृह है वह स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, यह सेन्टर के अण्डर व कन्ट्रोल में आता है। चूंकि यह विषय सेन्टर का है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। उसके अधिकारी भी सेन्ट्रल

(श्री सम्पत राम)

गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। जब जब यह बन्द हो जाता है या हुआ है तो राज्य सरकार को उससे नुकसान ही होता है चूंकि राज्य सरकार उस अणुगृह से पावर खरीदती है। जब वहां से बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो हमने एक बार नहीं अपितु कई बार केन्द्रीय मिनिस्टर साहब के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर उसको जल्दी ठीक करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि वह जल्दी ही ठीक हो जायेगा। दूसरे अणु पावर के बारे में भी यह निवेदन है कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं की है। इसके अलावा अणु बिजली घर में यह बात है कि एक जगह जब फाल्ट होती है तो फिर वह फाल्ट ट्रान्समिट होता हुआ दूसरी जगह चला जाता है। फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह वह फाल्ट चलता रहता है यानि एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे से वह फाल्ट तीसरे स्टेट तक चला जाता है। फिर एक जगह ही गड़बड़ न होकर कन्सर्निंग स्टेट की बाउन्ड्री में जाता रहता है जब वह फाल्ट ठीक हो जाता है तो लाइन ठीक काम करने लग जाती है।

श्री जगमराज मेहता (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में जो 50 ट्रान्सफार्मर हैं पिछले तीन-चार साल से खराब पड़े हुए हैं। उन्हें ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। ट्रांसफोर्मर्स नहीं होने की वजह से उद्योगों को पावर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि क्या राज्य सरकार प्रशासनिक खर्चे को घटाने के लिए कोई विचार कर रही है जिससे कि विद्युत बोर्ड के घाटे में कोई कमी आये ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आज भी राजस्थान में कोटा और दूसरी जगहों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को बहुत ही कम पैसे में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है जिसके कारण विद्युत बोर्ड को बहुत भारी घाटा हो रहा है ? इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इस प्रकार की सस्ती बिजली, कम पैसों में राजस्थान में पूंजीपतियों को उपलब्ध कराने के कारण फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन ने यह लिखा था कि राजस्थान में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत कम पैसों में बिजली उपलब्ध करायी जाती है जो कि गलत है ? तो क्या अब यह जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो सस्ती बिजली दी जाती है उसको कैंसल करके जो बिजली बोर्ड में घाटा हो रहा है उसमें कमी करने का विचार रखती है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि सुझाव दिया है कि प्रशासनिक खर्चे में कमी की जानी चाहिए, यह बात मानी जानी चाहिये। लेकिन जब हम एक तरफ प्रशासनिक खर्चे में कमी करते हैं और दूसरी तरफ आप बिजली के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो क्या इससे बिजली के विकास में दिक्कत नहीं आयेगी ?

(श्री सम्पत राम)

अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों को सस्ती बिजली दी है और इस तरह उनको फेवर किया है। मैं समझता हूं कि उनके कहने का कारण या दृष्टिकोण कोई दूसरा होगा। अभी की सरकार के बारे में नहीं होगा क्योंकि पुरानी सरकार ने कम पैसों में सस्ती बिजली उनको दी थी। इसके अलावा जो सस्ती बिजली दी थी उसका ध्येय तो राज्य में इन्डस्ट्रीज का विकास करना रहा होगा। अगर उनको हम केन्सल करते हैं तो हमारे यहां पर औद्योगिक विकास में कमी होगी। कल भी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल विकास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अपने प्रान्त के औद्योगिक विकास के लिये कन्सेशन्स देना पड़ता है। जहां तक सवाल पूंजीपतियों को या मालदार लोगों को कन्सेशन देने का है तो मेरी सरकार पूंजीपतियों को या मालदार लोगों को कन्सेशन देने के पक्ष में नहीं है। सरकार का यह रवैया नहीं है अब कि धन के मालिकों को रियायतें दे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि कोटा में बड़े उद्योगपति लाला चरत राम भरतराम, जो कि डी० सी० एम० के मालिक हैं व हिन्दुस्तान के पून्जीपतियों में चौथे नम्बर के पून्जीपति हैं, को आपने पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली दी है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इतना सस्ती बिजली इतने बड़े पून्जीपति को दी जिससे उन्होंने करोड़ों रुपये का लाभ उठाया है। उन्हें इससे 225 लाख रुपये का लाभ मिल रहा है और यह लगातार 13 साल से चल रहा है। तो क्या राज्य सरकार अब उन्हें यह सस्ती बिजली देना बन्द करेगी और किसी दूसरी कम्पनी को और उद्योग लगाने के लिए सस्ती बिजली देकर प्रोत्साहित करेगी ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से एक प्रश्न है। जैसा कि उन्होंने बताया 24.53 लाख रुपये के लॉसेज हुए सन् 66-67 में, यह किस कारण से हुए ? दूसरे क्या यह बात सही है कि अगर एक पर्सेंट लाइन लोस को कम किया जाय तो करीब 50 लाख रुपये की लोस में कमी हो जाती है ? इसके अलावा आज जो दूसरी स्टेट्स में लाइन लोसेज होते हैं उनके मुकाबले, आल इण्डिया बेसिस पर राजस्थान का लाइन लोसेज में कौनसा स्थान है ? राजस्थान उन स्टेट्स के मुकाबले कहां स्टेन्ड करता है ? क्या राज्य सरकार एक पर्सेंट लाइन लोस भी अगर बचा पाती है तो 50 लाख, 60 लाख रुपये का लोस बचा सकती है ? इसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मैं समझता हूं कि अगर आप इन लाइन लोसेज को कम कर सकते हैं तो आप बिजली बोर्ड के घाटे में काफी मात्रा में कमी कर सकते हैं। अगर वह घाटा कम हो जाय तो आपको आज जो बार-बार घाटे की वजह से रेट्स रिवाइज करके रेट्स घटानी बढ़ानी-पड़ती है वह नहीं बढ़ानी पड़ेगी।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, कोटा के उद्योगों को सस्ती बिजली देने के बारे में हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी जब विपक्ष में बैठते थे तब उन्होंने कई बार यहां पर आलोचना पुरानी सरकार की की थी, वह शायद उन्हें याद होगी। तो क्या जो सस्ती बिजली कोटा में उद्योगपतियों को दी गई थी उसको अब केन्सल करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मैंने मुख्य मन्त्री पद सम्भाला उसके कुछ दिन बाद मैंने उस फाइल को मंगाकर देखा तो मुझे उस फाइल को देखने से ऐसा पता पड़ा कि जिन मुद्दों पर कोटा में उद्योगपतियों को उद्योगों के लिये सस्ती बिजली दी गई है उनको केन्सल करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने ऐसे कानूनी आधार बना दिये हैं कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भी करूं तो वह कानूनी स्टे ला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : धिक्कार है!

कई माननीय सदस्य : धिक्कार है!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री कानून की आड़ लेकर कहते हैं....

(व्यवधान)

उस कानून को बदल दें।

श्री एच. एन. शर्मा : हर प्रश्न पर हल्ला मचाने का ही इनका काम है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब वे दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं?

श्री शंकरलाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी उस वक्त कहते थे कि यह हो रहा है और आज कानून के सिकंजे की बात कह रहे हैं। आप सदन की कमेटी बैठाइये या यह कहिये कि जो उस वक्त आपने चार्जेज लगाये थे वे गलत थे। कानून तो वह का वह ही है। आज यह कह रहे हैं कि कानून के सिकंजे में हैं और ठीक हो रहा है। आप कमेटी बिठाइये। आपने खुद ने लम्बी चौड़ी बातें जोरदार शब्दों में कही हैं। मुझे वे याद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह....

श्री शंकरलाल : सदन की समिति बैठाइये और जांच कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करूं कि कानून बनाने या बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो कान्ट्रेक्ट किया है, उस कान्ट्रेक्ट में इस तरह का प्रावधान है। उन क्लाजेज के कारण जिस पार्टी को कन्सेशन्स दिये गये, उन कन्सेशन्स को जब कम करने का प्रश्न आता है या इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ाने का प्रश्न आता है या कनेक्शन काटने की बात आती है तो हाई कोर्ट से जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको कान्ट्रेक्ट की कमियां बता रहा हूं। अगर माननीय सदस्यों की यह इच्छा हो, जैसा मैंने सवाल उठाया है, इस कान्ट्रेक्ट को करने में बदनियत से या किसी पूंजीपति को लाभ देने की नीयत से भूतपूर्व सरकार ने काम किया तो आप कहिये मैं जुडिशियल कार्यवाही कराने के लिये तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टीको न दें। कानून की कोई आड़ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्क्वायरी बैठाइये। कानून को वदल सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार के हाथ लम्बे हैं। छोटे-छोटे मामलों में सारे हिन्दुस्तान में इन्क्वायरी हो रही है। यह सरकार कमीशनों की सरकार बन कर रह जावेगी। जो भी कार्यवाही करना चाहें, वो भी इन्क्वायरी कराना चाहें हमारी ओर से कोई रोक नहीं होगी। प्रश्न इतना ही है, लॉ डिपार्टमेन्ट और एडवोकेट जनरल से बात कर लीजिये। उस कान्ट्रेक्ट में कानून के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं तो करिये। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने कहा था कि यह आवश्यक है। इस पहलू को ध्यान में रख कर सारे मामले की जांच कराइये। लोसेंज का प्रश्न था। यदि गाइड लाइन्स पर इसको ले आयें तो आपको 6 करोड़ रुपया बचेगा और विद्युत मण्डल का बजट घाटे में जा रहा है उसको रोकने में सफल होंगे।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर 45 मिनट हो गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 45 लाख का घाटा होता है।

श्री शिवचरणसिंह : आप बोर्ड को घाटा देने के लिये तैयार हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में पर्याप्त सुझाव आ गये हैं और चर्चा कर ली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा कि इन्क्वायरी मंजूर करिये। हमने कहा है कि तैयार हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : जांच की बात कर दी। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : इसका मतलब तो यह हुआ कि आप पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

नेक्स्ट।

श्रीमती मदन कौर।

ग्राम आधार योजना

67. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के पचपदरा ग्राम में ग्राम आधार योजना कार्यरत थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या हाल ही में इस ग्राम आधार योजना को बन्द करके अन्यत्र ले जाया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से और क्यों ?

(3) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि बाड़मेर जिला पशु प्रधान जिला है और इस जिले में पशुधन के विकास की भारी संभावनायें हैं ?

पशुपालन मन्त्री (श्री सम्पत राम) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ग्राम आधार योजना कार्यरत थी। क्या यह सही है ?

श्री सम्पत राम : प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता जो माननीय सदस्या ने पूछा है, इसलिये इसका यह उत्तर देने की आवश्यकता हुई। आपने पूछा है कि पचपदरा में कोई ग्राम विकास योजना है....

श्रीमती मदन कौर : ग्राम आधार....

श्री सम्पत राम : ग्राम आधार। मैंने जवाब दिया कि पचपदरा में ऐसी कोई योजना ही नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, यह ग्राम आधार योजना पचपदरा में चलती थी। निश्चित रूप से मुझे इसकी जानकारी है। इसको हटाने का आधार क्या है ? बाद में स्टे किया है।

श्री सम्पत राम : मेरा उत्तर सुनने के बाद मुझे आशा थी कि संतोष हो जायगा। मुख्य ग्राम आधार योजना....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आधार का जवाब दें।

श्री सम्पत राम : यह बालोतरा में थी। इसकी चार युनिट्स थी। असाड़ा, कनोर, परलूर और जसोर। 3 युनिट्स काम करती थीं। जिस जगह का नाम माननीय सदस्या ने दिया वहां कोई योजना ही नहीं थी।

प्रश्न संख्या 68

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

भीलवाड़ा में राजस्थान पंचायत सम्मेलन के आयोजन के लिये एकत्रित की गई राशि

69. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1968 में भीलवाड़ा में राजस्थान पंचायत सम्मेलन आयोजित करने का तय किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रस्तावित सम्मेलन के लिये जिले की सभी पंचायत समितियों की विभिन्न पंचायतों से चन्दा राशि एकत्रित की गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्मेलन कभी भी नहीं हुआ और इस कार्य हेतु चन्दे के रूप में एकत्रित की गयी राशि पुनः नहीं लौटाई गई ? उसका क्या उपयोग किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति मांडल क्षेत्र में निम्बाहेड़ा पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री भंवरलाल 1962 से 1965 तक उक्त पद पर रहे हैं ?

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(5) क्या उक्त सरपंच के खिलाफ गबन आदि के मामलों को लेकर कोई कार्यवाही हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि जांच में श्री भंवरलाल दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त कार्यवाही की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जिलाधीश भीलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1968 में राजस्थान पंचायत सम्मेलन आयोजित किये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(2) इस प्रकार के सम्मेलन के लिये पंचायत समिति सुवाणा, जहाजपुर, मांडलगढ़ व आसींद द्वारा चन्दा राशि एकत्रित किया जाना बताया गया है।

(3) जी हां। पंचायत समिति जहाजपुर को 751.17 लौटाये गये जो पंचायत समिति जहाजपुर लेखे में जमा हैं। पंचायत समिति जहाजपुर क्षेत्र की पंचायतों से एकत्रित की गयी राशि में से 3025 रुपये सम्बन्धित पंचायतों को लौटाने हेतु श्री रतनलाल ताम्बी, भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर को दी गयी। श्री ताम्बी द्वारा यह राशि सम्बन्धित पंचायतों को लौटाई अथवा नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

श्री भंवरलाल भदादा, अध्यक्ष द्वारा 5027.83 रुपये व्यय किये जाने का विवरण पेश किया गया। इसके अलावा पंचायत समिति आसींद क्षेत्र की पंचायतों से भी 1904 रुपये की राशि चन्दे के रूप में एकत्रित की गयी। वह राशि न तो पंचायत समिति और न पंचायतों को श्री भदादा द्वारा अब तक लौटाई गयी है। इस सम्बन्ध में श्री भंवरलाल एवं श्री रतनलाल ताम्बी द्वारा राशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जांच के दौरान श्री भंवरलाल दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु मामला सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग को प्राप्त हुआ है। इस मामले की जांच किये जाने हेतु उप जिलाधीश, भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उप जिलाधीश भीलवाड़ा के यहां इस मामले की जांच की कार्यवाही चल रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय, जब एक बात साबित हो जाये कि बिना सम्मेलन हुए वहां पर चन्दा इकट्ठा किया गया और चन्दा उन लोगों को वापिस नहीं पहुंचाया गया तो 420 और 409 का मुकद्दमा क्यों नहीं दर्ज किया गया ? चन्दा इकट्ठा करना कब से चालू हुआ है और कब तक हुआ ? सरकार की नजर में कब आया ? और क्यों नहीं एफ.आई.आर. दर्ज हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न होने के बाद मुझे इस सारे घोटाले का पता हुआ है। जब प्रश्न के जवाब को मैं देख रहा था उस समय इससे सम्बन्धित पत्रावली मंगवाने के आदेश दे दिये हैं। वह देखने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी निश्चित रूप से की जायेगी।

श्री श्योपतसिंह-मकासर : पुलिस में कार्यवाही की जाये। विभागीय कार्यवाही में इसको न उलझायें। जब पता लग गया कि चन्दा वसूल हुआ और वापस नहीं पहुंचा तो दो आदमियों के स्टेटमेंट ही काफी थे। विभागीय पचड़े में न जाकर एफ. आई. आर. दर्ज करवा दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। एक तो यह रिपोर्ट आई कि किसी प्रकार का सम्मेलन नहीं हुआ, तो पहले गलत रिपोर्ट किस प्रकार से आई ? अगर सम्मेलन नहीं होना बताया तो चन्दा किस के लिए वसूल किया गया ? जब चन्दा वसूल किया गया और चन्दा वापस लौटाने के सम्बन्ध में जहाजपुर के लोगों ने और पंचायत के लोगों ने मांग की थी तब रतनलाल ताम्बी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कोर्ट में केस चल रहा है। इस सम्बन्ध में एक और बात निवेदन कर दूं। भंवरलाल शर्मा, जो जाटों का निम्बाहेड़ा में सरपंच है, सक्रिय कांग्रेसी थे। कांग्रेस की मिलीभगत के कारण ही उनके विरोध में लगाये आरोपों को दबवा दिया गया। श्री रतनलाल ताम्बी भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर व भंवरलाल भदादा भूतपूर्व विधायक भीलवाड़ा और भंवरलाल शर्मा के खिलाफ प्रायमा फैसी केस बनता है तो क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है ? श्री भंवरलाल शर्मा के खिलाफ गत दस साल से एस. डी. ओ. कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों नहीं फैसला अब तक हुआ है ? स्पष्ट है, तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने केस को दबाया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सारा मामला कम्पलीट है इसलिए अविलम्ब कार्यवाही करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह कांग्रेसी हैं तभी तो ताम्बी के खिलाफ और भदादा के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हुआ है। अगर जनता पार्टी के होते तो दर्ज नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जनता पार्टी वालों के ऊपर ध्यान रखिये जरा।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : निम्बाहेड़ा के भूतपूर्व सरपंच......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मसला दबाया गया है। मैं चाहूंगा कि प्राइमा फैसी केस बनता है तो कार्यवाही की जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के सरपंच भंवरलाल और भीलवाड़ा के भूतपूर्व विधायक श्री भंवरलाल भदादा क्या एक ही आदमी हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो सामग्री मेरे पास उपलब्ध है उससे यह दोनों अलग 2 आदमी लगते हैं। रतनलाल ताम्बी के खिलाफ 406, 402 और भारतीय दण्ड संहिता की और धाराओं के अन्तर्गत भी मुकद्दमे चल रहे हैं। उनको सरपंच के पद से निलम्बित कर दिया गया है। भंवरलाल

(श्री कैलाश मेघवाल)

की फाइल दबी हुई है। अब 1977 में उसे मंगवाकर सारी कार्यवाही की जा सकेगी मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानूनी दृष्टि से जो भी कार्यवाही की जायेगी उसमें राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह सूचना मिली है कि वह जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या फिर भी उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह।

धौलपुर उप जिले को जिला बनाने का मामला

70. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार का धौलपुर उप-जिले को जिला बनाने का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मुख्य मंत्री जी से किया गया है लेकिन इसका संबंध राजस्व विभाग से है इसलिए उत्तर मैं देता हूं।

(1) जी नहीं। क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है।

(2) प्रशासनिक जिलों के पुनर्गठन का प्रश्न राज्य सरकार के पास अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): प्रशासनिक दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कई जगहों से जिला बनाने की मांग आ रही है तो क्या सरकार निकट भविष्य के अन्दर जिलों के री-आर्गेनाइजेशन के लिए कोई कमेटी मांग को ध्यान में रखकर गठित करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री मूलचन्द सामरिया: एक साथ जवाब आ जायेगा, मैं भी पूछना चाहता हूं। जहां एक-एक और दो-दो तहसील के जिले हैं वहां 17 तहसीलों के जिले भी हैं जिनमें 10 लाख की आबादी के शहर हैं तो क्या प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं होगा कि उनका पुनर्गठन करके एक तरीके का आकार सब जिलों का करें जिससे समान रूप से हर व्यक्ति को राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से मदद मिल सके?

श्री खेतसिंह राठौड़: मंत्री महोदय ने कहा कि वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं होने के कारण आप जिलों का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। आज 56 करोड़ का घाटा है अब इसको करने से 65 करोड़ का हो जायेगा—क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं इसको कन्सीडर कर लेते हैं?

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मेरा इस संबंध में प्रश्न है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या लोकसभा के चुनावों के अन्दर आपने यह आश्वासन दिया था कि ब्यावर को जिला बनाया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ब्यावर में मैंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। मेरी मौजूदगी में जिन सदस्य ने आश्वासन दिया उनको भी कह दिया था कि मेरी मौजूदगी में आपको इस प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भली भांति समझते हैं।

दूसरे धौलपुर जिले के संबंध में माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न किया, के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। पिछले 15 वर्ष से निरन्तर यह प्रयास कर रहे हैं। यह पहले मंत्रिमण्डल में भी थे और इस प्रश्न को अपने मंत्रिमण्डल में भी रखा था। दुर्भाग्य से मंत्रिमण्डल में इस बात को नहीं मनवा सके। इसके लिए भी मुझे सहानुभूति है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार इस संबंध में विचार कर रही है या नहीं। तो हम तो अभी आगे हैं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है इसलिए इस प्रश्न के ऊपर हमने अभी विचार नहीं किया है। इसलिए कोई भी बात कहना मुश्किल है इस संबंध में।

श्री ख्योपतसिंह मकासर : प्रशासनिक दृष्टि से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, I will not have any discussion on this issue. माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचौर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गांवों के नाम

71. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में सिर्फ एक ही गांव केरिया तहसील सांचोर में दर्ज है जब कि वास्तव में केरिया की सरहद में 7–8 गांव अलग अलग बसे हुए हैं एवं उनकी सरहद भी अलग-अलग बंटी हुई है ? अगर हां, तो उन गांवों के नाम क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार राजस्व प्रशासन की दृष्टि से उक्त सब गांवों को अलग-अलग गांवों के नाम से राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चीतलवाना की राजस्व सरहद बहुत लम्बी है तथा चीतलवाना की सरहद में ग्राम लालपुरा, सापड़ा, रामपुरा, गिरधर धोरा, ठेलिया वगैरह अलग गांवों के बास बसे हुए हैं एवं उनकी सरहद भी अलग बंटी हुई है, परन्तु सिर्फ राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज नहीं किए हुए हैं ? अगर हां, तो राजस्व प्रशासन की दृष्टि से क्या राज्य सरकार उपरोक्त ग्राम में बसे सब ग्रामों को राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग दर्ज करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो उक्त गांवों की सरहद अलग कब तक कर दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम गंधाऊ की सरहद भी बहुत लम्बी है एवं उसकी सरहद में ग्राम सेड़िया अलग बसा हुआ है ? अगर हां, तो क्या ग्राम सेड़िया को राजस्व प्रशासन की दृष्टि से राज्य सरकार अलग करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पुर की सरहद में एक ग्राम कीलूपिया अलग बसा हुआ है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार राजस्व प्रशासन की दृष्टि से उसकी सरहद अलग कर अलग ग्राम घोषित करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। तहसील सांचोर में ग्राम केरिया एक ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। केरिया ग्राम की सरहद में 6 बास अलग अलग बसे हुए हैं जिनके नाम निम्न हैं:— (1) बास किरावा (2) बास हालीवाब (3) बास केरिया (4) बास गावा (5) बास सूटाकोई (6) बास कुंडली। मिसल बन्दोबस्त में उनकी सरहद अलग अलग नहीं है और नक्शा भी एक ही बना हुआ है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। नए बन्दोबस्त के समय ऐसे प्रश्न पर विचार किया जाना संभव होता है।

(3) जी हां। इस ग्राम चीतलवाना की सरहद में अन्य बास लालपुरा, सायड़ा, रायपुरा, गिरधर धारो, केड़िया बसे हुए हैं। मिसल बन्दोबस्त व नक्शा एक ही पूरे ग्राम चीतलवाना का बना है, मिसल बन्दोबस्त में इन बासों का अलग नाम से इन्द्राज नहीं है। इन बासों की सरहद नक्शे में अलग दर्ज नहीं है। इन्हें अलग अलग ग्राम दर्ज करवाना बन्दोबस्त के समय ही संभव है। अलग से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। ग्राम गुंदाऊ की सरहद लम्बी है। इसमें सेडिया अलग आबादी के रूप में बसा है। ग्राम गुंदाऊ की मिसल बन्दोबस्त व नक्शा एक ही है। गुंदाऊ की सरहद में आए हुए बास अलग-अलग रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। बन्दोबस्त के समय अलग ग्राम करने बाबत विचार किया जाना संभव होता है।

(5) जी हां। ग्राम कीलुपिया ग्राम पुर की सरहद में बसा है, रिकार्ड में अलग इन्द्राज नहीं है। अलग ग्राम बनाना बन्दोबस्त के समय ही संभव होता है। इस समय इस संबंध में कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या अब इसके बारे में राज्य सरकार शीघ्र आदेश देगी।

श्री कैलाश मेघवाल : जब बन्दोबस्त होता है तब अगर वायबिल यूनिट होती है तो गांव की नई सरहद तय होगी। यह बन्दोबस्त का मसला है जो शायद 4-5 साल में होने वाला है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह छोटा गांव है। वहां स्कूल नहीं है। इस कठिनाई को देखते हुए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जल्दी ही इस पर विचार कर लिया जायगा। मुख्य

Page No 22

(२२)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मंत्री जी भी इससे भलिभांति परिचित हैं। अतः इसका पुनर्सीमन करके वहां के लोगों के साथ न्याय करें। शुरू में जो सेटलमेंट हुआ था वह जागीर के टाइम हुआ था। अब राज्य सरकार निर्णय लेकर प्रशासन की दृष्टि से पुनर्सीमम करने की घोषणा करे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं यह मरुस्थल की समस्या है। मरुस्थल में पानी आदि की भी दिक्कत रहती है, पशुओं की चराई की भी दिक्कत होती है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो आपने बता दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी लेकिन जो प्रशासनिक कठिनाई है, उस प्रशासनिक कठिनाई की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि गांव की यूनिट इस तरह रखी जाय कि वह एक वायबिल यूनिट बन सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है इस पर अगले बन्दोबस्त के समय विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक दिन में 32-32 प्रश्न लेना कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिशकुमार (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कब तक चलता रहेगा ? हमारे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। मेरे प्रश्नों का तीन दिन से उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हरिश कुमार : गांव वालों की बहुत सारी तकलीफें हैं, अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों के कारण तो केरल की सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिश कुमार : स्थान ग्रहण कैसे करें, जब तक हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं आ जाते हैं। मेरे प्रश्नों का आज तक पता नहीं चला है, क्या हो रहा है ? हमारे प्रश्नों का लिखित जवाब भी नहीं आ रहा है। आखिर कोई व्यवस्था तो देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिश कुमार : कब तक इस प्रकार स्थान ग्रहण करते रहेंगे !

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना क्षेत्र में बिजली

68. **श्री अब्दुल अजीज (मकराना)**: क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अब्दुल अजीज)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र मकराना में कोई भी गांव में सिंचाई तथा गृह उपयोग हेतु बिजली नहीं है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कब तक बिजली पहुंच जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि संगमरमर के कारखानों को ट्रांसफार्मर के बिना बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ट्रान्सफार्मर कब तक राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति मकराना के 8 गांवों व एक कस्बे (मकराना) का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) जी नहीं। मकराना के संगमरमर के कारखानों से सम्बन्धित उद्योगों को 24 कनेक्शन सितम्बर, 1976 से अगस्त, 1977 तक की अवधि में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त जो विचाराधीन प्रार्थना-पत्र हैं उन पर भी कार्यवाही चालू है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के समय आपको व्यवधान नहीं करना चाहिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटपूतली तहसील में अतिवृष्टि के कारण नहरों के टूट जाने और गांवों में पानी भर जाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दिया जावेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले भीलवाड़ा के लाठीचार्ज को लेकर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगस्त से भीलवाड़ा के अन्दर आन्दोलन चल रहा है....

(व्यवधान)

मुझे पांच मिनट के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे सरकार से सूचना मिली है कि आपका स्थगन प्रस्ताव सोमवार के दिन आ सकता है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में आंदोलन चल रहा है। 29 अगस्त को भीलवाड़ा में तालाबन्दी कर दी गई और भीलवाड़ा के अन्दर लाठी चार्ज किया गया। मजदूरों के सम्बन्ध में कल कहा गया था सरकार की ओर से कि भीलवाड़ा में जबरदस्ती मजदूरों ने मिल में घुसने का प्रयत्न किया। वे मिल में घुसना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों का अन्दर घुसने का प्रश्न ही नहीं होता है। जो महिलायें वहां काम कर रही थीं उनकी ताला-

(श्री कौशल किशोर जैन)

बन्दी कर दी गई। वे महिलायें बाहर आना चाहती थीं। उनको बाहर न आने देने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उसमें एक महिला घायल हो गई और चार मजदूरों के सख्त चोटें आईं। 18 मजदूरों के अनेक प्रकार चोटें आईं। रात्रि में आकाशवाणी से प्रसारित किया गया कि 15 सिपाही घायल हुए। मुझे बड़ा दुःख होता है कि इस प्रकार आकाशवाणी से गलत प्रचार कराया जाता है। मजदूरों पर लाठी चार्ज होने से और अनेक मजदूरों के घायल होने से सारा भीलवाड़ा बन्द रहा। 10 हजार मजदूरों का प्रदर्शन हुआ। मजदूरों ने सारे शहर में जुलूस निकाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने गृह मंत्री जी से मुलाकात की। मैं मुख्य मन्त्री जी से भी मिला लेकिन सरकार की इस सम्बन्ध में बिलकुल उदासीनता रही। समझ में नहीं आता है, सरकार इस बारे में क्यों कर उदासीन है? मैं आज, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं कहना चाहता हूं कि 29 तारीख से मिल मालिकों ने मिल को बन्द कर दिया। कल 10 तारीख को उनका पे डे है। वहां पर तीन हजार मजदूरों से सम्बन्धित 15 हजार लोगों के जीवन का सवाल है। जिस प्रकार उन पर लाठी चार्ज किया गया है, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और मिल की तालाबन्दी खुलनी चाहिये। सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये। तीन हजार मजदूरों के साथ जो मिल मालिक खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिये। तीन हजार मजदूरों से सम्बन्धित 15 हजार लोगों की रोटी का सवाल है। वहां के लोगों में इस बात की गहरी चिन्ता है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कलेक्टर ने, ए. डी. एम. ने या सिटी मजिस्ट्रेट ने, किसने वहां लाठी चार्ज करवाया और उस लाठी चार्ज का क्या औचित्य था? क्या वहां के कलेक्टर ने लाठी चार्ज का आर्डर दिया या ए. डी. एम. ने लाठी चार्ज का आर्डर दिया या फिर सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया? इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

मजदूर शान्त प्रदर्शनकारी थे। उन लोगों ने मिल में कोई तोड़ फोड़ नहीं की और न कभी मिल के अन्दर घुसने का प्रयत्न किया। मैं उन घायल मजदूरों से अस्पताल मिलने गया था, चार मजदूर वहां पर भर्ती हैं। उनकी चोटों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी हैं। एक महिला मजदूर गोपी के घर पर गया था। उस महिला को जिस प्रकार लाठी से पीटा गया उसकी एक दर्दनाक कहानी है। उसको घर से घसीटा गया और उसकी बेइज्जती की गई। अध्यक्ष महोदय, मिल मालिक सरकार से सांठ गांठ करके आन्दोलन को दबाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा एक शान्त नगर है और वहां के मजदूर भी शान्तिप्रिय हैं। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और उसके साथ में 4-5 मजदूर और बैठे हुये हैं। तीन दिन से मैं बराबर इस मसले को लेकर निवेदन कर रहा हूं ताकि सरकार ध्यान दे लेकिन जनता पार्टी की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा निवेदन है सरकार इस पर अतिशीघ्र विचार करे ...

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कल आपको दो मिनट मिल चुके हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कल फर्माया था कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक एक करके बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में ले लिया जायगा। आपने आश्वासन दिया था मैं बोला भी नहीं था। आज यह न ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में आया है और न किसी और रूप में। भीलवाड़ा की मिल के बारे में जो भूतपूर्व विधायक है, उन्होंने भी कहा है, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ....

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व विधायक का क्यों नाम लेते हैं ? वर्तमान विधायक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि सोमवार को इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में ले लिया जाएगा। उस दिन सरकार उत्तर देने की स्थिति में होगी।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों का सवाल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने में बहुत ढिले हो जाएगी। यह बहुत सीरियस मामला है, हजारों मजदूरों का सवाल है फिर भी सरकार मौन रहे, वक्तव्य नहीं दे—यह बड़ी गंभीर बात है। सोमवार तक तो बहुत ढिले हो जाएगी। आपने कल ही कहा था कि कल वक्तव्य दिला दूंगा।

(व्यवधान)

आपने कल कहा था फिर भी आज स्टेटमेंट नहीं हुआ तो सोमवार की ही क्या गारंटी है कि सोमवार को वक्तव्य हो जाएगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप डायरेक्शन दीजिए। इसके फेक्ट्स हैं, जो हालात हैं वे सदन में आने चाहिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह हड़ताल पिछली 2 अगस्त से चल रही है। यह हड़ताल कोई अभी से शुरू नहीं हुई है। रक्षाबंधन के रोज वहां पर काफी मजदूरों ने कहा था कि हम काम पर जाना चाहेंगे इस पर झगड़ा हुआ है। चार सौ मजदूर वहां पर गए थे। अब इसको राजनैतिक मसला बनाया गया है। वहां पर एक नई यूनियन 'जनता मजदूर यूनियन' के नाम से बन रही है जिसने मजदूरों में फूट डाल कर मजदूरों में आपस में झगड़े पैदा किए हैं। झगड़े पैदा करके स्थिति यहां तक गम्भीर कर दी कि भीलवाड़ा के अन्दर मिल ही बन्द नहीं है वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां दुकानदारों को लूटा गया है, हलवाइयों को, दूध वालों को वहां पर लूटा गया है। मजदूरों के चोटें आई हैं। उधर आप कहते हैं कि 8–9 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहां पर गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए,

Page No 26

(26)

(श्री शंकरलाल)

केदारजी के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, दाबरियाजी के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। वहां पर पार्टीबाजी चल रही है और इस पार्टीबाजी से मजदूरों का बड़ा नुकसान हो रहा है। (व्यवस्था-सूचक-घण्टी) जो रजिस्टर्ड यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उस यूनियन से बात करके समस्या का हल निकालना चाहिए। समझ में नहीं आता है, क्यों दूसरी यूनियन को बढ़ावा दिया जा रहा है और मजदूरों में फूट डाली जा रही है? गृह मंत्रीजी ने सरकार में आने के बाद अपनी तरफ से तीन चार दिन तक सम्मेलन किया जिसमें मजदूर और मिल मालिकों और आपने बैठकर निर्णय लिए। आपने निर्णय किया कि आपसी समझौते से झगड़े सुलझायेंगे और छः महीने तक कोई तालाबन्दी नहीं होगी। हमें खुशी हुई थी कि आपने मजदूरों की तरफ ध्यान दिया।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

अब समझ में नहीं आता कि मजदूरों के मामले को आप क्यों राजनीति में घसीट रहे हैं। ऐसी यूनियन बना रहे हैं……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : पुलिस पर चार्जेज लगाए गए हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आप वक्तव्य देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? भारत सरकार ने बोनस की नीति घोषित कर दी है। जो बोनस का मामला है उसके अनुसार मिल मालिक बोनस देने को तैयार हैं और मजदूर उससे ज्यादा मांग रहे हैं तो क्यों नहीं आर्बीट्रेशन बिठा कर फैसला करवाते हैं? क्यों उनको भुलावे में रखते हैं? क्यों इस प्रकार से मजदूरों को……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त है।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, अनुमति हो तो दो मिनट मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहना है?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझे यह निवेदन करना है……

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसी प्रश्न पर। मैं समझता हूं कि इस मसले की अहमियत को ठीक तरह से न तो इस पक्ष की ओर से और न उस पक्ष की तरफ से समझा गया है। प्रश्न यह है कि मिल को पहले गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और कुछ समय बाद पिछली सरकार ने घूंस खाकर इसे सेठ को लौटा दिया था। आज अगर मिल बन्द हो जाएगी तो जैसी भारत सरकार

(श्री बजरंगलाल शर्मा),

की नीति है, मिल बन्द होने के पहले सरकार टेक-ओवर नहीं करेगी। क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार को लिखती है कि उसके बन्द होने से पहले ही उसको टेक-ओवर कर लिया जाय ? हजारों लोगों के रोजगार का प्रश्न है। पिछली सरकार ने इस मिल को सेठ को मनमाने ढंग से दे दिया और मनमाने ढंग से मजदूरों के साथ खेलने का मौका दे दिया। आज इस मिल पर इतना कर्जा है, इतना कर्जा बढ़ गया है कि कोई भी बैंक ऋण देने को तैयार नहीं है। मिल बन्द होगी तो जो आप रोजगार के नए साधन उपलब्ध करा रहे हैं, उसके मुकाबले में पांच हजार मजदूर फिर बेरोजगार हो जायेंगे और उनको रोजगार देने का प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि आप अभी से भारत सरकार को लिखें कि उस मिल को टेक-ओवर कर लिया जाय। इस बात के लिए अगर आप चाहें तो हम यहां पर विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजें। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए एक मुकम्मिल कॉम्प्रीहेंसिव रिप्लाई यहां पर पेश करे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मेरा भी एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका क्या गंभीर मसला आ खड़ा हुआ।

श्री रामकरणसिंह : जो जानकारी मैं यहां पर दे रहा हूं उससे सरकार को मदद मिलेगी जवाब देने में। यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल राहत मंत्रीजी ने हमारे कोटपूतली क्षेत्र में राहत कार्य के लिए कुछ मदद दी है, लेकिन वहां पर फिर दैविक प्रकोप हो रहा है। गत 29 तारीख से बराबर बारिश हो रही है। पानी इतना पड़ा है कि लोगों के पैर गलने लगे हैं। पशुओं की ऐसी हालत हो गई है कि उनके पैरों में कीड़े पड़ने लगे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकरणसिंह : एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

वहां पर एक वेटरनरी डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल नहीं। पूरी तहसील में एक डाक्टर और दो कम्पाउण्डर हैं। आप सोचिए कि पूरी तहसील में इतनी महामारी में केवल एक वेटरनरी डाक्टर और दो कम्पाउण्डर क्या कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की महामारी फैल रही है कि लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य। अब स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बारे में रखा था कि यहां कम्पलसरी रिटायर्ड आफिसर कब से तम्बू डाले विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं ...

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे कक्ष में आकर मिल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे मिलने से क्या होगा ? उनकी समस्या ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बहुत इज्जत की दृष्टि से देखता हूं। कृपया मेरी बात को सुन लें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 295 की ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक आध मिनट में निवेदन कर देता हूं।

कल की सदन की बैठक के सम्बन्ध में आज के अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है। उसमें लिखा है कि खुद उपाध्यक्ष महोदय ने दो बार... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव था वह मुझे साढ़े दस बजे मिला है, मैं उस पर विचार करके व्यवस्था दे सकता हूं, अभी नहीं।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री): मान्यवर, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सरकार भी उसके बारे में सीज्ड आफ है। हम चाहते थे कि लोक अप लिफ्ट होने के बाद स्टेटमेंट हो। आर्बीट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हैं। माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सोमवार को सरकार अपनी ओर से स्टेटमेंट दे देगी।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : नैनवा के बारे में स्टेटमेंट कब होगा ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मै नैनवा के बारे में भी 13 तारीख को स्टेटमेंट दे दूंगा।

(व्यवधान)

परिवर्तित आय-व्ययक, 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) बजट, 1977-78 पर अग्रेतर सामान्य विवाद।

विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, मैं आपको समय तो विवशतापूर्वक दूंगा, इसमें दो प्रश्न नहीं हो सकते लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

एक व्यक्ति अगर डेढ़ घण्टे तक बोलता रहे तो मैं क्या करूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : डेढ़ डेढ़ घण्टे तक नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय। मेरा निवेदन है माननीय विरोधी दल के नेता महोदय से वे 20 मिनट में समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : हमें भी दस मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपको समय नहीं मिल सकता।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके...

श्री अध्यक्ष : दल की गरिमा रखिये। तीस वर्ष तक शासन करने के उपरांत क्या आपके लिये यह शोभनीय है कि इस तरह से खड़े होकर व्यवधान डालें।

(श्री अध्यक्ष)

विरोधी दल के माननीय नेता ।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन का सौभाग्य होगा, हम सभी चाहेंगे कि विरोधी दल के नेता के विचार बजट पर आयें, आना अनिवार्य है । समय का बटवारा होता है तो यह कोई उचित बात नहीं कि एक सदस्य 1 घण्टा 35 मिनट लें । समय पर कन्ट्रोल जरूरी है । आप विरोधी पार्टी के नेता को समय दें, मैं भी स्वीकार करता हूं लेकिन यह परिपाटी न बने ।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री जी ने आपत्ति उठाई है उससे एक हद तक मुझे भी सहानुभूति है । विरोधी दल के माननीय नेता बोलेंगे लेकिन भविष्य के लिये यह प्रिसिडेंस फार्म नहीं होगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री नवलराय बच्चाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दीजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल कांग्रेस के डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य 1-30 घण्टे तक बोले हैं । वे बोले हमको एतराज नहीं है । आसन पर जो बैठे है उनका भी दायित्व है, उनको इशारा करना चाहिये कि आप दल का समय कंज्यूम कर रहे हैं । आसन की तरफ से भी कोई इन्डिकेशन मिले ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वे नृत्य कर रहे थे, सब मुग्ध हो गये ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझा, एक माननीय सदस्य ही पूरा समय लेना चाहते हैं । आपने माननीय मथुरादास माथुर के भाषण समाप्त करने से पांच मिनट पूर्व ही चिट लिख कर भेजी जैसे आप कोई भविष्यवक्ता हों ।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री नवलराय बच्चाणी कल का भाषण जारी रखें ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसका मैं अनुमोदन करता हूं । मैं कुछ छोटे छोटे सुझाव रखूंगा जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे । जैसे हलवाई और चाट आदि वाले हैं उन पर पांच प्रतिशत कर लगा रहे हैं । उन लोगों को कर से मुक्त किया जाये और अगर उनसे लाइसेंस प्रणाली में ज्यादा राशि ली जाये तो वे देने को तैयार हैं ।

दूसरा अजमेर पोल्ट्री फार्म के विषय में निवेदन है । वे लोग वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से मिले थे । अजमेर में मुर्गी पालन का काम बहुत जोरों से चल रहा है । उन पर ध्यान दिया जाये, उनको बढ़ावा दिया जाये तो उनके काम में बढ़ोत्तरी होगी और वहां बेरोजगारी भी दूर होगी । जैसे पोल्ट्री फार्म पर जो अण्डे में से चूजे (मुर्गी) हेचरी से बनते हैं उन पर भी 7 पर्सेन्ट टैक्स लगता है । अगर वह टैक्स माफ किया जाये तो वहां मुर्गी और अंडों का काम जोरों से चल सकता है । मुर्गी के खाने में मक्का और बाजरा काम में आता है । इस के अलावा चावल का छिलका

(श्री नवलराय बच्चाणी)

(Rice polish) महंगा पड़ता है इसलिये वह राइस पॉलिश पोल्ट्री फार्म्स को राशन कार्ड के जरिये उपलब्ध कराया जाये।

तीसरा बाड़मेर के शरणार्थियों का सवाल है। जिस तरह से कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसी तरह से वहां के लोग जो हाथ से चीजें बनाते हैं जैसे ब्लाउज, टेबल कवर में कांच के पेच का काम, ऊनी स्वेटर आदि जिसका एक सैम्पल भी लाया हूं, उनकी महिलायें और लड़कियां भी यह हाथ का काम करती हैं, ऐसी चीजों पर भी 7 पर्सेन्ट कर लगा रहे हैं। उसको कर मुक्त किया जाये तो उसमें महिलायें और बेरोजगार व्यक्ति ज्यादा काम कर सकेंगे। दूसरे और अधिक सैम्पल एम्पोरियम में प्रदर्शनी चल रही है, वहां देखे जा सकते हैं।

अजमेर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए पहले मैंने निवेदन किया था। जब तक केन्द्र से अनुमति आये तब तक राज्य सरकार एक वर्ष के लिये अजमेर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करे ताकि लघु उद्योग और कारखाने बढ़ सकें।

दूसरा शक्कर का प्रश्न है। अजमेर में कम से कम किलो भर शक्कर दी जाय। चावल खाने वाले बहुत है। चावल भी दिये जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तीसरा मैंने आयुर्वेद के वैद्यों के वेतन के सुधार के बारे में प्रश्न पूछा है। जानवरों के डाक्टरों को जो वेतन दिये जाते हैं उनको दीजिये। उनका वेतन 470 से प्रारम्भ होता है। उनकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिये। आयुर्वेद के विद्यार्थी हड़तालें कर रहे हैं इसलिए उनको जल्दी यह वेतन देना चाहिये। डाक्टरों का वेतन 620 से स्टार्ट होता हैं इसलिये आयुर्वेद वालों का स्तर भी बढ़ाना चाहिए। राजस्थान इण्डियन बोर्ड ऑफ मेडिशन जयपुर को केवल 26 हजार रुपये दिये जाते हैं जब कि उसका वार्षिक व्यय 1. लाख 27 हजार है। या तो 90 प्रतिशत अनुदान 1 लाख 14 हजार कर दिया जाय या पूरा खर्चा राज्य सरकार को वहन करना चाहिये जिससे आयुर्वेद का उत्थान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं एक सुझाव और दूंगा। अजमेर में विश्वविद्यालय खोला जाये। स्थान भी बता दूं—मेयो कालेज है जिसके आसपास काफी जमीन है। वहां क्लास फोर कर्मचारियों और विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। रीजनल कालेज में....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैंने पहले भी बताया है बच्चों की हड़ताल चल रही है। राज्य सरकार द्वारा लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को देखते हुए प्रोफेसर टी. एन. दवे का वहां से ट्रांसफर किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। हम सब लोग बोलना चाहते हैं इस महत्वपूर्ण बजट पर। यह जनता पार्टी का पहला बजट है। आप कृपा करके समय बढ़ा दीजिये और हमें 15-15 मिनट का समय दीजिये। आपकी सहयोग की भावना रही है। इसमें भी सहयोग दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप कक्ष में आकर बात कर लीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर मेरे और मेरी पार्टी के विचार रखने के पूर्व मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि 20 मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं दिया जाय। इसकी व्यवस्था आसन करे तो उचित होगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के वक्त मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि जनता सरकार को उत्तराधिकार के रूप में जो राजस्थान मिला उसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है । मैंने यह बात इसलिये कही कि देखने को तो जो बजट 30 मार्च, 1977 को पेश किया गया था, घाटे का बजट था क्योंकि उसमें कुछ आंकड़े अनुमानित थे लेकिन वास्तव में कुल मिला कर वह घाटे का बजट नहीं था। मुख्य मन्त्री जी ने 26 जुलाई को मेरे इस कथन का प्रतिवाद किया था और उन्होंने इस सदन में यह बात कही थी कि जनता सरकार को विरासत में भूखा और नंगा राजस्थान मिला है। उन्होंने यह बात भी कही कि वास्तव में यह घाटा 32.57 करोड़ का न होकर 52.44 करोड़ का है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी जो परिवर्तित आय व्ययक का विवरण पेश किया है, उसमें यह घाटा 52.44 करोड़ का और कुल 75 करोड़ 26 लाख का बताया है । यह भी उन्होंने कहा कि यह घाटा जनता सरकार को कांग्रेस सरकार से धरोहर में मिला है। अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कल इस स्थिति का स्पष्टीकरण किया था, मैं उनकी बात को यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा। उन्होंने जो भी आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किए हैं, वे सही है और जो कपोलकल्पित 75 करोड 26 लाख का घाटा बताया है, वह निराधार है ।

वित्त मन्त्री जी ने यह बात कही है कि यथास्थिति को भंग कर वे राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं । उन्होंने अपनी बजट स्पीच के अन्तिम पैरा में यह बात भी कही है कि "जीवन के हर क्षेत्र में 30 वर्षों की रुकावट, निराशा, घुटन, विरक्ति एवं यथास्थिति समाप्त हो।" माननीय वित्त मन्त्री जी, विरक्ति का मतलब है वानप्रस्थ या सन्यास। आप सत्ता में बैठे हैं । तीस वर्षों की बात आप कहते जा रहे हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है । आप कहते है तो कहते जाइये । राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि इन तीस वर्षों में विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं । कितना विकास इन तीस वर्षों में हुआ है। अतः अब आप तीस वर्षों की याद मत दिलाइये। आप और हम सब समान हैं। परन्तु इन तीस वर्षों के अन्दर हम ने राजस्थान का एक आर्थिक ढांचा तैयार किया है। राजस्थान हमें जर्जरित अवस्था में मिला था, विकासशील अर्थ व्यवस्था की जो प्राथमिकताएं हमने तय की थीं, उनमें कोई मूलभूत खराबी थी, कोई डिफेक्ट था तो वित्त मन्त्री जी आप उसमें आमूल चूल परिवर्तन करते। आपको आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए था। आप कुटीर उद्योगों का विस्तार करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सी बातें आपने इसमें कही हैं। अगर यह तथ्य मान लिया जाय कि जो घाटे के आंकड़े आप यहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

पेश कर रहे हैं, वे आंकड़े सही हैं, तो फिर आखिर प्लान का आउट ले जो 168 करोड़ का अनुमानित था उसको वित्त मन्त्री ने बढ़ा कर 196 करोड़ 53 लाख कर दिया है घाटे का अनकवर्ड गेप 28 करोड 53 लाख हो गया है। जो बढ़ोतरी आपने इसमें की है उससे अनकवर्ड गेप का कवर करने का आप ने बजट भाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। आप तथ्यों को छिपाते चले गये हैं। मैं आपका ध्यान वित्त मन्त्री जी, 30 मार्च का भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुए जो भाषण दिया था, उसके पैरा 53 की ओर दिलाना चाहता हूं।

"आगामी वर्ष में योजना परिव्यय में 18.53 करोड़ रुपये की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल घाटा 24.22 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चालू वर्ष के अन्त में रहने वाले 21.57 करोड़ रुपये के घाटे को आगामी वर्ष के 24.22 करोड़ रुपये के घाटे में जोड़ने पर अगले वर्ष के अन्त तक कुल घाटा 45.79 करोड़ रुपये होता है।" तो, अध्यक्ष महोदय, यह 21 करोड़ 57 लाख का घाटा बताया था। यह अनुमानित घाटा था। जो बजट पेश किया है, उसमें यह घाटा 7 करोड़ 48 लाख है। जो फिगर रिकन्साइल होने के बाद सामने आये हैं। 47 करोड़ 48 लाख का वर्ष 75-76 में घाटा था। उसको कवर करते हुए यह 7 करोड़ 48 लाख का घाटा रहा है। यह तथ्य आप कितना ही छिपाना चाहें यह छिप नहीं सकता। अगले वर्ष 1978 में जब आपका बजट आएगा तो यह साफ हो जायगा। मैं यह कह सकता हूं कि जो उस वक्त बजट पेश किया गया था, उसमें 168.67 करोड़ रुपये का एनुअल प्लान का आउट ले था, उसमें 11 करोड़ 4 लाख की भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में वृद्धि की थी। जो कुल 11 करोड़ 4 लाख की वृद्धि की है, उसका मतलब कुल मिला कर 179.71 करोड़ 4 लाख का प्रावधान तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए सदन के सामने रखा था, जिसको बढ़ाकर आपने 196 करोड़ 53 लाख किया है। इसके अलावा कुछ सेक्टर में आपने 2 करोड़, कहीं पर 50 लाख रुपये की बढोतरी की है। तत्कालीन वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच के पैरा 5 में यह स्पष्ट किया था "1976-77 के लिए योजना आयोग ने योजना कार्यक्रमों के लिए 135 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की थी।" जब कि संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार योजना कार्यक्रमों पर उस वर्ष 168.67 करोड़ खर्च होने का अनुमान था। आगामी वर्ष के योजना परिव्यय में यह 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। योजना आयोग ने 168 करोड़ की योजना निर्धारित की थी। तो क्या आपको प्लानिंग कमीशन ने इन्डिकेशन दे दिया है 196 करोड़ 53 लाख की योजना के लिए? इसका मतलब है, आप बिना प्लानिंग कमीशन के इन्डिकेशन के यह योजना बना रहे हैं और बजट में यह वृद्धि कर दी है। इस प्रकार आपने बिना प्लानिंग कमीशन से पूछे एनुअल प्लान में बढ़ोतरी की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप ही बता दीजिये। भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी ने जो 11 करोड़ 4 लाख की वृद्धि की है, उस का बजट में कहीं पर रिफ्लेक्शन नहीं है। यह बजट इम्प्रोप्रायटी है।

श्री परसराम मदेरणा : बजट भाषण बजट का ही पार्ट होता है। अगर विकास

(श्री परसराम मदेरणा)

की योजनाओं पर सरकार खर्चा करे और बजट स्पीच में बढ़ोतरी की है तो वह बजट का ही पार्ट होता है। कोई इस बात का बजट के आंकड़ों में उल्लेख नहीं होता है। इसलिए आपका यह कहना उचित नहीं है। लेकिन तत्कालीन वित्त मन्त्री जी ने अपनी बजट स्पीच के पैरा 44 में इस बात का उल्लेख किया है, जो कुछ भी हमें घाटा होने वाला है पिछले साल का, वह 7 करोड़ 73 लाख का है। इस घाटे के वेज एण्ड मीन्स से तथा भारत सरकार से मिलने वाली रकम पूरा होने की बात कह दी है। पिछले वर्ष 7 करोड़ 48 लाख का घाटा रह गया है। 21.57 करोड़ पहले वाला घाटा मिला कर 7 करोड़ 48 रह गया है। पैरा 53 में उन्होंने साफ कहा है कि यह मनी हमको मिलने वाला है। लेकिन आपने इसका उल्लेख नहीं किया है। भारत सरकार सहमत हो गई है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हमने 4 करोड़ की रकम आंकी थी। इसी प्रकार से ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिये अपेक्षित 25 करोड़ 59 लाख रुपये के अगेन्स्ट में 12 करोड़ 59 लाख रुपये सहायता अनुदान मिलने की बात कही है। इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। प्रेस कान्फ्रेंस में आपने यह कहा है कि 43 करोड़ हमने मांगा था। जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस को सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है। केन्द्र सरकार से 18 करोड़ की पूर्ति हो जाएगी। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने 12 करोड़ 59 लाख का उल्लेख किया था। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ 48 लाख के घाटे का जिक्र किया है जिसे हम आगे ले जा सकेंगे। वैसे पहले बजट में 7.73 का घाटा रहा है। इन्हें जोड़ दें तो 7.73 का घाटा न रह कर 21 करोड़ का रहा है। वह भारत सरकार आपको देने को तैयार है? इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है। जो आप कह रहे हैं, 75 करोड़ 26 लाख का घाटा धरोहर के रूप में मिला है, यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सदन के सामने रखा है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस राज्य का कार्य भार संभालने के बाद में जिन बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख किया उनमें से एक है पेयजल की समस्या। सारे राजस्थान की जनता के सामने खास तौर से समस्या है पेयजल की। पेयजल को नया दिया है। 19000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी है। इन गांवों में पीने के पानी का अभाव है। 300 ग्रामों के स्थान पर अब 450 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अनुसार पूरे ग्रामों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा सकेंगे? जिन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना है उसके लिये प्रावधान इसी रफ्तार से अगर किया गया तो पूरे ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने में 40 वर्ष लगेंगे। जो योजना बनाने के लिए कहा गया है, उसका प्रारूप सदन के सामने नहीं आया है। इस मद में आपको ज्यादा प्रावधान रखना चाहिए था ताकि कम समय में पेयजल सब ग्रामों में उपलब्ध किया जा सके।

(श्री परसराम मदेरणा)

वित्त मन्त्री जी ने पिछली सरकार की कमियों को रखते हुए उद्योगों का विकास कर रोजगार की पॉसिबिलिटी के सम्बन्ध में कहा है। राजस्थान में देश की 45% ऊन होती है जिसका कि हम बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। ऊन पर आधारित उद्योगों के बारे में उन्होंने गलीचे बनाने के उद्योग को काफी बल दिया है। कल प्रश्न काल में इसका जिक्र आया था। भेड़ पालन से जो ऊन प्राप्त होती है, यह बहुत बड़ा रा-मैटीरियल है, बहुत बड़ा धन है। इससे हम गरीब पशु पालकों के जीवनस्तर को ऊपर उठा सकेंगे। इससे राज्य की प्रास-पॅरिटी बढ़ेगी। लेकिन मुझे दुखः है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने 20 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की बात कही थी जब कि आपने 15 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की बात कही है। आप पूरी ऊन का उपयोग करना चाहते है, मैं समझता हूं कि यह कहने की बात ज्यादा है। इसके लिए आपने कोई ठोस प्रयास नहीं किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने बजट में 3 करोड़ 73 लाख की वृद्धि करके तालियां बजवाई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक हजार प्राथमिक शालाओं की बात थी आप ने उसमें से 480 कम कर दिये हैं और 520 रखे हैं। शिक्षा मन्त्री जी का थोड़े दिन पहले एक भाषण पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने लम्बी छलांग ली है शिक्षा के क्षेत्र में। वह लम्बी छलांग उन्होंने इसलिए ली है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोल दिए हैं। जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने वायदा किया है, चुनाव घोषणापत्र में कहा कि कुल 12 वर्षों में मिडिल तक की शिक्षा मिल जाये। जहां मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में चुनाव में यह वायदा किया है कि प्राइमरी और मिडिल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान की वर्तमान जनता सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल कम किये गये हैं। घोषणा पत्र के विपरीत यह कार्य आपने किया है। आप वायदे से मुकरे हैं।

इसी प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में 5 करोड़ 50 लाख की बात कही है। राजस्थान नहर के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जा रहे हैं। यहां सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि हम राजस्थान नहर के सैकिण्ड फेज को जल्दी ही पूरा करेंगे। मैंने भी उसका समर्थन किया था। वह सैकिण्ड फेज कब तक पूरा होगा इसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान की सिंचाई परियोजना चाहे माही एवं जाखम हो या राजस्थान केनाल हो-इन परियोजनाओं के लिये 5 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त राशि रखना राजस्थान को सिंचाई की दृष्टि से स्वावलम्बन की ओर ले जाने वाला संकेत नहीं है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आपने टार्गेट मुकर्रर किया है माइनर इरिगेशन का। पिछली सरकार ने जितना किया था, उससे आपने कम मुकर्रर किया है।

वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के पेज 10 पर उल्लेख किया है कि 1400 कुओं को वह गहरा करवाना चाहते हैं और 4,000 कुओं में पम्पिंग सेट लगवाना चाहते हैं। ए. आर. एफ. सी. की जो माइनर इरिगेशन की स्कीम्स चल रही हैं उसमें 76-77 में जो भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये थे उनका एक तुलनात्मक ब्यौरा यहां प्रस्तुत

(श्री परसराम मदेरणा)

करते हुए भूतपूर्व वित्त-मन्त्रीजी ने बजट भाषण के अन्दर इसका टार्गेट ज्यादा रखा था। जहां पर आपने चार हजार कुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है वहां उन्होंने 4400 का लक्ष्य रखा था। 2100 कुओं को गहरा कराने का उन्होंने लक्ष्य रखा था, आपने 1400 का रखा है। 4000 कुओं पर आपने पम्पिंग सेट लगाने का लक्ष्य रखा है जबकि भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने 5250 कुओं पर पम्पिंग सेट लगाने का लक्ष्य रखा था। आपने 1,10,000 मीटर पक्की नालियों के निर्माण का प्रावधान किया है लेकिन भूतपूर्व सरकार ने 1,17,000 मीटर पक्की नालियों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। इस तरह से माइनर इरिगेशन की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से समाज के सबसे गरीब तबके को लाभ मिलता है। आपने जहां अन्त्योदय की बात कही है, समाज के अन्तिम व्यक्ति के भाग्य का उदय करने का आप प्रयास करने जा रहे हैं, वहां इस प्रकार से वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने से वंचित रह जायगा।

इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो गरीबी हटाने की बात कही है। समाज का जो सबसे गरीब तबका है, मैं आपके स्टेटिस्टिक्स मानता हूं, मुख्य मंत्रीजी, 56.30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। 33 हजार गांवों में से प्रत्येक गांव में आप उन पांच परिवारों का अन्त्योदय करना चाहते हैं जो कि बहुत गरीब हैं। कुल मिलाकर 1 लाख 65 हजार परिवार आप इस वर्ष लेना चाहते हैं और 1 लाख 65 हजार परिवारों को आप स्वावलम्बी बनाने का विचार रखते हैं। इस योजना को आपने भारत के प्रधान मन्त्रीजी के सम्मुख प्रस्तुत किया और उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया और आपकी पीठ भी थपथपाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या किया ?

श्री मूलचन्द डागा : एप्रिशियेट किया और आपको शाबाशी दी, इससे आपका हौसला और बढ़ा है।

श्री शंकरलाल : समाचारों में ऐसा पढ़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने स्वयं कहा है कि हम इस मामले में पायोनियर हैं। आपने इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक चिन्तन किया है इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इस प्रकार की योजना भूतपूर्व सरकार ने भी 1971 में, जब कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर आयी थी, क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत इस देश में प्रारम्भ की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या की गई?

श्री परसराम मदेरणा : उस समय भी 232 परिवारों को आइडेन्टिफाई किया गया था। लेकिन बाद में घाटे की वजह से उन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं की जा सकी और उनको बन्द करना पड़ा। आपने 58 करोड़ का घाटा दिखाया है लेकिन आपने इसके लिए 25 लाख रुपया रखा है। तो क्या आप वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध करायेंगे ताकि उनकी जीविकोपार्जन की क्षमता में वृद्धि के लिए जो साधन चाहिए वह उनको उपलब्ध हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री परसराम मदेरणा)

जमीन के अलाटमेंट की बात तो आप छोड़िये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा।

आप इसको 25 लाख की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो क्या शेयर केपिटल के रूप में देना चाहते हैं या किस रूप में देंगे? यह सामने नहीं है। अभी जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस हिसाब से तो 1 रुपया 32 पैसे प्रति परिवार के होते हैं। तो क्या इस योजना में इस रफ्तार से चलने पर 30 लाख परिवारों की गरीबी मिट जायगी? इतना सा प्रावधान रखने से वे स्वावलम्बी बन जायेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तब तो यह सारी योजना साढ़े चार लाख में पूरी हो जायगी। आपको रूरल बैंक्स को स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है, गरीबों को साधन मुहय्या करने के लिए। भूमिहीन किसानों को ऋण मिल सके। इसके लिए रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी, आपने इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। आपको रूरल बैंक्स से एलर्जी है, यह मैं जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको कैसे पता लगा कि एलर्जी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका भाषण सोमवार को ध्यान से सुनूंगा। बीस सूत्री कार्यक्रम से आपको एलर्जी है लेकिन मिनिस्टर फोर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को है या नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि वह खुद भी एक बोर्ड के चेयरमेन थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी की तारीफ की है उन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कहा?

श्री सम्पत राम (मंत्री, संसदीय मामलात) : क्या शिकायत है मेरे से आपको?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बीस सूत्री कार्यक्रम की तारीफ की है।

श्री सम्पत राम : बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये किसी ने भी संसार में नहीं कहा कि रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। इसके जो रद्दी आस्पेक्ट्स हैं, जैसे संजय गांधी का प्रोग्राम और इसी तरह से दूसरे प्रोग्राम उनके लिए अवश्य कहा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, जनता सरकार का जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें उसने कई वायदे किये हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी कई बातें कही थीं। कृषि व पशु पालन के क्षेत्र में आपने पशु धन के बीमे की बात भी कही थी। यह कहा था कि उसकी सुरक्षा के लिये प्रावधान किया जायगा लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में फसल खराब हो गई है। वहां पर अक्सर अकाल पड़ता है। ऐसे क्षेत्र, जो हमेशा अकाल की चपेट में आ जाते हैं, के लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी और बीमा की भी आपने बात कही थी लेकिन इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

पहले बजट में रेडिमेड गार्मेन्ट पर पन्द्रह रुपये से नीचे जो छूट थी उसको आपने समाप्त कर दिया है। मुख्य मन्त्रीजी स्वयं जानते हैं कि 15 रुपये तक के कपड़े नेकर, कुर्ता, पाजामा वगैरह गरीब आदमी ही खरीद सकते हैं। इसको आपने छूट से मुक्त कर दिया है और तैयार वस्त्रों पर सेल्स टैक्स की दर 7 पर्सेंट से 5 पर्सेंट कर देने का प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि जो सौ-डेढ़ सौ रुपयों का कपड़ा खरीदने की क्षमता है वह तो बड़े आदमियों में हो सकती है। फिर आपको 15 रुपये तक के कपड़ों को कर मुक्त करने में क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासनिक मशीनरी के सामने यदि कोई उलझन है तो गरीब आदमी के ऊपर उस उलझन से बोझ पड़ता है, यह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अब आपको गरीबों के लिए दर्द हो रहा है, मुझे खुशी है।

श्री परसराम मदेरणा: कुल घाटा आपने 58.94 करोड़ का बताया है। आपने यह भी लिखा है, इस घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सहायता द्वारा कर पायेंगे।

जैसा कि मुख्य मंत्री स्वयं जानते हैं आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह घाटे का बजट है, इससे मुद्रा स्फीति होगी और मूल्यों में वृद्धि होगी, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। आपने वायदा किया था कि हम इन्कम, प्राइस व वेज पालिसी के संबंध में नीति निर्धारित करेंगे। इसका उल्लेख बजट में होना चाहिए था लेकिन आपने उल्लेख नहीं किया। मेरी मान्यता है कि कुल मिलाकर जो आज चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, उनका वित्त मंत्री ने कोई उल्लेख नहीं किया है। आपने स्वयं बजट के अन्दर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जून तक रिटेल और होलसेल प्राइसेज बढ़ी हैं।

इस भाषण में कुछ बातें छिपाई हैं, कम से कम वित्त मंत्रीजी से तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह सर्वोदयी हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि धरोहर के रूप में हमें भूखा-नंगा राजस्थान मिला है। येन केन प्रकारेण साबित करने के लिए तोड़ मरोड़ कर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सच्चाई तो हृदय से प्रकट होती है, वित्त मंत्री तो केवल बोलने वाले थे, कहलाने वाले कोई और थे। मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री से कहलवाया है, यह आपने अच्छा नहीं किया।

मैं समझता हूं कुल मिलाकर इस बजट में अनकवर्ड गैप है। हम पर आरोप लगाया कि रिसोर्सेज के बिना 11 करोड़ 4 लाख के अतिरिक्त व्यय को अनियमित घोषणा कर दी। आपने 28 करोड़ और 53 लाख का प्लान आउटले बढ़ाया, उसमें रिसोर्सेज की बात सोची है? रिसोर्सेज से आप कतराये हैं। कुल मिलाकर यह दृढ़ संकल्प और मजबूत सरकार का इशारा नहीं है बल्कि आपने ढिलमिल तौर पर यथावत् स्थिति रखकर वही प्राथमिकतायें कायम रखी हैं। कुल मिलाकर यह घाटे का बजट है और घाटे के बजट से इन्फ्लेशनरी टेन्डेंसी जो बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी पर उसका बोझ पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि दो दिन की छुट्टी है उसमें वित्त मंत्री सोचें और घाटे को पूरा करें ताकि अर्थव्यवस्था घाटे की न रहे और मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगाई जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस सरकार की तरफ से एक बिगड़े हुए बालक की तरह यह बजट सौंपा गया है और उम्मीद की गई है कि --

श्री मूलचन्द दागा : आपने कांग्रेस पार्टी को बिगड़ा हुआ बालक कैसे बना लिया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जी हां, बिगड़ा हुआ बालक वह होता है जिस पर किसी बात का असर ही नहीं हो ।

कांग्रेस ने एक बिगड़े हुए बालक की तरह बजट सौंपा है और उम्मीद की है कि इसे बहुत जल्दी दुरुस्त कर दें, बहुत जल्दी तरक्की हो जाय, यह ठीक हो जाय, मगर यह बहुत मुश्किल है । यह घाटे का बजट उधार पर आधारित है । किसी भी हालत में प्रदेश की तरक्की के लिए कोई अच्छी सम्भावना दिखाई नहीं देती कि राज्य में अच्छी तरक्की होगी । इस बजट में कुछ बचत की बात कही गई है करीब 8 करोड़ रुपए की । यह भी सम्भव नहीं है कि इन 5 महीनों में हम इतनी बचत कर सकेंगे । घाटे का बजट और बढ़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह खर्च का बजट है, यह राज्य की प्रगति के लिए बनाया गया बजट है । किसी भी राज्य की प्रगति बजट पर आधारित होती है । बजट कहां से आता है ? इस बजट के अन्दर जितना भी पैसा आएगा वह जनता की जेब से आएगा । इसके साथ हमें देखना है कि राजस्थान किस हालत में मिला ? मैं आंकड़ों के चक्कर में जाना नहीं चाहता । कल माननीय मथुरादास माथुर, जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, ने आंकड़ों का जाल बिछा कर लगातार 1½ घंटे का समय इस सदन का बरबाद किया ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बीच में न बोलें । 1½ घंटे की बात तो छोड़िए, 30 साल बरबाद किए ।

यह तरक्की कोई आंकड़ों से नहीं होगी राजस्थान को विरासत में मिल......

श्री सम्पत राम (मंत्री, संसदीय मामलात): अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय परम्परा के प्रतिकूल है । माननीय सदस्य आपस में सीधे वाद विवाद न करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ठीक है आपका सुझाव ।

हमें फ्यूडल व्यवस्था में जो राजस्थान मिला उसमें कुछ के पास बड़े बड़े महल और किले थे । यह इसके विकास और प्रगति की निशानी थी । बाकी सारा देश भूखा-नंगा था । अलग अलग राजधानियों में बड़े-बड़े महल, बड़े-बड़े किले और आलीशान कोठियां, बड़े बड़े बंगले थे । 30 साल के राज के बाद कांग्रेस ने एक पूंजीवादी दृष्टिकोण देश को दिया जिसका राजस्थान पर असर पड़ा है । फ्यूडल व्यवस्था के बाद कांग्रेस सरकार सेठों के पास गई, समाजवाद के नाम पर सारे के सारे गुनाह हुए । गरीबों के नाम पर बड़ी-बड़ी रियायतें धन्ना सेठों को दी गई । मुझे याद है 1957 में एक सदस्य की हैसियत से इस सदन में रहा । मैंने उस समय राजस्थान के सारे इलाके में घूम कर देखा, और आज 15 साल बाद देख

(श्री इन्द्रपतसिंह मकासर)

आया हूं। पूंजीवादी शक्ल कांग्रेस की देखी है। जितना रुपया 30साल में खर्च हुआ, वह रुपया जनता के पास पहुंचा, झुग्गी झोंपड़ियों में पहुँचा या सेठों के पास पहुंचा? यह पूंजीवादी व्यवस्था की देन है, सारे के सारे राजस्थान में हर जगह आलीशान कालोनियां बनी हुई हैं, कोई इंदिरा कालोनी, कोई 'सी स्कीम' कोई बापू बाजार, कोई बापू कालोनी-नाम बड़े सुन्दर हैं। आलीशान कोठियों पर 10–10 लाख रुपये खर्च हुए हैं और आम आदमी की वही हालत है। यह तरक्की हुई है कांग्रेस के समय में। तरक्की किस की हुई? क्या 75 पर्सेंट लोगों की तरक्की हुई? नहीं। आपने तरक्की हाकिमों की की। 'सी स्कीम' में चले जायं, वहां उन वकीलों की बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, जिन्हें मुकद्दमों से लूट का पैसा मिला है। दूसरे हैं, आई. ए. एस. व आई पी. एस. अधिकारी। जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं सब के पास बड़े-बड़े शहरों में कोठियां हैं। कहीं पर सुराणा भवन है, कहीं कमल एण्ड कंपनी का जहाज नुमा मकान है। दिल खोलकर पैसा लगाया गया है। अरबों-खरबों रुपए 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में चले गए। अध्यक्ष महोदय, जितना भी हमारी योजनाओं का पैसा था जो कि हमारी योजनाओं के लिए खर्च होना चहिये था, जिससे हमारे गरीबों को फायदा होना चाहिये था वह उनके पास न जाकर इन कांग्रेसी नेताओं और पूंजीपतियों की जेबों में गया। अगर सही ढंग से हमारी योजनाओं में वह पैसा खर्च होता तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की शक्ल ही कुछ और होती। आज हमारी जनता पार्टी को जो विरासत में मिला है वह सिर्फ भूखा और नंगा राजस्थान के सिवाय कुछ नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय, कल जब माथुर साहब बोल रहे थे और जो दूसरे कांग्रेसी लोग बोल रहे थे तो मुझे उनको देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब विधान सभा के चुनावों के परिणाम निकले थे और यहां पर जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था उस वक्त इन कांग्रेसी नेताओं के मन में एक बहुत भारी दहशत थी। इन्हें डर था कि पता नहीं, जनता पार्टी की सरकार हमारे पुराने जुर्मों के लिये क्या सजा देगी। इसलिये यह लोग बहुत ही घबराये हुए थे लेकिन आज मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इनके मन में वह दहशत नहीं है। यह लोग इन दो महीनों के अन्दर ही बहुत ही रिलेक्स महसूस कर रहे हैं। इन्हें मैं समझता हूं, यह अहसास भी होने लग गया है कि शायद पांच सालों के बाद वापस हम कुर्सी हथियाने में सफल हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात, जो कि यह सोचते हैं, जनता पार्टी की असफलता से होगी तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। इससे ज्यादा हमारे देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसका कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आज भी वह चान्डाल चौकड़ी कांग्रेस पर छायी हुई है जो कि दुबारा भारत पर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। मैं जनता पार्टी के नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपकी यही नीतियां रहीं और अगर आपने इन गुनहगारों के खिलाफ में एक्शन नहीं लिया तो हमारे देश की तरक्की कभी भी नहीं हो सकेगी। अगर हमें देश में तरक्की करनी है तो हमें न

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं जिन्होंने यहां और बाहर बड़ी कोठियां खड़ी कर रखी हैं, के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यह बड़े बड़े भवन यहां पर सेठों ने खड़े कर रखें हैं उन पर आपको टैक्स लगाना चाहिये और भारी टैक्स लगाना चाहिये। आपने इन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया ? आपको लगाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे राजस्थान की धरती के अन्दर बेशुमार दौलत भरी है। आज भी हमारी धरती के ऊपर बड़े-बड़े महल खड़े हैं, बड़ी कोठियां खड़ी हैं जो कि इन पिछले तीस सालों में इन कांग्रेसी नेताओं ने, बड़े-बड़े वकीलों ने, बड़े-बड़े अधिकारियों ने और बड़े-बड़े सेठों ने खड़ी कर रखी हैं। वह सभी काले धन की कमाई की है। वह कोई अच्छी कमाई की नहीं है। वह कोई खून और पसीने की कमाई की नहीं हैं। वह कोई मेहनत की कमाई की नहीं हैं। खून और पसीने की कमाई से एक व्यक्ति करोड़ों रुपये की सम्पदा नहीं खड़ी कर सकता। आज भी, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की, हमारे राजस्थान की 75 प्रतिशत से ज्यादा बेचारी जनता झुग्गी-झोंपड़ियों में रहती है। गरीब भी खुले आकाश के नीचे बैठा हुआ है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने उन गरीबों के भले के लिये उन बड़े-बड़े अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया ? आपको लगाना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : इन कोठियों को जब्त कर लो।

श्री मूलचन्द डागा : जब्त के आज ही आर्डर निकल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने इस बार लोटरी को समाप्त किया है। यह एक अच्छा कदम है। इसका सभी जगह स्वागत किया गया है।

आपने जो भवन-कर पुरानी कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया वह वापस शुरू किया, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व मन्त्री जी को बहुत ही रहम आ रहा था और वह बहुत ही फिदा हो रहे थे कि पांच परिवारों को हर गांव से अपलिफ्ट किया जायेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि कर में आपने जो पचास हजार तक के भवन हैं उनको फ्री कर दिया, वह तो ठीक है, चलो आपने एक लाख तक के मकान पर टैक्स की छूट कर दी है लेकिन इतनी छूट देने के बाद में आपने जो टैक्स की रेट्स रखी थीं वह रेट्स अधिक रखनी चाहिये थीं। उनको अपग्रेड कर ज्यों ज्यों सम्पत्ति बढ़ती त्यों त्यों बढ़ानी चाहिये थी ताकि राज्य सरकार को आमदनी होती। ऐसा करके धनी वर्ग के लोगों से और काले धन से खड़े किये हुए भवनों के मालिकों से अगर आप ज्यादा टैक्स लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तरक्की भी राजस्थान की धन की आमद से कर सकते थे वरना आप कैसे राजस्थान की तरक्की करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेसियों ने पिछले तीस सालों में बड़ी बड़ी हवेलियां बना लीं, जिनके पास कुछ नहीं था, वह इन तीस सालों में लखाधिपति बन गये। इन लोगों ने समाजवाद का नारा देकर गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ा इन्होंने रिश्ता

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जोड़ा बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिकों से, सेठों से और लाखों रुपये कमाये। ऐसी स्थिति में आपने आधा प्रतिशत टैक्स ही लाख रुपये के ऊपर वाली हवेलियों पर क्यों लगाया ? इससे अधिक क्यों नहीं लगाया? इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो वेल्यूएशन हो रहा है वह भी ऐसा है कि दो लाख के बंगले का एक ही लाख रुपये का वेल्यूएशन करते हैं। आप चाहे एक लाख तक हवेली को एग्जेम्पशन दे दें। लेकिन लाख रुपये से ऊपर वाली हवेलियों के मालिक जो हैं उनकी कमाई मैं असली कमाई नहीं मानता हूं, उन लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर या और किसी से इधर-उधर का पैसा लेकर यह हवेलियां खड़ी कर रखी हैं, वह पैसा, अध्यक्ष महोदय, हराम की कमाई का है। उसको इनसे छीना जाना चाहिये। उसको छीनकर गरीबों में बांटा जाना चाहिये। आपने सात लाख तक एक प्रतिशत ही टैक्स रखा। आप इसको डबल ट्रिबल कीजिये। ज्यों ज्यों कीमती हवेली हो उस पर टैक्स को अपग्रेड करते जाइये। आज इन लोगों को आपने कितनी फैसिलिटीज दे रखी हैं। इनके मकानों के चारों तरफ आपने बिजली व सड़कों का जाल बिछा रखी है। आज आपने इनके लिये बड़ी बड़ी सुन्दर कॉलोनीज बना रखी है। आपने ट्यूब लाइट्स इनके बंगलों के चारों तरफ लगा रखी हैं। सभी फैसिलिटीज आपने इनको दे रखी है। पर गरीबों के लिये कुछ नहीं किया। यह सभी आपको इनके बंगलों के ऊपर टैक्स लगाकर वसूल करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस के मन्त्रियों ने राजाओं की तरह हाथियों पर सवारी नहीं की। वह कहते हैं, राजाओं की तरह हाथियों पर सवारी मत करो, आप तो इन पूंजीपतियों से मिलकर बड़े बड़े होटलों को लो, बड़ी-बड़ी कम्पनी खोल लो। होटलों में रहो, आलीशान जिन्दगी बिताओ और मौज करो। हाथियों पर क्या घूमते हो ? सब समाजवाद का झूठा नारा देने वाले और हरिजनों के नाम पर, हरिजनों के विकास के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपये बनाये हैं। अकाल के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज एक तरफ तो राज्य की 75 प्रतिशत जनता के पास रहने को मकान नहीं, लोग खुले आकाश के नीचे रहते हैं। दूसरी तरफ यह अमीर लोग, बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता लोग, बड़े धनी लोग टाटा, बिड़ला भरतराम चरतराम, बीकानेर के रामपुरियाज ने करोड़ों रुपये की हवेलियां और होटल्स ले रखे हैं। इन पर भारी टैक्स लगाने की जरूरत है। आज भी, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के अन्दर जुनागढ़ महल है सिर्फ बीकानेर में ही नहीं जगह जगह बड़े भवन पड़े हैं। आपको उन्हें लेना चाहिये। उन पर टैक्स बढ़ाना चाहिये। वह खून-पसीने की कमाई से बनाये हुए नहीं। यह सात लाख, दस दस लाख के भवन अपनी पैदाइश से साथ लेकर नहीं आये। आज हमको गरीब लोगों के बच्चों के होस्टल्स के लिये जगह नहीं मिल रही है। आप को चाहिए कि उन्हें इन मकानों में रखें। आज भी बीकानेर में रामपुरियों की हवेलियों में, जूनागढ़ के महलों में कोई नहीं रह रहा है। वह खाली पड़े हैं। बड़े बड़े सीमेन्ट के लोहे के सरियों से बने हुए भवन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

खाली पड़े हैं। आपने राजस्थान कैनाल का दफ्तर बनाने के लिए धन खर्च किया। मैं समझता हूं, आपने यह अपव्यय किया। आपने यह दफ्तर जूनागढ़ महल या रामपुरियों की हवेलियों में क्यों नहीं रखा? इतने बड़े-बड़े भवनों में कोई नहीं रहता है। वह खाली पड़े हुए हैं। वहां एक दो आदमी तो उनकी सम्भाल के लिये रखे जाते हैं। वहां पर इन्सान नहीं रहते हैं कबूतर रहते हैं। वह बरबाद हो रहे हैं। ऐसा कहां जाता है कि खाली मकान पड़ा-पड़ा बरबाद हो जाता है, वह गिर जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उन्हे बरबाद होने से बचाइये। आप उनको अपने हाथ में लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : हां हां, जल्दी आर्डर निकाल कर जब्त कर लो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आपने ढाई हैक्टेअर तक की जमीन पर लगान माफ किया लेकिन मेरा कहना है कि वह तो ठीक है लेकिन इसके ऊपर जो जमीन के मालिक हैं आप उनसे लगान वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको चाहिये कि इस लगान की कमी से जो राजकोष में कमी हुई है उसकी भरपाई आप पांच हैक्टअर से ज्यादा जमीन जिसके पास है उस पर ज्यादा लगान लगा कर कीजिये। इसमें दिक्कत क्या है? हमें राजस्थान की प्रगति के लिये अगर टैक्स लगाने की जरूरत है तो उन पर लगाना चाहिये। आज राजस्थान की 75–80 प्रतिशत जनता के विकास के लिये अगर आपको इन बीस प्रतिशत लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है तो लगाना चाहिये। इनके पास जो पैसा है वह मेहनत और मसक्कत का नहीं है। आप इनको छोड़िये मत। इनसे दोस्ती मत रखिये। आप गरीबों से दोस्ती रखिये। सभी से दोस्ती नहीं चलेगी। आप चाहते हैं लालाजी से भी दोस्ता रखें, आप चाहते हैं मिर्धाजी से भी दोस्ती रखें, आप चाहते हैं राजा–महाराजाओं से भी दोस्ती रखें और आप चाहते हैं कि हुकूमत भी करें तो यह सब बातें नहीं चलेंगी। आप चाहते हैं कि हुकूमत आपकी पार्टी के पास रहे तो आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी वरना लोग नहीं सुनेंगे और नहां मानेंगे। आज कांग्रेस के लोग रिलेक्स हो कर बोल रहे हैं। मेरी पार्टी ने बार बार कहा है कि गुनहगारों को सजा दें। जिन्होंने देश की प्रगति में बाधा डाली है, जो देश को गलत रास्ते पर ले गये और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको सजा दो। संजय गांधी के दौरे की बात कही। क्या किया है आपने उन गुनहगारों के खिलाफ? $2\frac{1}{2}$ महीने हो गये आपको शासन में बैठे हुए। लाखों रुपया जिन जिन अधिकारियों के द्वारा खर्चा किया गया, उनसे क्यों नहीं वह वसूल किया जाय? क्यों नहीं अब तक आपने इस पर विचार किया? टैक्स आप बढ़ाओ। हम इन्कार नहीं करते पर बजाज स्कूटर पर 2 हजार का ब्लेक चल रहा है। सरे आम बिक रहा है। पिछले एक महीने में गंगानगर में 10 स्कूटर गये हैं। किसके नाम से जाते हैं? बीच में जो दलाली करते है वे मालामाल हो रहे हैं। आप उनको पकड़िये। लक्जरी की चीजें हैं उन पर आप खूब टैक्स लगाइये। कोई रोकेगा नहीं आपको। इसलिये मैंने कहा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

था कि आपकी दिलचस्पी प्रगति में नहीं है। कांग्रेस की दिलचस्पी प्रगति में होती, अगर मथुरादासजी माथुर की दिलचस्पी प्रगति में होती तो आज यह स्थिति नहीं होती कि राजस्थान के 20 हजार गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी मुल्जिम है तो कांग्रेस पार्टी है। जनता पार्टी इसकी दोषी नहीं होगी। कौन जिम्मेदार है इसके लिये ? कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए ? आप जिम्मेदार हैं इसके लिये। आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम अगर कोई है राजस्थान में तो वह खारे पानी की है। दो पांच सात करोड़ का प्रावधान करके ही नहीं चलना चाहिये। हमें तो काम करके बताना चाहिये कि दो साल में हम पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पैसा कहां से आवेगा? यह तो बता दीजियेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत है। खूब पैसा है। हिन्दुस्तान के सारे धनकुबेर राजस्थान से गये है। राजस्थान के बड़े राजा महाराजा यहां पर रहे हैं। सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। मर्जी आये उतना उनसे पैसा लें। पैसे की कमी नहीं है। राजस्थान के अन्दर बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा पड़ा है। हिन्दुस्तान के बैंकों में पैसा है बैंकों द्वारा पैसा नहीं मिला तो लोगों ने कहा था कि राजस्थान के बैंक कम कर्जा देते हैं और कम कर्जा मिलता है। आपकी यदि नीति दृढ़ हो, आपके विचार यदि सही हों तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से आप प्रगति कीजिये।

आज राजस्थान के 75 फीसदी किसान अकाल की छाया में हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग आज अकाल की छाया में है। यह भी विरासत में मिला है। इसका मुकाबला करना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह उपदेश अपने घर से शुरू करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य आपके पास हुकूमत रही है। मेरी पार्टी से आप क्या चाहते हैं ? मैं तो आपकी जेलों में रहा हूं मैंने अपनी जवानी दी है। आपने सीलिंग से अधिक जमीन नहीं दी। 30 बीघा जमीन सबसे पहले मैंने दी, मेरे परिवार ने दी। आपने यह तथ्य छिपाये रखा। सरकार सीलिंग लागू नहीं करती थी तो आपकी सरकार नहीं करती थी। जागीरदारों से दोस्ती थी तो आपकी सरकार की थी। आपकी कमजोरी है। मैंने इससे पहले भी कहा है। सीलिंग कानून के बारे में आज आप चुप्पी क्यों साधे हैं ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। क्यों रहे लालाजी के पास कारखाना भी, दुकानें भी, कारखाने भी और जमीन भी ? ये सारी बातें नहीं चलेगी। एक धन्धा अपना लें। अगर तहसीलदार साहब को तहसीलदारी करनी है तो उनको जमीन नहीं मिलेगी। जमीन लेनी है तो तहसीलदारी नहीं मिलेगी। एक बात चूज कर लें। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जहां भी नहरी इलाका चाहे वह जवाई बांध हो, चाहे चम्बल बांध हो या राजस्थान कैनाल बांध हो मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जमीन की लिस्ट मंगाइये

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपको पता लगेगा कि कलेक्टर के पास जमीन है, आई. जी. पी. के पास जमीन है, सेठों के पास जमीन है, नेताओं के पास जमीन है, मिनिस्टरों के पास जमीन है। दुनिया भर के लोगों के पास लाखों बीघा जमीन नाजायाज है। आप मंगाइये लिस्ट मैं आपके सामने बताऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जमीन रहेगी तो एम. एल. ए. नहीं रहेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नाजायज जमीन उनके पास है। आपको बेशुमार दौलत मिल जावेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर नेतागिरी कैसे चलेगी ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : नेतागिरी नेतागिरी जमीन से नहीं चलती। आपने दलाली करके चलायी है। ऐसे नहीं चलेगी वह तो काम करने से चलेगी।

तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

खुला दौर चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह कौनसी संसदीय भाषा है खुला दौर चल रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खुला दौर चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जनता पार्टी की हुकूमतें बनने के बाद बाकी राज्यों में राजनैतिक बन्दियों के बारे में फैसला हो चुका है। नक्सलाइट छोड़े जा चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गृह मंत्री प्रगतिशील विचारों के हैं और आप एक डायनेमिक मुख्य मंत्री हैं, फिर भी आज तक राजस्थान में किसी भी राजनैतिक बन्दी या राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर चलने वाले मुकदमे वापिस नहीं उठाया गये। $2\frac{1}{2}$ महीने गुजर रहे हैं। रोज तारीखों और पेशियों पर जा रहे हैं। उन अधिकारियों को दंडित करना तो दूर रहा, यह भी क्या कानसिंह कमेटी के जिम्मे हो गया, आपने अब तक उनके विषय में कुछ नहीं किया। इमर्जेन्सी के दौरान कितने ही अधिकारियों ने जुल्म किये, कितने ही भ्रष्ट अधिकारियों ने जुल्म किये, आपने उनको भी कान सिंह कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कानसिंह कमेटी की रिपोर्ट साल में, दो साल में आवेगी। जितनी शिकायतें आवेंगी उनसे कैसे निपटा जायेगा? मेरा निवेदन है कि राजनैतिक कार्यकताओं पर मुकदमें नहीं चले। बाकी स्टेट्स में सब को छोड़ दिया सिवाय नक्सलाइट के, फांसी की सजा वालों के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : शंकर गुप्ता का मामला वापस ले लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शंकर गुप्ता का हमने नहीं लिया वापस।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कार्यवाही करा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कार्यवाही करने जैसा भी नहीं छोड़ा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरी बात मैं अर्ज करने जा रहा था वह यह है कि नक्सलाइट्स हैं, अभी डूंगरपुर जिले में पांच नक्सलाइट्स को सजायें हुई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप भी उसी सन्दर्भ में, जिस तरह से अन्य राज्यों ने छोड़ा है उसी तरह से जो गलत मुकद्में बनाये गये हैं उन्हें छोड़ने का विचार कीजिए। जिनको राज्य सरकार नक्सलाइट्स कहती है वह है या नहीं ? उनको बीस बीस साल की सजायें दी हैं। और भी अन्य राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं। कोटा के अन्दर एक जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया वह बीस बीस साल की सजायें भुगत रहे हैं। वह आखिर न तो डेकोइट्स हैं और न कोई एन्टी सोशल हैं। वहां इस तरह की स्थिति पैदा की गई थी। आज वह बीस बीस साल की सजायें काट रहे हैं। आप उनके ऊपर विचार कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं उम्मीद कर रहा था कि राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर जिस जमीन की कीमत 17 हजार थी उसकी 34 हजार कर दी थी, उस जमीन की कीमत को कम करेंगे और हरिजनों को और भी कम कीमत पर आप देंगे। हम हरिजनों को रियायतें दें। यह बात बहुत जरूरी है कि वे हमारे साथ रहें। ये लोग हमारे दुश्मन के साथ नहीं जाने चाहिए हमारे साथ आने चाहिये। यह ऐसा वर्ग है जिसको 30 सालों से नारों के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। आज भी गांवों में उसी तरह की छुआछूत और उसी तरह की हालत है और उसी तरह के उन पर जुल्म हो रहे हैं। आप भाषण सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि देश का ट्रेण्ड किस तरफ जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी शार्ट में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कृपया अपना भाषण दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं अभी तो 20 मिनट ही बोला हूं। मैंने 1.10 पर बोलना शुरू किया और अभी 1.30 ही हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते आधा घण्टा हो गया। आपके दल को केवल 15 मिनट मिले हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं अभी बहुत जल्दी खत्म करता हूं।

आखिर में, मैं एक और बात कहने जा रहा हूं कि हरिजनों के लिए, बेकारों के लिए और इसके साथ ही साथ खारे पानी के क्षेत्र के अन्दर मीठा पानी मुहय्या करने के लिए, इन तीनों काम के लिए आप स्पेशल टैक्स लगाइये, इसके लिए अलग से टैक्स लगाइये जिस तरह से पंजाब में लगाया हुआ है। वहां पर गांवों में हरिजनों के लिए धर्मशाला बनाई गई हैं। अगर हरिजनों के घर में बारात आ जाये, कोई दो आदमी आ जायें, कोई गैस्ट आ जायें, कोई त्योहार हो या कोई ऐसा दिन हो तो उसके लिए उनके घरों में ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिस तरह पंजाब में हरिजनों के लिए धर्मशालायें बनाई गई हैं उसी तरह से हमारे यहां भी बनाई जानी चाहिये। इसी तरह से खारे पानी के क्षेत्र में मीठा पानी मुहय्या करने के लिए आप अलग से टैक्स लगायें, बेकार लोगों के लिए अलग टैक्स

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

लगायें। इसके साथ ही साथ हरिजनों के लिये टैक्स लगायें। तीन कामों के लिए अलग स्पेशल टैक्स लगायें राजस्थान में। लोगों को इससे कोई परेशानी की बात नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि आपने अन्त्योदय योजना में पांच परिवार छांटने का कहा है। यह ठीक है, अच्छी बात है, । मगर कोई पाँच हजार का भी गांव है, किसी ढाणी में पांच घर भी हैं और किसी गांव मे पचास घर भी हैं। एक तरफ दस हजार की आबादी के भी गांव हैं। तो आप इस कानून को लागू करते समय यह तय कर दें कि हम 100 घरों के ऊपर दो लोगों को छांटेंगे। ताकि इससे गड़बड़ी नहीं हो।

मैं अब दो शब्दों को पढ़ना चाहूंगा जो कि इस बजट भाषण में कहे गये हैं–"यह शांतिमय क्रांति इन्हीं मेहनतकशों के खुरदुरे हाथों का चमत्कार है। झुग्गी-झोंपड़ियों से उगी इस क्रान्ति को हम भ्रष्ट प्रशासन व गन्दी राजनीति में ग्रस्त नहीं होने देंगे।" यह बहुत बड़ी बात कही है आपने। इसका ख्याल कीजिये। इसके साथ ही साथ आपने दूसरी बात कही है विदेशी छाप समाजवाद की। अब हम गांधीवादी समाजवाद लायेंगे। जनता पार्टी की मन्शा यही है, मेरे ख्याल से। इससे पहले कांग्रेस सरकार चाहती थी कि हमारा भारतीय समाजवाद हो। इन्दिरा जी और संजय जी कहते थे कि वह समाजवाद नहीं है, हमको तो भारतीय समाजवाद चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवाद शब्द आज से 150 साल पहले मार्क्स ने ईजाद किया था। समाजवाद आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होगा। लोगों ने अलग अलग समाजवाद का नाम लेकर अपनी अपनी चमड़ी बचानी चाही। आज आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिये, बंगला देश की हालत देख लीजिये। लंका में श्रीमती भण्डारनायके ने कहा कि हमारा समाजवाद यह होगा और इन्दिरा जी ने कहा कि हमारा समाजवाद यह होगा। यह सब नकली समाजवाद है। देश में जब तक असली समाजवाद नहीं लागू होगा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : चीन का समाजवाद लाना चाहते हैं क्या आप ? आप किस का समाजवाद लाना चाहते हैं ? कौन सा समाजवाद लाना चाहते हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : समाजवाद की तो परिभाषा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : Whether it is Chinese Socialism or Russian Socialism ? What type of socialism do you want? I want to know that.

श्री श्योपत सिंह मकासर : समाजवाद की परिभाषा मार्क्स ने की है। आप जरा पढ़ें। आपने हो लैला मजनूं की किताब पढ़ी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लैला मजनूं की किताब तो आपने भी पढ़ी है और मैंने भी पढ़ी है। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना था कि समाजवाद की व्याख्या ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो फर्जी लंबी चौड़ी बात करते हैं। आप कौन सा समाजवाद चाहते हैं ? आप कहें तो।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय महोदय, मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक समाजवाद वह समाजवाद है जहां शोषण नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य: Socialism has been defined by various people. Mr. Pradyumna Singh is trying to know what type of socialism do you want?

श्री श्योपत सिंह मकासर : समाजवाद की परिभाषा बिलकुल साफ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह समाज जिसमें शोषण नहीं हो। जहां सारे के सारे उत्पादन के साधन जनता के हाथ में हों वही समाजवाद होता है। कौन लागू करेगा समाजवाद ?.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एक सैकिण्ड में समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाकिस्तान के समाजवाद की आपने बात कही, लंका के समाज वाद की बात कही। वह सब नकली थे, तो असली आपका कौन सा है समाजवाद ? वह बता दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे आप गांधी वादी समाजवाद लायें लेकिन उसको लागू कौन करेगा। कोई गांधी के विचारों का आदमी होगा जो लागू करेगा। मैं 15 साल पहले आया था और आज भी देखता हूं। मै आफिसेस में जाता हूं तो देखता हूं कि अब तो सारा कुछ बदल गया। सारे के सारे दफ्तरों में जैसे अरब के शहजादे बैठे हैं। उनकी सेवा में पचास पचास हजार की गाड़िया हैं, जीपे हैं, एयर कन्डीशन्ड आफिसेस हैं। डनलप के गद्दे हैं हर जगह बहुत बढिया। इस तरह से लोगों को दफ्तर में बैठाकर गांधीवादी समाजवाद नहीं ला सकते। इसलिये जिन लोगों की जिम्मेदारी है राजस्थान के अन्दर राजस्थान की तरक्की की उन लोगों को गांवों में जाना पड़ेगा। हमारे मिनिस्टर तो साधारण ढंग से रहते हैं हमारे मिनिस्टर का आफिस देखें, बिल्कुल साधारण मिलेगा। लेकिन आप किसी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का आफिस देखें चाहे, वह पी.डब्ल्यू. डी का हो, चाहे इरिगेशन का हो........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसी भावना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

(दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना)

सदन की अवमानना

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, जो गेलरी से बोल रहे हैं, मेहरबानी करके उन के खिलाफ कार्यवाही की जाये। वाच एण्ड वार्ड वाले उनको आपके सामने उपस्थित करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Some action should be taken against him. यह सदन की परम्परा रही है, कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बजरंगलाल ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा सुझाव है, जिस भी भाई ने नारा लगाया है, उसको आपके चैम्बर में बुलाकर बात कर लें ।

परिवर्तित आय-व्ययक 1977-78 पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने इस पृष्ठभूमि में मुझे बोलने का मौका दिया जब कि कुछ देर पहले ही विरोधी दल के माननीय नेता श्री परसराम मदेरणा बोले थे और उसके बाद सी.पी.एम. के माननीय नेता श्री श्योपतसिंह जी बोले । मैं किस दिशा से बोलूं, इस पृष्ठभूमि में क्या बात कहूं जो सदन को उचित लगे, मैं समझ नहीं पाया ।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो जनता पार्टी की बात कहें ।

श्री रतनलाल वर्मा : आप अली बाबा चालीस चोर का किस्सा सुनायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अली बाबा तो कर्नाटक चले गये, उसके बाद आन्ध्र-प्रदेश गये, फिर कर्नाटक,उसके बाद यहां आ तो गये,मुझ से मुलाकात नहीं हुई । माननीय रतनलाल जी से मुलाकात हुई हो तो वे ही सुना दें ।

यह बजट जनता सरकार का पहला बजट है । वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर बजट पेश किया है, बहुत खूबसूरत बजट पेश किया है यहां तक कि हमारे खेतसिंहजी को कहना पड़ा कि बजट उम्मीद से ज्यादा अच्छा है । जैसी वह उम्मीद कर रहे थे उससे उल्टा हुआ है । उम्मीद करते थे बजट खराब आयेगा । लेकिन बजट उम्मीद से ज्यादा अच्छा आया । विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि बजट मौलिक है । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इसके लिये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं ।

आपको याद दिलाऊं, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी की रहनुमाई में लड़ी गई थी । आजादी के बाद उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि जो भी काम हो उसकी एक ही कसौटी हो और वह यह कि गरीब का कैसे भला हो । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी का वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ है । जैसे हमारे माननीय नेता चौधरी चरणसिंह जी, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था, देश की आजादी के बाद पहले शासक बने जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं और कहा गरीबी को मिटाकर रहेंगे । 30 साल तक यह चलता रहा। उसके बाद लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में फिर से आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी, जनता पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी का यह पहला बजट आपके सामने है । इस बजट से साफ जाहिर होता है, माननीय वित्त मंत्री जी ने जैसा कहा कि जिन खेतिहर लोगों, का आज तक शोषण होता रहा, उन को दृष्टि में रखकर बजट बनाया गया है । आखिर 30 वर्ष तक कोई ऐसा बढ़िया बजट न दे सका जिसमें गरीब को ध्यान में रखा हो । आदरणीय जगजीवन जी बाबू ने जब कांग्रेस छोड़ी तो लोकसभा के चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि नेहरू परिवार का

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

गरीबी के साथ संबंध नहीं रहा, उसी परिवार ने यह कहा कि हम गरीबी मिटा देंगे। आज गरीब के दिलों से निकलकर वे लोग आये हैं जिन्होंने खुद गरीबी देखी है। आज जो जनता पार्टी ने पहला बजट प्रस्तुत किया है इस बजट में सबसे अधिक इस चीज को ध्यान में रखा गया है। मैं कहना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी मुबारकबाद के काबिल हैं।

आपने फर्माया कि मैं किस्सा सुनाऊं। एक किस्सा याद आता है। हदीस में एक किस्सा आया है। एक पैगम्बर ने जब एक मस्जिद पर जाकर भीख मांगी तो मोहम्मद साहब ने भीख मांगने को मना किया और कहा कि जाओ रोज जंगल से लकड़ी लाओ। फिर इस तरह से मजदूरी करते करते उसमें स्वाभिमान जागा और भीख मांगना छोड़ दिया। आज जो अन्त्योदय की योजना है वह इसी तरह की है। वह एक गरीब को स्वाभिमानी बनाने की नहीं है बल्कि एक वर्ष में 1 लाख 65 हजार लोगों का उत्थान करने की है। इसके लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं बजट आने से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीबी हटाने की घोषणा कर दी थी। मैं आशा करता हूं क्योंकि यह पहला कदम इस देश में पहली बार आपने उठाया है जिसके द्वारा एक पैगम्बर के मुकाबले में आप 1 लाख 65 हजार लोगों का उत्थान करेंगे इसलिये भैरोंसिंह जी आप भारत के इतिहास में इस कदर पापूलर हो जायेंगे कि लोग घर घर आपका फोटो लगायेंगे। आपने गरीबी हटाई है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी, इन को जरूर मंत्री बना दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने आपकी तरह से दल नहीं बदला है ताकि टिकट मिल जाय और टिकट नहीं मिला तो वहां से हटकर स्वतंत्र चुनाव लडूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरे मित्र हैं, मैं चाहूंगा कि आप मंत्री हो जायें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय सदस्य, मैं सदा दूसरों के केसेज को प्लीड करता रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं जैसा माननीय श्री मथुरादास जी माथुर ने कहा, योजना अच्छी है, मौलिक है। हम इस योजना को लेकर चलेंगे।

(1.40 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

गरीबों के प्रति जो आपकी थोथी नारेबाजी रही है, उसको रोकेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, यह योजना कामयाब होगी। एक शिकायत माननीय मथुरादासजी की रही कि इसके लिए 25 लाख का प्रावधान किया है। वे आगे बढ़ते तो देखते कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिस काम के लिए जितनी आवश्यकता होगी, उतनी ही धनराशि की व्यवस्था करेंगे। आप ध्यान देंगे इस बात पर तो एक कल्पना आपके मस्तिष्क में आयेगी। जो पिछले 30 वर्ष का शासन था उसमें मानव कितना कराह रहा था, कितना त्रस्त था, कितना दुखी था, भरपेट गुजारा नहीं कर पा रहा था वह भी आज इस बजट की तारीफ कर रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को एक शिकायत जरूर करूंगा और वह है मद्य निषेध के सम्बन्ध में। इस शिकायत को मानें या न मानें, आपकी मर्जी है लेकिन मैं कहूंगा

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कि मेरे क्षेत्र में शराब बन्दी अवश्य की जाय। यह वह क्षेत्र है जिसमें वे स्वयं रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र का जरा ध्यान कीजिये। वहां राज्यपाल महोदय निवास करते हैं, वहां मंत्रिगण निवास करते हैं, अनेक विधायक निवास करते हैं और वहां सारे राजस्थान का कारोबार चलता है, हजारों मजदूर वर्ग के लोग वहां निवास करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी उस वर्ग से आये हैं और माननीय वित्त मंत्री का सारा जीवन ऐसा जीवन रहा है कि पहले अपने आचरण में लाओ और फिर कूद जाओ उस क्षेत्र में। इसलिये मेरा भी निवेदन है कि पहले नशाबन्दी वहां करें और फिर दूसरी जगह। केवल इसलिये कि हमारा आचरण और चलन एक जैसा हो। जहां राज्यपाल महोदय रहते हैं, वहां शराब बन्द जहां विधायकगण रहते है वहां शराब बन्द और जहां मंत्रिगण रहते हैं वहां शराब बन्द तो फिर यह चीज अन्य जगहों के लिये भी लागू होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आप सभापति के रूप में विराजमान थे तब भी मैंने कहा था कि यहां ही वह स्थान है जहां रघु सिन्हा निवास करते हैं, यहां ही वह स्थान है जहां बिड़ला का भवन है, यहां ही वह जगह है जहां पोद्दार पार्क है, यहां ही वह स्थान है जहां कमानी हाउस है. यही वह जगह है जहां रामबाग पैलेस होटल है और यहां ही वह जगह है जहां क्लार्क होटल है जहां प्रति दिन शराब के दौर पर दौर चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, साधारण शराब नहीं चलती है इंडियन व्हिस्की नहीं चलती है अंग्रेजी स्काच चलती है जिसकी 800-800 रुपये की बोतलें आती हैं। एक बार, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, राजस्थान पत्रिका ने लिखा था कि पांच बजे जब लोग घूमने जाते हैं तो लोग बोतलों का अम्बार लिये हुए खड़े मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेच्यू सर्किल पर मिर्जा राजा जयसिंह की मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इस तरह शराब की खाली बोतलों को उसके आस पास में बिखेरा जायगा। उसकी दुर्गन्ध वहां चारों ओर मंडराती रहेगी ऐसी कल्पना न तो उन्होंने की होगी और न उनके ध्यान में ही होगी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह शिकायत करता हूं कि यह क्षेत्र उनके ध्यान में अवश्य रहना चाहिये और मद्य निषेध वहां से प्रारम्भ होना चाहिये। यही वह जगह है जहां मान इन्डस्ट्रीज के मजदूर निवास करते हैं, यही वह जगह है जहां लोको वर्कशाप के मजदूर रहते हैं, यही वह जगह है जहां स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के मजदूर निवास करते हैं, यहीं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के कर्मचारी निवास करते हैं और अनेक इन्डस्ट्रीज इस क्षेत्र में हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यही वह क्षेत्र है जहां राजस्थान की सर्वाधिक संख्या में मजदूर निवास करते हैं। जब यहां शराब बन्दी नहीं होगी तो अन्य क्षेत्रों में उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

एक तीसरा पहलू भी है और वह यह है कि शराब पीने की पूरी छूट इस क्षेत्र में है लेकिन कन्याओं की शिक्षा के लिये सैकेन्डरी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई स्कूल आपने उस क्षेत्र में नहीं खोला है। एक ओर आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं और

(श्री बजरंगलाल)

साथ ही यह भी कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना कर रहे हैं जितना 30 साल में नहीं हुआ है फिर भी इस क्षेत्र में कन्याओं के लिये आज भी सेकेन्डरी स्कूल नहीं खोला है। शिक्षा की प्रगति माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी के हाथों मे है लेकिन इस लालित्य के नीचे एक चीज और भी है जिसका पूरा जिक्र मैं किसी और वक्त पर करूंगा, आज इस बात में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अन्दाज कीजिये बजट में यह कहा गया है, पिछली सरकार ने जो अधूरे काम छोड़े हैं, उनको पूरा करना है। पिछली सरकार ने 1000 प्राइमरी स्कूल और 500 प्राइमरी स्कूलो को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया था। इस बजट में 520 प्राइमरी स्कूल रह गये। जनता पार्टी द्वारा रिट्रोगेट स्टेप्स लिये जाय तो मैं समझता हू कि यह कतई उचित नहीं है। फिर भी शिक्षा मंत्रीजी यह कहें कि जनता पार्टी के मेनीफेस्टो मे 12 वर्ष तक के सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी तो मैं कहूंगा, मेरे क्षेत्र में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी को दावे के साथ कहता हूं, वे मेरे साथ चल कर देखें कि इस क्षेत्र में शिक्षा के बारे में क्या प्रगति है। मैं तो यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बजट मे शिक्षा के लिये वह व्यवस्था नहीं है जो उस बजट में थी, जो 30 मार्च, 77 को पेश किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि प्रशासनिक खर्च में कटोती करने से पांच करोड़ रुपयों की बचत होगी। आखिर प्रशासनिक खर्चों में कमी करने की आवश्यकता क्यो पड़ी? अभी उधर से माननीय ज्योपतसिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में दौरों पर काफी खर्चा हुआ है और जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। बजट चाहे जितना मांगिये लेकिन अगर इस प्रकार फिजूल खर्ची के दौरों को रोका नहीं गया तो स्थिति और भी भयंकर होगी और कोई बचत नहीं हो पायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रशासनिक खर्चे में बचत की बात कही लेकिन बजट में बहुत कम बचत की बात है। मैं चन्द मिसाल देना चाहता हूं। राजस्थान में कितने ही ऐसे कमिश्नर्स हैं जिनके पास आफिसियल कार है। कमिश्नर के पास कार की क्या आवश्यकता है? वह घर से सेक्रेटेरियट जाता है और सेक्रेटेरियट से वापिस घर जाता है। फिर भी उसको कार चाहिये। वह विलासिता का जमाना कांग्रेस में था। अब वह जमाना लद चुका है। अतः उसको बेचकर क्यों नहीं उसकी धनराशि को और दूसरे विकास कार्यों में लगाया जाता है? दिन भर सेक्रेटेरियट में कार रहे और रात को देखें तो 100 किलोमीटर आगे माइलोमीटर चला जाता है। आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है क्योंकि पुराने शासन में आप रहे हैं····

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो यह कह रहा हूं कि सभी कमिश्नरों के यहां कारें नहीं रहती हैं। केवल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के यहां रहती है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय सदस्य जानते हैं कि रूल्स में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट है·······

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रापने कमिश्नरों की बात कही थी इसलिये मैंने ग्रापको सही जानकारी दी है। ग्रापने ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की बात नहीं कही।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ग्राप उस बात की जांच कीजिये कि किनके पास कारें हैं। आपकी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने ग्राई. एफ. एस. का एक स्पेशल प्लेन खरीदा तो उस समय के मुख्य मंत्री जी ने भी सोचा कि क्यों नहीं मुख्य मंत्री के लिए भी प्लेन खरीदा जाय। माननीय उपाध्यक्ष जी, 32 लाख में एक हवाई जहाज खरीदा गया ग्रमेरिकन कम्पनी से। 32 लाख का हवाई जहाज, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच कराई जाय कि ग्रमेरिकन कम्पनी हर हवाई जहाज पर 25 प्रतिशत कमीशन देती है। क्या उस पर कमीशन मिला ? ग्रगर मिला तो किसको मिला ग्रौर कमीशन का रुपया किसको दिया गया ? तत्कालीन ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर श्री मायाराम अपनी पत्नी सहित विदेश गए इस हवाई जहाज को लेकर लेकिन कहा यह गया कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के लिए यह हवाई जहाज है। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिशनर उसको लेकर गए, उसका खर्चा किसने उठाया, जरा जांच करवा लीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस 32 लाख रुपयों का पांच लाख ग्रौर कुछ हजार तो ब्याज ही बनता है। हरसाल सात लाख रुपया मेंटीनेंस के लिए चाहिए। एक विंग कमाण्डर उसको चलाता है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है उसको बेचने की इसलिए उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री शिवचरण सिंह : क्या श्री मायाराम की पत्नी वही है जो जनता पार्टी की सदस्या है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : श्रीमती से ग्रापका परिचय होगा, मेरा परिचय नहीं है। ग्रौर सुनिए।

आफिसरों में एक हैं श्री के. एल. बराया, उनकी पत्नी बीमार हो गई ग्रौर पांच साल तक बीमार रही तो उनके लिए एक डायलसिस मशीन मंगाई गई इम्पोर्ट करके। लोक नायक जयप्रकाश नारायण बीमार हो तो देश के लोगों को चन्दा करना पड़े तब कहीं जाकर मशीन ग्राए ग्रौर हमारे के. एल. बराया की पत्नी बीमार हो तो मशीन फौरन ग्रा जाय। लाख रुपये की मशीन ग्रा जाय। के. एल. बराया की पत्नी इलाज कराने के लिए इंडियन मैडिकल इंस्टीट्यूट देहली या वेलूर हास्पिटल में जाय तो एक डाक्टर उनकी ड्यूटी में जाय, जिसका खर्चा सरकार दे। उनके मैडिकल बिलों का मुलाहिजा कीजिए, लाखों रुपये पे किए गए हैं एक व्यक्ति के इलाज के लिए। मैं ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि हमारे गरीबनवाज मंत्री महोदय बतायें कि एक भी ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा है जिसके लिए सरकारी कोष से इतना पैसा खर्च किया गया हो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण शायद इस मानवता के लिए

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को दिया गया समय समाप्त हो गया है। ग्रब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल : पिछली बार आपने फर्माया था कि मुझे आगे समय दे देंगे। जरा मुझको क्षमा कीजिये और दो चार मिनट बोलने दीजिये क्योंकि सार्वजनिक धन का प्रश्न है, अन्त्योदय प्रोग्राम की कामयाबी का सवाल है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये के. एल. बराया महोदय, हैं जिन्होंने इतने बिल उठाये। यह तो एक आफिसर की बानगी मैंने आपके सामने रखी है।

अब मैं और आगे निवेदन करूं, श्री किशन रूंगटा से पहले भी मैंने आपकी मुलाकात कराई थी जिनका राजस्थान सरकार ने भवन खरीदा है। यह भवन बीस लाख रुपये में खरीदा गया रुक्मणी देवी के नाम से। इस भवन के नीचे की दुकानें दस लाख रुपये में बेच दी। रुक्मणी देवी के नाम से एक बेनामी ट्रांजेक्शन किया गया सात लाख और कुछ हजार रुपयों में। एक बेनामी दरख्वास्त दिलाई गई कि बहुत कम कीमत ली गई। मामला चलता रहा और सेठ साहब को अमाउन्ट पे हो गया सात लाख और कुछ हजार रुपया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या। इस बीच में राजस्थान सरकार से दोस्ती शुरू हो गई और मुख्य सचिव श्री मोहन मुकर्जी और डी. पी. जैन हैं, मुख्य सचिव ने उनसे इवेल्यूएशन कराया जिनको हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री बनने के बाद सरकार से निकाल बाहर किया, उसी पी. डब्ल्यू. डी. से इवेल्यूएशन कराया गया। इस प्रकार नीचे की दुकानें दस लाख में और ऊपर का भवन बीस लाख रुपये में दिया गया। इस तरह तीस लाख रुपये में से सात आठ लाख रुपये कटवा दिए। घर की हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग चोखा आ गया। तीस लाख रुपये लेकर उसी में से 22-23 लाख रुपये के अन्दर वापस करा ली। यह तो एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। ऐसे बहुत से मामले हैं, बातें बहुत हैं और समय कम है।

अब देखिए राज्य के मुख्य सचिव बड़े विशाल सरकारी भवन में निवास करते हैं। बेचारे इतने गरीब हैं कि उसका किराया 118 रुपया लिया जाता है। 118 रुपये में तो एक गरीब चपरासी को भी मकान नहीं मिल सकेगा। एक विशाल भवन हीरा बाग के पास भगवानदास रोड पर है। उसी के बराबर एक और हीराबाग पैलेस है वह सरकारी इमारत है जिसकी सौ स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा जगह होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप इन बातों को देखिये। माननीय खेतसिंह जी, आप देख रहे हैं और बहुत मगन हो रहे हैं इन बातों को सुन करके। लेकिन पन्द्रह साल से उस किराये का रिविजन क्यों नहीं कराया गया? वह कौन था जिसके हाथ में सरकार की बागडोर थी? अब आप देखेंगे कि हमारी सरकार किस तरह से इनको रिव्यू करती है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो नहीं किया लेकिन अब तो आप करो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हम तो करेंगे ही, आप धीरज रखिये। जब लॉ डिपार्टमेंट की डिमाण्ड आयेगी तब आपकी भी सेवा करूंगा। Don't bother. Don't bother.

श्री मूलचन्द डागा : Words are louder than action. You ask your Chief Minister today why it has not been done.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगा, आप तसल्ली रखिये ॥

श्री बजरंगलाल शर्मा : तो मुख्य सचिव अपनी जेब से 118 रुपये मकान किराया देते हैं । आप उनकी तनख्वाह का हिसाब लगायें । उन्हीं के मुकाबले दूसरे लोग, कम तनख्वाह पाने वाले लोग सौ स्क्वायर मीटर मकान का 350) रुपये किराया दें लेकिन मुख्य सचिव बहुत योग्य हैं, राज्यपाल के एडवाइजर रहे हैं । पिछली बार उनके खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला मैंने यहां पर रखा था और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि जांच करायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, क्या सरकार को यह आजादी है कि यहां सदन में रेलेवेन्ट, प्रासंगिक प्रश्न उठाये जायं उनके ऊपर वह चुप रहें ? वह हाउस के प्रति रेस्पोंसिबल हैं, उसका उत्तर आना चाहिए और उत्तर का इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए । इसलिए ये जो मुद्दे आपके सामने आज आए हैं ऐसे और भी बहुत से मुद्दे, यदि आप समय देंगे तो, आपकी सेवा में रखेंगे, सदन के द्वारा रखेंगे और आपको बतायेंगे ।

एक बात और आधा मिनट में कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । वह यह है कि यह जो बजट रखा गया है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर कह रहा हूं कि यदि यह अन्त्योदय की कल्पना साकार रूप में आ गई तो देश से निश्चित रूप से गरीबी जायेगी और इस देश से गरीबी मिटाने का श्रेय हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को होगा लेकिन एक ही गिला मुझको रह जायेगी । आज तक जब भी मेरी मूर्ति लगाई गई तो साथ में भैरव की मूर्ति, बजरंग और भैरव की मूर्ति गांव गांव में लगाई गई है, यह कलि काल में उल्टा हो गया······

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पोल्शन पूरा लगाओ ।

(व्यवधान)

अब तो इनको मंत्रिमण्डल में लेना ही पड़ेगा । मंत्रिमण्डल में आने के लिए इनका पोल्शन लगाना जरूरी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि जब भी आप पर संकट आता है आप और मैं बजरंग के सामने नत-मस्तक होते हैं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय नेता महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझको श्रेय दिया । इसके बाद अब कहने को कुछ नहीं रह जाता । माननीय प्रद्युम्न सिंहजी की खूबसूरती देख देख कर मेरे दिल में हलचल होती है········

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात यहां नहीं कही जा सकती ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सामने की तरफ देखकर कह रहा हूं, पीठ की तरफ देख कर नहीं कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सामने कहने से वे प्रभावित होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समय की सीमा को देखते हुए, वक्ता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री उपाध्यक्ष)

वे ज्यादा समय न लें। हम सब समाजवादी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि एक माननीय सदस्य ज्यादा समय लेते हैं तो वह दूसरे माननीय सदस्य का ही समय लेते हैं। इसलिए जो प्रोग्राम है, जो सीमा का निर्धारण किया गया है, उसका पूरा पालन करें। सोमवार को रिप्लाइ होगा। उसके पहले जितने वक्ता महोदय हैं, वे अपने विचार प्रकट करेंगे। इस बात को देखते हुए किसी का भी समय बढ़ाना संभव नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था और उन्होंने एग्री किया है कि आज सदन का समय नेता महोदय की राय लेकर दो-तीन घंटे बढ़ाया जायेगा ताकि हम लोगों को भी एकोमोडेट किया जा सके। हम लोग भी अपने विचार रख सकें। यह आपकी सेवा में अभी बात आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय विदेश जा रहे हैं इसलिए समय बढ़ाना संभव नहीं है। यह परिस्थिति मैंने देख ली है।

श्री मूलचन्द डागा : तो सोमवार को समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : देख लेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण के ऊपर यहां पर गत दो दिनों से वाद-विवाद चल रहा है। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार यहां पर व्यक्त किए हैं। श्रीमन् बजट के आंकड़ों के अन्दर और बजट के अन्दर जिन तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है, जिन आंकड़ों में हेराफेरी की गई है, जिन तथ्यों की हेराफेरी करने की कोशिश की गई है, उनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में कांग्रेस दल के नेता ने और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से यहां पर चर्चा की है।

श्रीमन्, फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं बजट के अन्दर, जिनके ऊपर चर्चा नहीं की गई है। वे बहुत ही अहम मुद्दे हैं, जिनसे राजस्थान का विकास और राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं उन मुद्दों की तरफ, श्रीमन्, आपके जरिए वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने का कार्यक्रम है, वह लिया गया है, इसके बारे में मुझे कुछ शंकाएं हैं। इसलिए इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

यह बात सही है कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को एक मसीहा के रूप में इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मेरी भी यह कामना है वे अपनी इस योजना के अन्दर, अपने इस कार्यक्रम के अन्दर सफल हों। हमारा दल, जो विपक्ष में है, यह मानता है कि देश के अन्दर से. विशेषकर राजस्थान के अन्दर से गरीबी दूर हो। इसके अन्दर हम पूरा सहयोग सरकार को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन, श्रीमन, जिस रूप में इस कार्यक्रम को पेश किया गया है, उससे लगता है कि इसके अन्दर प्रचार की बात ज्यादा है और काम की बात इसके अन्दर कम है। आपने 75 करोड़ के घाटे की बात कही जब कि हकीकत के अन्दर इतना घाटा नहीं है फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी ने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

यह कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए हम धन की कमी नहीं आने देंगे। यह तो आपको मालूम है, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बताया था कि 1 लाख 65 हजार लोगों के लिए आपने 25 लाख रुपये का प्रावधान किया है और इस राशि से आप इन लोगों का रोजगार मुहैया करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप उनकी समस्याओं को हल करने वाले हैं? इसके बारे में, मैं यह मांग करूंगा कि वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्री जी इस डिबेट का जब उत्तर दें तो इस बात के बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। हमारे मन में शंकाएं हैं। जिस प्रकार से कुछ साल पहले हमारे देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 50 करोड़ की लागत से एक क्रेश प्रोग्राम शुरू किया था, पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, वह क्रेश प्रोग्राम फेल हो गया था, उसी प्रकार से यह प्रोग्राम भी फेल होगा। राजस्थान के अन्दर कहीं यह प्रोग्राम, प्रोग्राम बन कर ही न रह जाए। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार किस प्रकार से प्रोग्राम को कार्यान्वित करना चाहती है, वह विस्तार से बतावे।

श्रीमन्, इसके अलावा एक और शंका पैदा होती है। आज हमारे सामने बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है। इस समस्या को आप कैसे हल करना चाहते हैं इसके बारे में वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है। सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच नहीं उठाया है। फेमिली प्लानिंग को किस प्रकार आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात की आपने कहीं पर भी चर्चा नहीं की है। इससे साफ जाहिर होता है कि बढ़ती हुई आबादी के बारे में आपका कोई कार्यक्रम नहीं है। हरसाल हमारे देश में 4 करोड़ 30 लाख आबादी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की समस्या से राजस्थान भी छूटने वाला नहीं है। इस बढ़ती हुई आबादी के लिए कोई कार्यक्रम आप सफलतापूर्वक संचालन कर पाएंगे या नहीं? यह सोचने की बात है। पिछली सरकार ने जिस तरह से इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया है और राजनैतिक दलों ने इस कार्यक्रम की खामियों का जो बेजा फायदा उठाया है, उससे आज यह कार्यक्रम प्रभावहीन हो गया है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता की खातिर सरकार इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ावे। यह एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसको आप लागू न करें तो देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। श्री एन. जी. गोरे, जो हाल ही में लन्दन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जब अमेरिका गए थे, तो उनसे यह पूछा गया था कि वे अपने देश की बढ़ती हुई आबादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। श्रीमन, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो अखबारों में पढ़ा, गोरे साहब ने यह कहा, यह देश की समस्या नहीं है, आज यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। अमेरिका से दोस्ती कर जो देश धन या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे देश अपनी बढ़ती हुई पापूलेशन के बारे में क्या करना चाहते हैं, वे यह जानना चाहते हैं। चाहे हाउसिंग की समस्या हो, बढ़ती हुई कीमतों की समस्या हो, बढ़ती हुई आबादी के कारण यह है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सस्ती लोक-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रियता के कारण आप इस कार्यक्रम को बन्द कर रहे हैं। आज इस विभाग के लोग फालतू बैठे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे आप प्रचार के माध्यम से करें इसको एक्टिव करें। इसके लिये कोई न कोई टार्गेट फिक्स करें अन्यथा सोच लें, देश की क्या हालत होगी? प्रधान मन्त्री ने कहा है, देश के अन्दर से दस वर्ष में बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी। बढ़ती हुई आबादी है, दस साल बाद जो आज दस ग्यारह वर्ष का बच्चा है, वह बीस-इक्कीस वर्ष का होगा। तो किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने जा रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा कि इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आप तुरन्त अपने हाथ में लें और इस पर तेजी से अमल करें। कथनी और करनी के अन्तर को दूर करें।

आपने अपने मेनीफेस्टो में कथनी और करनी के अन्तर को दूर करने की बात कही है, परन्तु आपने कई चीजों पर सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया है। जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव के दौरान यह कहा था कि जो पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको भत्ता दिया जाएगा। यह बात भत्ता देने की बात कही गई थी। यह व्यवहारिक बात नहीं है परन्तु यह कही गई थी। चुनाव के दौरान देश के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने भाषण में बार बार यह कहा था कि देश के नौजवान पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, उनको भत्ता दिया जाए लेकिन आज जनता पार्टी की यह सरकार कहती है कि हमारे लिए यह व्यवहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप क्यों यह बात कहते हैं? इससे जनता के बीच भ्रान्ति फैलती है। इस प्रकार के सस्ते स्टेटमेंट से जनता की आकांक्षाएं बढ़ती हैं और उनकी पूर्ति न होने पर हड़तालें होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भी स्टेटमेंट दें, वह सोच समझ कर दें।

एक छोटी सी बात है। वित्त मन्त्री जी अलवर गए, गृह मंत्री जी गंगानगर गए और वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य में कह दिया, हम बिजली बोर्ड के द्वारा काश्तकारों के ऊपर जो मिनिमम चार्जेज लगाए जाते हैं, उनको समाप्त करने जा रहे हैं। परन्तु बजट भाषण में कहीं पर भी आपने इसका जिक्र नहीं किया है। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 7 करोड़ रुपये का घाटा है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के कारण या यूं कहिए अनजाने ऐसा वक्तव्य दे दिया। आप पहले जानकारी कर लिया करें फिर जनता के सामने भाषण दिया करें वरना अपने मुंह को बन्द रखा करें। आज आपके खिलाफ काश्तकारों में रोष है। भरतपुर जिले में बाढ़ आयी। मुख्य मन्त्री ने कह दिया जिनका इस तबाही में नुकसान हुआ है, उनको 300 रु० दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लोगों को 25–25 रुपये दिये हैं। वित्तमन्त्री जी, आप मेरे बुजुर्ग हैं। हम आपको अपने बुजुर्ग नेता के रूप में देखते हैं। आप हमारे अध्यक्ष थे। आप भरतपुर जिले के अन्दर गये हैं आपने देखा कि कितना रुपया बांटा गया है? यह कितने शर्म की बात है।

मैं उन लोगों को, जो जनता पार्टी के हैं लेकिन आर. एस. एस. से सम्बन्धित नहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हैं, यह कहना चाहता हूं, आपके बजट भाषण में कहा गया है कि हम 4–5 हजार लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन हमारे शिक्षा मन्त्री जी, जो कि आर. एस. एस. से सम्बन्धित रहे हैं, ने जो नियुक्ति करने वाले अधिकारी हैं, उन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। उन्होंने अपनी पसन्द के लोगों को लगाया है। ये स्थानान्तरण प्रशासन को चुस्त करने के लिये नहीं किये गये हैं। यह इसलिए किये गये हैं कि जो नयी नियुक्तियां की जायेंगी, वह आर. एस. एस के लोगों की ही की जायेंगी। जनता पार्टी के जो लोग आर. एस. एस. से सम्बन्धित नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि यह घिनौने हथकण्डे शिक्षा मन्त्री ने अपनाये हैं। इनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आर्थिक समस्या देश के हर परिवार के सामने एक समस्या बन कर खड़ी हुई है। मैंने पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के समय में कहा था कि यह रिकार्ड तोड़ महंगाई है। आप राजस्थान की जो समस्याएं हैं उनसे मुंह चुरा रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों के बारे में आप क्या करना चाहते हैं ?

मैं मलेरिया के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बाढ़ के प्रकोप के बारे में तो कहा ही है। राजस्थान के हर जिले में मलेरिया फैल रहा है लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। डी. डी. टी. आ रही है। लेकिन जो सेम्पल आता है, वह सेम्पल तो असली होता है लेकिन जो डी. डी. टी. आती है, वह घटिया किस्म की होती है।

यहां चौपड़ पर मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण दिया कि राजस्थान के अन्दर से आज भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि चौपड़ से भ्रष्टाचार रवाना हुआ और राजस्थान के हर पुलिस थाने और सरकारी दफ्तर में पहुंच गया है चाहे किसी भी विभाग को ले लीजिए, किसी भी पुलिस थाने को ले लीजिए। कितने लोगों को भ्रष्टाचार के जुर्म में पकड़ा, उनके आंकड़े देने की कृपा करें मन्त्री महोदय।

मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व कुछ और कहना चाहता हूं। आपकी सरकार प्रगतिशील सरकार नहीं है। यह प्रतिक्रियावादी सरकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिन राजा-महाराजाओं से आपको सहयोग मिला है आपको वह क्या कण्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जिन गरीब आदमियों को जमीन दी गई, उनके बारे में क्या हो रहा है ? जिन गरीब हरिजनों को जमीन दी गई हैं, जिनको जमीन दी जा रही हैं, उनके बारे में क्या हुआ ? सवाई माधोपुर में क्या हुआ ? आप राजस्व मन्त्री भी हैं वित्त मन्त्री के साथ में। 20 हजार लोगों को जमीन अलॉट की गई है, आप गान्धीवादी नेता हैं लेकिन आपने स्टे कर दिया। लोगों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इजारेदारों की सरकार है। आपकी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार राजा महाराजाओं की सरकार है। भगवान के लिए जिन लोगों की जमीन छीनी जा रही है, उनकी रक्षा तो कीजिये, राजस्व मन्त्री जी। बनी पार्क से आने वाले माननीय सदस्य दरिद्रनारायण की बात कर रहे थे। हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं, जितना कांग्रेस पार्टी ने हरिजनों के लिए किया है, उतना आप कर नहीं सकते। उतना कोई कर नहीं सकता है। कांग्रेस सरकार ने जितना हरिजनों के लिए किया था, आपकी पांच महीने की जनता सरकार ने उस पर पानी फेर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान में कानून और व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। जयपुर से चलने वाली ट्रेन भरतपुर के पास लूट ली गई। बैंक में डकैती पड़ रही है। मैं कहूंगा कि गरीब आदमियों के घरों में डकैती पड़ रही है। उनको लूटा जा रहा है। उनकी औरतों को बे-इज्जत किया जा रहा है। आपकी कथनी और करनी के अन्दर माननीय वित्त मन्त्री जी बहुत अन्तर है।

मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है। मेरा निवेदन है कि आप जैसे अनुभवी और गान्धीवादी व्यक्ति इनके साथ में ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। आप गान्धीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। यह प्रतिक्रिया-वादी सरकार है। आप कृपा करके जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, उनका उत्तर दें। अगर आपकी सरकार आपको मेरे सुझावों पर अमल करने दे तो ऐसे लोगों को, जो गिरे हुए हैं, ऊपर उठायें, उनकी रक्षा करें। लेकिन आपके जो साथी हैं, वह आपको इन सुझावों पर अमल नहीं करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : रावतराम जी है नहीं।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण को पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि उसमें गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी गरीबों के उत्थान के बारे में बहुत कुछ चिन्ता प्रगट की, लेकिन इस परिवर्तित बजट के अन्दर, जो करीब 35 पृष्ठ का है, समाज कल्याण विभाग को गायब कर दिया। समाज कल्याण विभाग के अन्दर गरीबों के कल्याण की बात होती है, गरीबों का जहां पर कल्याण होता है, वह इस बजट के अन्दर कतई गायब है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक जितने भी बजट इस सदन में पिछली सरकार ने पेश किये, उन बजटों के अन्दर समाज कल्याण विभाग बराबर आया और उसके

(श्री समरथलाल)

प्रावधान में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। लेकिन इस जनता सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अन्दर इस विभाग को बिल्कुल गायब कर दिया है और यहां पर बैठ करके यह सरकार गरीबों के उत्थान की बात करती है। गरीबों के साथ गांवों के अन्दर, और शहरों के अन्दर इन तीन-चार महीनों के अन्दर जो जुल्म हो रहे हैं, वह जुल्म सहे नहीं जा सकते। जिनके ऊपर जुल्म हुए उनके द्वारा अगर पुलिस थाने के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने पिछले सत्र के अन्दर भी यह निवेदन किया था कि जब से जनता सरकार आई है तब से, मैं कह सकता हूं, मुझे अलवर जिले की अच्छी तरह से जानकारी है, वहां पर डकैतियां हुई हैं, कत्ल हुए हैं, चोरियां हुई हैं और इन तीन-चार महीनों के अन्दर इन गरीबों के ऊपर जितने अन्याय हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उतने अन्याय पहले कभी नहीं हुए, ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मन्त्रीजी ने जो विद्यालय खोले हैं उन विद्यालयों की लिस्ट मैं शिक्षा-आयुक्त के यहां से लेकर आया था, मैंने उस लिस्ट को देखा है। उस लिस्ट के अन्दर जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं वह विद्यालय शहरों के अन्दर अधिकतर क्रमोन्नत किये गये हैं और गांवों के अन्दर कम से कम क्रमोन्नत किये गये है। यह बात उस लिस्ट के आधार पर साबित हुई है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के जो क्षेत्र हैं उनके अन्दर सबसे कम पाठशालाएं खोली गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता सरकार गरीबों के उत्थान की बात कहती है, लेकिन अब तक जो काम किये गये हैं उन कामों के अन्दर गरीबों के साथ एक प्रकार का भेदभाव बरता गया है।

अलवर जिले के अन्दर बाढ़ के प्रकोप से कई बांध टूट गये, कई सड़कें खराब हो गईं और अनेक प्रकार की परेशानियां गरीबों पर आईं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों के अन्दर रहते हैं और जब इस प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप होता है तो इसका सबसे पहले उन लोगों पर असर पड़ता है। अलवर जिले के अन्दर इस प्रकार की टूट-फूट हुई और परेशानियां गरीबों के ऊपर आईं लेकिन आज भी वह परेशानियां अपने स्थान पर भुगत रहे हैं। जिनको परेशानी हो रही है, जिनके मकान खराब हो चुके हैं, जिनके मकान टूट चुके हैं, बह चुके हैं, उनको राज की किसी भी एजेन्सी ने जाकर के नहीं सम्भाला। उनके घरों के अन्दर एक-एक फुट गहरे गड्ढे बरसात के कारण हो चुके हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और उन सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, यातायात अवरुद्ध हो गया है और कई एक्सीडेन्ट हो चुके हैं। इस प्रकार की हालत वहां पर हो रही है, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के हालात प्रदेश के अन्दर हो रहे हैं लेकिन सरकार उन हालात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार उनके हालात की तरफ देख तक नहीं रही है, उनको सम्भाल तक नहीं रही है। सरकार की जो एजेन्सी है, कलेक्टर है, एस. डी. ओ. है, तहसीलदार है और दूसरी एजेन्सीज हैं, उनको चिट्ठियां लिखी गईं लेकिन उन्होंने कोई

(श्री समरथलाल):

जवाब नहीं दिया, वे सब मौन हैं, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है । तो इस प्रकार के हालात इस प्रदेश के अन्दर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महादय, शराबबन्दी की बात इस बजट में की गई है। जिन जिलों में शराबबन्दी की शुरुआत जनता सरकार के आने के बाद हुई वह स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो एरिया राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं उन एरियाज के अन्दर इस सरकार को पहले शराबबन्दी करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब है। उन लोगों के अन्दर इस प्रकार की आदत पड़ गई है कि वह शराब छोड़ते नहीं। जब तक वह शराब नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी गरीबी दूर नहीं हो सकती, इसलिए उन जिलों में पहले शराबबन्दी करनी चाहिये थी ।

इसके अलावा सड़कों की जो दुर्दशा है उसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया। मैं एक दूसरा निवेदन और करना चाहता हूं कि सस्ता न्याय गरीबों को मिले इसके लिए जो पहले से सरकारी आफिसेज हैं, वे एक ही जगह सेन्ट्रेलाइज्ड हैं उन आफिसेज का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि एक आफिस राजगढ़, एस. डी. ओ. के नाम से हैं और उस एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर अलवर में है। अलवर में होने से कोई तुक नहीं है। थानागाजी तहसील वहां से 40-45 किलोमीटर दूर पड़ती है, राजगढ़ तहसील 30-35 किलोमीटर पड़ती है, लक्ष्मणगढ़ तहसील वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर है और वहां का एस. डी. ओ. अलवर में बैठता है। अगर उन तहसीलों का काम हो तो एस. डी. ओ. जीप लेकर उन तहसीलों में 50-40 किलोमीटर से आता है और काम करके वापस अलवर जाता है। इससे राज का बहुत अपव्यय होता है। मेरा निवेदन है कि जो एस. डी. ओ. राजगढ़ के नाम से है उसे उसी जगह पर होना चाहिए। इसके अलावा अलवर के अन्दर एस. डी. ओ. साहब बैठते हैं, तीस-चालीस किलोमीटर से लोग उनकी कोर्ट में आते हैं उनका समय और धन खर्च होता है। इसलिए राजगढ़ में हो जाय तो उन लोगों का खर्चा भी बचेगा और समय की बचत होगी।

इसके अलावा बिजली के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बिजली महकमे के अन्दर राजस्थान के अन्दर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना शायद किसी दूसरे महकमे में नहीं हो रहा है। गांवों के जो गरीब आदमी हैं, जो काश्तकार हैं जिनका काम बिजली से पड़ता है उस ..

श्री उपाध्यक्ष: एक मेरा निवेदन है कि ना-पक्ष की बेंचेज में जो माननीय सदस्य पीछे बैठे हुए हैं उन की बातचीत से डिस्टर्बेन्स हो रहा है, और मैं भी डिस्टर्बेन्स अनुभव कर रहा हूं।

श्री समरथलाल : बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार है, बिजली नहीं मिलती है, मैंने उसके बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से निवेदन किया कि किसानों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, किसान लोगों को भ्रष्टाचार से परेशानियां हो रही हैं, कहीं मीटर नहीं है तो भी बिल आ रहे है, कहीं पर मीटर लगे हुए हैं तो जो बिल आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है। दुगुना और ड्योढ़ा करके दर्ज करते हैं। जब वे

Page No 62

(62)

(श्री समरथ लाल)

आफिसरों से मिलते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती । आखिर यह टेक्निकल विभाग है फिर भी आमतौर से यह देखा गया है कि यहां पर जो आफिसर हैं वे किसानों को समझ नहीं पाते और किसान भी उनको समझ नहीं पाते हैं तो इन मुद्दों पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके अलावा इस बजट भाषण में समाज कल्याण विभाग का कोई जिक्र नहीं किया गया है । इस राज के अन्दर अधिकारियों के जो परिवर्तन हुए हैं वे प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उनके पीछे समझ में नहीं आता क्या मुद्दा है, क्या आधार रखा गया है । जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनसे सरकार का काफी खर्चा हुआ है और होगा । मैं समझता हूं जो परिवर्तन किए गए हैं, राजनैतिक आधार पर किए गए है । इस प्रकार के परिवर्तन सरकार न करे । पिछली सरकार के अंदर जो दोष थे उनकी पुनरावृत्ति सरकार न करे तो इससे राज्य का हित होगा ।

श्री रावतराम : उपाध्यक्षजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको इजाजत है ।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : उपाध्यक्षजी, आज इस सदन में बजट पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं । इस बजट को देखने से जाहिर होता है कि वित्त मंत्री ने घाटे का बजट पेश किया है, यह घाटा करीब 58.94 करोड़ का है । नए करों की वसूली के बाद यह घाटा दिखाया गया है जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इसका संकेत इसमें नहीं मिलता । अलबत्ता, यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा । खैर, यह तो सरकार जाने लेकिन कुल मिलाकर और आज के जिन हालात में जनता सरकार बनी है और जो भी वित्तीय साधन राजस्थान में हैं, उनको देखते हुए वित्त मंत्री ने इस बजट को ठीक ठाक बनाने की कोशिश की है । इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

अभी मुझसे पहले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि इस बजट में कहीं भी समाज कल्याण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है । समाज कल्याण के लिए जो भी योजनायें थीं और जो पैसा खर्च हो रहा था, उसके बारे में आपने क्या किया है ? आपके क्या विचार हैं ? जनता पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो में कहा है कि सबसे पहला हमारा काम यह होगा कि जो शोषित वर्ग है उसको ऊंचा उठाने के लिए हम कार्यवाही करेंगे । राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए जो होस्टल्स चलते हैं और दूसरी एक्टिविटीज चलती हैं उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब अपना जवाब देंगे उस समय अवश्य इसका जिक्र करेंगे । आज जितने भी छात्रावास चलते हैं उनकी संख्या कम है, वह बढ़नी चाहिए । उनके खाने पीने की व्यवस्था खस्ता है, उसको ठीक करना चाहिए था ।

अभी हाउसिंग सहकारी समितियों के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों को मकान देने की व्यवस्था और कर्जा देने की व्यवस्था थी, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है । तो किस

(श्री रावतराम)

तरह से आप कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाना चाहते हैं ? आप बजट में योजना लाये हैं उसका चारों तरफ से स्वागत हो रहा है ? आपने उसका नाम रखा 'अन्त्योदय योजना' उसके जरिए राजस्थान के कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाना चाहते हैं, प्रत्येक गांव में 5 परिवारों को आप आगे लाना चाहते हैं। 5 परिवारों के लिए आपने व्यवस्था की है, जिनके पास भूमि नहीं होगी उनको आप भूमि देंगे। लेकिन भूमि देंगे उन्हीं गांवों में जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है। माननीय सदस्यों का अनुभव है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पिछली सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों जमीन दी। क्या वह जमीन उनके कब्जे में है ? काश्त करने के लिए आपने उनके लिए कोई व्यवस्था की ? मैं पूछना चाहता हूं कि उस जमीन पर कितने परिवारों ने, जिनको जमीन आवंटित हुई, काश्त की ? हजारों लोग जयपुर में बंगलों के चारों तरफ जमीन काटते चले जा रहे हैं। इस अंत्योदय योजना के जरिए आप भूमि आवंटित करना चाहते हैं, क्या आपने कल्पना की उस जमीन पर लोग उनको काश्त करने देंगे ? 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों को आवंटित भूमि पर काश्त करने नहीं दी गई उनको भूखंड अवश्य दिए गए। तो क्या आप उनसे मजाक करना चाहते हैं ? पशु-गाय व भैंस देकर आप उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करना चाहते हैं, आप सावधानी बरतिए, हमारा कटु अनुभव है। यह तो समय ही बताएगा कि यह योजना कितनी सफल होगी। ऐसा न हो कि यह मजाक का विषय बन जाए। अभी भी समय है, आप सोचें।

इसमें समाज कल्याण का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसके लिए पुनर्विचार करें। इसके अलावा आपने खासतौर से पानी की व्यवस्था का जिक्र किया है। राजस्थान में आज भी 62 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको पानी खारा मिलता है, यह सही है। मेरे ख्याल से 75 प्रतिशत ऐसे लोग हो सकते हैं। आपने केवल 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, इससे कितने गांवों को पानी दे सकते हैं ? 30 साल से इस सदन में बार बार सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणायें कीं और मांग भी होती रही कि पानी इन्सान के लिए सबसे पहली जरूरत है। उन गांवों की हालत देखें जहां पानी उपलब्ध नहीं होता। 15-15 मील दूर से पानी लाकर पशुओं व आदमियों को पिलाते हैं। शहरों में तो नगरपालिकायें हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स बनी हुई हैं लेकिन गांव वाले भी इन्सान हैं, वे आशा करते हैं कि उनको मीठा पानी मिले। आज उनका सारा समय व शक्ति पानी खींचने में लग जाती है। उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। उनके दुधारू पशु पानी के अभाव में मर जाते हैं। मुझे शर्म आती है सुन कर कि आज 20-25 साल बीतने पर भी पानी नहीं पहुंचा सके। इस विषय को युद्धस्तर पर लेना चाहिए। आप और कुछ न करें लेकिन कम से कम पीने का पानी मुहैया करें। इसमें केवल व्यवस्था का ही सवाल नहीं है इसके साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर भी इसको लेना पड़ेगा। इससे पहले जो योजनायें बनी हैं उन पर भी नजर डालें। यह कोई तकावी नहीं है कि बराबर बांटी जाए। आपने 5 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए रखे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये पैसे सभी जिलों को जनसंख्या के हिसाब

(64)

(श्री रावतराम)

से बराबर बांटें। मैं मांग करता हूं कि इस पैसे का इस तरह से उपयोग करें कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो वहां पानी की व्यवस्था हो। आपको सर्वे कराना चाहिए, रिपोर्ट्स मंगाकर देखनी चाहिये और हिदायतें देनी चाहिए कि ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां खारा पानी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चूरू जिले में पानी की बहुत कमी है। वहां पर पानी की सख्त जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे चूरू जिले में करीब 450 गांव ऐसे हैं जहां मीलों तक पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी वहां है वह खारा है, गराया है, कड़वा है। आज हमारे इलाके में गांवों में खासतौर से पीने के पानी की कमी की वजह से हजारों पशु हर साल मर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो पानी की योजनायें शुरू करने की बात है वह आपको प्रायोरिटी बेसिस पर चालू करनी चाहिये। आपको देखना चाहिये कि पानी की ज्यादा जरूरत जहां पर है वहां पर पहले योजनायें चालू हों। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पांच करोड़ रुपये की राशि पानी की व्यवस्था करने के लिये रखी है वह तो अच्छी है लेकिन वह राशि कम है। मेरा निवेदन है कि यह बढ़ाकर दस करोड़ रुपये की धनराशि की जाय जिससे कि ज्यादा संख्या में गांवों के अन्दर आप पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी की सरकार का पहला बजट है। अगर आप पांच करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर देते हैं तो जनता में आपकी शोहरत बढ़ जायगी और पीने के पानी की योजना के लिये जो धनराशि आपने रखी है वह भी बढ़ जायगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है शिक्षा के बारे में। आपने शिक्षा के विकास के लिये स्कूल खोलने के लिये जो कदम उठाया वह एक अच्छा कदम है उसका स्वागत है। इससे सभी को प्रसन्नता होनी चाहिये। इसमें आपने ग्रामीण क्षेत्रों में 520 नयी प्राथमिक शालाएं खोलने और प्रा. प्राथमिक शालाओं को उन्नत कर मिडिल स्कूल बनाने....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो तीन मिनट ही बोलते हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनट नहीं, माननीय सदस्य को दस मिनट का समय तो हो चुका है। आप समाप्त कर दें।

श्री रावतराम : बस समाप्त कर ही रहा हूं। थोड़ा शिक्षा के बारे में निवेदन कर दूं। आपने बजट में स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है उसकी तो सभी जगह सराहना की गयी है लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपने स्कूल तो खोले वह तो ठीक है लेकिन जिन स्कूलों को खोला गया है वह ऐसी जगह खोले गये हैं जहां स्कूलों के लिये मकान नहीं हैं। जिस एरिया में स्कूलों के खुलने की जरूरत थी वहां पर नहीं खोले

(श्री रावतराम)

गये और जहां बिना खोले ही काम चल सकता था वहां खोल दिये। आज हमारे चूरू जिले में जहां लोगों ने स्कूलों के लिये भवन बना दिये और जहां आबादी भी है वहां पर स्कूल नहीं खोले गये हैं और जहां दूर दूर तक आबादी कम है, मकान नहीं हैं वहां आपने स्कूल खुलवा दिया। इससे मैं समझता हूं कि आप जो शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में फैलाना चाहते हैं वह आपका उद्देश्य सफल नहीं होगा स्कूल वहां खोले हैं जहां न तो भवन है न ही पूरी आबादी है? अगर मैं यह कहूं कि स्कूलों को खोलने में पक्षपात हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे चूरू जिले में जहां पर कि लोगों ने श्रमदान करके, अपने पास से पैसे देकर मकान स्कूलों के लिये बनाये हैं लेकिन वहां पर स्कूल नहीं खोलने के कारण वह भवन बेकार पड़े हैं। आज जहां पर स्कूल खोले हैं वहां पचास पचास लड़कों से ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है, ऐसी जगह स्कूल नहीं खोलना चाहिये था। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार इसके लिये जिला स्तर पर कमेटीज बनाये और फिर उन कमेटीज के माध्यम से आबादी के आधार पर स्कूल खोले तो मैं समझता हूं काफी शिक्षा का विकास हो सकता है। अगर आप जिला स्तर की कमेटियों के माध्यम से स्कूलों को खुलवाते हैं तो उचित रहेगा। नहीं तो आज स्कूलों को खोलने के सम्बन्ध में लोगों में हल्ला मचा हुआ है। आज लोगों में यह धारणा है कि जो स्कूल खोले गये थे उनमें से कई स्कूलों को तो नहीं खोलने के आदेश दे दिये और कई नये स्कूल खोले हैं जहां स्कूल खोलने में काफी पोलीटिकल प्रेशर काम में लिया गया है। सिफारिशों के आधार पर स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, इस निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास बोलने को काफी था पर चूंकि समय कम है इसलिए मैं अब थोड़ा बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया जो है वह डेजर्ट एरिया है। हमारे यहां पर इन पिछले पांच सालों में तीन गांवों में बिजली दी गयी है। अगर पांच सालों में तीन गांवों में ही बिजली दी जा सकती है तो मेरे जिले में 900 गांव हैं उन गांवों में कितने साल बिजली लाने के लिये लगेंगे। अगर हम बिजली की मांग करते हैं तो राज्य सरकार के यहां से यह जवाब आता है कि आपके यहां पर इरिगेटेड जमीन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर चार सौ पांच-सौ घरों की बस्तियां हैं। अगर आप इरिगेशन पर्पज से नहीं दें तो कृषि के लिये तो बिजली दे सकते हैं। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिले को बिजली देने के लिये इगनोर किया गया है। बिजली विभाग यह कहता है कि पहले पैसे जमा कराओ। दूसरे अगर वहां से पन्द्रह पर्सेन्ट रिटर्न मिलता है तो ही बिजली दी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर डेजर्ट एरिया है और गरीब लोग रहते हैं। आपने बताया है कि इस साल 1200 नई बस्तियों व 1500 नए कुओं के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया था उसको बढ़ा कर 1500 बस्तियों एवं 20 हजार कुओं को बिजली दिलाने की व्यवस्था की है। इधर

(श्री रावतराम)

आपका बिजली विभाग यह कह रहा है कि पहले 1750 रुपये जमा कराओ कुए में बिजली कनेक्शन लेने के लिये जो कि हमारे यहां का डेजर्ट एरिया का गरीब व्यक्ति बरदाश्त नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें थोड़ा बदलाव कीजिये। आप अपने क्राइटेरिया को बदलें जिससे कि बिजली कुओं में लग सके। आपको क्राइ-टेरिया चेंज करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बार बार घण्टी बजा रहे हैं। इधर वित्त मन्त्री जी का हमारे भाषण में कोई इंन्ट्रेस्ट नहीं है वह नींद ले रहे हैं। हम सदस्य हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : आपका दो मिनट का समय हो चुका है।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कहा है कि 1977-78 के प्रारम्भ में 2,68,681 लोग रोजगार की तलाश में फिर रहे थे। उनके लिये आपने बताया कि शिक्षा विभाग में 250 प्राध्यापक, 2300 वरिष्ट अध्यापक एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, 500 तृतीय श्रेणी के अध्यापक तथा 300 वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की जायेगी। तो क्या जिन 2 लाख 68 हजार 681 लोगों के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज हैं उन्हीं व्यक्तियों को आप बेरोजगार मानते हैं? इतने लोगों को आप टीचर्स के पद पर अपोइन्टमेंट देकर ही अनएम्प्लायमेंट समाप्त करना चाहते हैं? आज स्थिति यह है कि लाखों की तादाद में ग्रामीण क्षेत्र में मैट्रिक, बी. ए. और एम. ए. पास लोग बेकार घूम रहे हैं। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग शिक्षित हैं उनके नाम तक आपके एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वाले दर्ज नहीं करते हैं। इस प्रकार आप दो ढाई लाख बेरोजगार बता कर थोड़े से टीचर्स अपोइन्ट करना चाहते हैं और इससे ही बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकती है। सिर्फ टीचर्स को रोजगार देने से ही यह बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। उनको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी रोजगार दिलाने की आप व्यवस्था करें तो उचित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार इस तरह से घण्टी बजाते हैं जिसे मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिए मैं मेरे भाषण को जल्दी ही समाप्त करता हूं और यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इस बजट पर आपको पुनर्विचार करना चाहिये। सोशल वेलफेयर के लिये और गांवों के विकास के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है अन्यथा जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा ही रह जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे बार बार घण्टी बजाने में संकोच होता है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट हाउस में प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक तबके को राहत मिली है। किन्तु एक अच्छी योजना बन जाने से या एक अच्छा बजट बन जाने से तो काम नहीं चल सकता जब तक कि उसकी क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हो। आज जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां यह बात की जाती है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो मैं उसके ठीक विपरीत यह स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सरकारी अधिकारियों के मन में, भ्रष्टाचारियों के मन में एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है। उन्हें यह भय है कि कहीं हमारी पुरानी करतूतों के लिये हमें दण्ड नहीं मिले। कहीं हमारी पुरानी करतूतें बाहर नहीं आये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जनता के छोटे से छोटे व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा है कि अब जनता पार्टी का राज्य है मगर हमारे साथ अन्याय होगा या कहीं पर कोई ज्यादती होगी तो हम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में और अन्याय के खिलाफ में आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उनको दण्ड भी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब चिकित्सा विभाग के मंत्री का चयन हुआ था तब यहां के कई सरकारी अधिकारियों ने यह कोशिश की कि स्वास्थ्य विभाग चतुर्वेदीजी के पास नहीं रहे। इसके लिये लोगों ने ट्रंक काल किये और लोग यहां से कोटा भी गये। वह लोग यह कह रहे थे कि चाहे कितने ही लाख रुपये खर्च हो जायें पर चिकित्सा विभाग उनके पास नहीं रहना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस राज्य में यह परम्परा रही है कि लोग रुपये खर्च कर पोर्टफोलियो बदलवा लेते थे। डाइरेक्टर और चीफ इन्जीनियर लोग पैसा लेकर देकर जूनियर को सीनियर और सीनियर को जूनियर बना देते थे। वह लोग इसलिये ऐसा करते थे कि लोग पैसे देते थे। डाइरेक्टर और चीफ इन्जीनियर अपने नीचे के आफिसरों से पैसा लेते और नीचे के आफिसर जनता को लूटते थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति हमें दिखाई नहीं देती। पहले के एक नहीं अनेक उदाहरण है। भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं वे अधिकारियों के द्वारा कराये गये हैं। सेक्रेटेरियेट में आज भी बदबू आ रही है, फाइलें दबी पड़ी हैं। समझ में नहीं आता, उनको क्यों नहीं डिस्पोज आफ किया जा रहा है। कोई मंत्री तो है नहीं। सिचाई मंत्री जी होते तो अच्छा रहता। सन् 1970 में गुलाबपुरा और भीलवाड़ा की शिकायतें आयीं राहत कार्यो के बारे में। 1970 में आज तक इन्क्वायरी हो रही है। प्रधान मंत्री के पास पत्र पहुंचे, तार पहुंचे, रिपोर्ट पहुंची लेकिन सब दफ्तर में दबी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्क्वायरी करायें, 1970 से इन्क्वायरी चल रही है। दो बड़े इन्जीनियर्स, 3 अधिशासी अभियन्ता और दस असिस्टेन्ट पी. डब्ल्यू. डी. इन्जीनियर्स घोटाले में शामिल हैं। जितनी भी अनियमिततायें इस सहायता कार्य में हो सकती थी वह उस रिपोर्ट में मौजूद है। रिपोर्ट तैयार है। लेकिन चीफ इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. उसे दबाये हुए हैं। बार बार रिपोर्ट आयी लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। भवानी सिंह उप शासन सचिव ने रिपोर्ट दी है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

उसमें स्पष्ट किया है कि ये ये लोग इन्वोल्व हैं। आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मंत्री महोदय, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आपके कार्यालय में फाइलें बदबू मार रही हैं, सेक्रेटेरियेट में बदबू मार रही हैं।

अभी एक भाई हरिजनों के लिये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे।

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चार्जेज लगाये हैं, वे गम्भीर चार्जेज हैं। माननीय सदस्य के पास जो भी कागजात हैं वे मुझे दे दें या मैं उनसे प्राप्त कर लूंगा। जहां पर भी फाइल होगी वह हस्तगत की जावेगी और कार्यवाही की जावेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं; जनता पार्टी का मंत्री इसलिये नहीं बनाया गया है कि शिकायत जावेगी तब ही मंत्रीगण उस पर कार्यवाही करेंगे और स्वतः नहीं करेंगे। फिर भी आपने आश्वासन दिया उसके लिये धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रहा था कि अभी मगरमच्छ के आंसू बहाये जा रहे थे हरिजनों के लिये। योजनायें बनीं और उनके द्वारा हरिजन कितने लाभान्वित हुए इसका एक ही उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। खनन पट्टे हरिजनों को दिये जावेंगे और अन्य लोगों को नहीं दिये जावेंगे, यह नियम बना दिया गया था। खनन पट्टे देने के नियम इस प्रकार से काम्प्लीकेटेड थे कि हरिजनों को उससे कोई लाभ ही नहीं पहुंचा। कहा गया कि हरिजनों को खनन पट्टे दिये गये मगर यदि सही रूप से जानकारी करें और जांच करायें तो मालूम हो सकता है कि कितनों को लाभ मिला, कितने लाभान्वित हुए। उन नियमों के कारण ठेकेदार और आफिसरों की मिलीभगत हो गई। हरिजनों को कहने को जो पट्टे दिये गये वे अन्य लोगों ने उनके नाम पर लिये और फायदा मिला ठेकेदारों को। ठेकेदारों की पो बारह पच्चीस हो गयी। खानों पर से पत्थर जाने लगा। नये लोगों को काम मिलना बंद हो गया। यदि आप हरिजनों को काम देना चाहते है, यदि गरीबों को आप काम देना चाहते हैं तो उनको सही रूप में पट्टे दिये जायं, उनको ठेके दिये जाय और जितने भी इन्जीनियर बेकार हैं उनको भी अलाउ करें। तथा उनके लिये बैंक से लोन की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं होगा तो पुराने ठेकेदार और सरकार की जिस प्रकार से मिलीभगत हुई और जिस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम में पट्टे दिये गये उससे उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। इसलिये आगे इस प्रकार से पट्टे देना बन्द कर दिया जाय क्योंकि पुराने लोग ही मालिक बन बैठे हैं।

खनिज विभाग में क्या हुआ? लोगों को बारह-बारह मील के पट्टे दिये गये। बेस्ट लाइम एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज के मालिक कांग्रेस के भू. पू. सदस्य हैं उनको दस साल का पट्टा दिया गया।

एक माननीय सदस्य : क्या नाम है?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : श्री मोदी। 1980 में पट्टा खत्म होने वाला था लेकिन 1977 में ही इनको 10 साल का पट्टा दे दिया गया। 12मील का एरिया दिया गया। शर्त भी लगा दी कि 25 मील के एरिया में

(श्री रघुवरसिंह कौशल)

और किसी को पट्टा नहीं दिया जावेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह न्याय है ? क्या यह गरीबों के हित की बात है ? अभी हरिजनों और गरीबों की बात कही जा रही थी। यह तो लखपति को करोड़पति बनाना है। इसमें प्रहलादराय डिप्टी सेक्रेटरी का हाथ है जो आजकल सीकर जिले के कलेक्टर हैं। वे इसमें शामिल थे। इस फाइल में बदबू आ रही है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझे माफ करिये डिस्टर्ब करने के लिए। आपने सीकर के कलेक्टर के लिए कहा। सीकर में भी अन्धेर मचा रखा है। सब लोग परेशान हैं। माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, इस व्यक्ति के खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही करें। विधि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन इसके लिए भी देना पसन्द करेंगे कि जिस व्यक्ति से सत्ता पक्ष के ही नहीं, सब जन प्रतिनिधियों की नाराजगी है, जो बिड़ाने का काम कराता है उसके खिलाफ आप अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कांग्रेस सरकार में ऐसे अधिकारी पलते थे। इसलिए जनता पार्टी की सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि उनके विरुद्ध जांच करके कार्यवाही की जावे कि उन्होंने पट्टे किस प्रकार से दिये। किस प्रकार चुनावों में 5 लाख रुपया लगाया गया है इसकी जांच की जाना बहुत आवश्यक है। यदि हम खनिज विभाग की ओर ध्यान दें तो हम काफी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों को प्रायोरिटी देकर अन्य बेरोजगारों को भी छोटे छोटे टुकड़े दिये जाय तो कितने ही लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

राजस्थान में एस्बस्टस की खान है। हिन्दुस्तान में कुल 21 हजार टन एस्बस्टस निकलता है जिसमें से 18 हजार टन केवल राजस्थान में निकलता है जो भारत के कुल उत्पादन का 89.18 पर्सेन्ट है किन्तु इसका कारखाना राजस्थान में नहीं है। दो कारखाने हैं-एक फरीदाबाद में और दूसरा बम्बई में। अस्बस्टस, सीमेंट हमारे यहां उपलब्ध हैं। दोनों से ही एस्बस्टस सीमेंट बनता है, तालमेल है। लेकिन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई कारखाना नहीं है। बिड़लाज और कांग्रेस की सांठ गांठ थी। फरीदाबाद में बिड़लाज का कारखाना है। सांठ गांठ होने से कांग्रेस सरकार द्वारा न पब्लिक और न ही प्राइवेट सेक्टर में किसी को कारखाना खोलने की इजाजत दी गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि एस्बस्टस शीट राजस्थान में वापिस आती है तो उसकी कीमत 80 रुपये प्रति शीट होती है। उसको यहां का किसान नहीं खरीद सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर इसके लिए कोई प्राइवेट कारखाना यहां लगाने की अनुमति दी जाये तो यह शीट 60 रुपये में पड़ सकती है। यदि पब्लिक सेक्टर में कारखाना लगे तो यह 25 रुपये की शीट पड़ सकती है। मैं राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सीमेंट हमारे यहां है, जब एस्बस्टस हमारे यहां है तो क्या कारण है कि हमारे

(श्री रघुबीरसिंह कौशल)

यहां इस कारखाने को लगाने को इजाजत नहीं दी जाती है ? कई खनिज पदार्थ ऐसे हैं कि जो राजस्थान में निकलते हैं लेकिन उसके आधार पर हमारे यहां कारखाने नहीं हैं। यदि हम इस ओर ध्यान देंगे तो हमारे यहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

अब मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जयसमन्द झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। इस झील का ठेका पिछले 27 साल से एक होशियारचन्द कपूर नाम के व्यक्ति को दिया जाता रहा है। सिर्फ पिछले दो साल से उसको ठेका नहीं मिला है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से वह चक्कर लगा रहा है। यदि उसी व्यक्ति को फिर से जयसमन्द झील का ठेका दे दिया गया तो वहां आदिवासियों की जो सोसाइटी बनी है, जो उससे रोजगार पायेंगे और मछलियों के बेचने से जो उनको प्राफिट होगा, उसकी उन्नति के जो काम होंगे वह पिछड़ जायेंगे। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आदिवासियों के हितों का विचार करके 27 साल के ठेकेदार को यह ठेका नहीं दिया जाये। मुझे ऐसा पता लगा है कि इस प्रकार का कोई एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, सरकार इससे सावधान रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसानों को राहत पहुंचाने की बात भी आई है। किसानों के राहत की बात तो कांग्रेस भी करती थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

में निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों के हित की बात है उसकी क्रियान्विति की जिम्मेदारी एस. डी. ओ., कलेक्टर और तहसीलदार की होती है। उनमें भय व्याप्त है किन्तु आज भी वह भक्षक के रूप में देखे जाते हैं। वे किसानों के सहयोगी हों यह उन लोगों के मनों में विचार आता ही नहीं है। किसानों के लिए कितनी योजनाएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कार्पोरेशन से, मुझे दुःख है, उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे कम पैसा लिया है। इसका उपयोग यदि किसानों के लिए किया जाये, लिफ्ट इरिगेशन के लिये किया जाये और फ्रूट डवलपमेंट के लिये किया जाये तो किसानों की उन्नति हो सकती है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के लिए जो आने वाला पैसा है वह राजस्थान में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सबसे कम लिया गया है। लिफ्ट इरिगेशन के लिए राजस्थान में इतना स्कोप है कि उसके आधार पर काफी जमीन सिंचित हो सकती है लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार मिटाने की बात जनता सरकार कर रही है। यह भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि प्रशासन में चुस्ती नहीं होगी और प्रशासन तब तक चुस्त नहीं होगा जब तक कि जिले छोटे नहीं बनेंगे। जब तक प्रशासनिक इकाइयां छोटी नहीं बनेंगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक छोटी इकाइयां नहीं होंगी, जब तक जिले छोटे नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जब तक अधिकारियों की सुगम एप्रोच

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

लोगों तक नहीं होगी, जब तक किसान कम खर्च में अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं होंगे तब तक प्रशासन चुस्त नहीं हो सकता इसलिए छोटे छोटे जिले बनाने की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं वह इतना बड़ा इलाका है कि उसमें सात तहसीलें हैं। यदि एक किसान को एस. डी. ओ. कोर्ट में आना पड़ता है तो 80 मील चलकर आना पड़ता है। मेरा निवेदन था कि प्रशासन को चुस्त होना चाहिए और इसके लिए छोटी इकाइयां होनी चाहिएं। मेरा निवेदन है कि जैसे शराबबन्दी दूर करने के लिए घाटा खाकर भी व्यवस्था करना चाहते हैं उसी तरह से हमें अन्य कोई उपाय करके और पैसे की व्यवस्था करके छोटे छोटे जिले बनाकर प्रशासन को चुस्त करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बजट हमारे वित्त मंत्री महोदय लाए हैं राजस्थान के छोटे-बड़े सभी तबकों को इससे संतोष है, भ्रष्टाचारियों की जड़ें ढीली हैं लेकिन आज भी कांग्रेस और भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत है। वे इस बात में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाये। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस इरादे को सफल नहीं होने देगी और हमारे प्रशासन को स्वच्छ रखेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट रखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा, यह पहला अवसर है 30 साल में कि जनता पार्टी ने यह रंग बदल कर केसरिया रंग का बजट प्रस्तुत किया। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। रंग परिवर्तन के साथ साथ बजट रखा गया है जिसकी कि आम व्यक्ति भी और एक साधारण व्यक्ति भी भली प्रकार से समझ सकता है।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो दूसरे माननीय सदस्य बैठे हुए है वह बदली हुई परिस्थिति में जो त्याग और बलिदान का प्रतीक बजट है उसका स्वागत करें। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि कई कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी इसका स्वागत किया है।

इसमें जो अन्त्योदय योजना है उसके द्वारा एक जोत जली है। आज तक कांग्रेस के लोग जिस बात के लिए कहा करते थे कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे मैं समझता हूं कि दरिद्रनारायण की सेवा करने का काम सबसे पहले इस राजस्थान की सरकार ने किया है। यह देश में पहला उदाहरण है। जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार बड़ी नेकनीयति से जो विरोधी दल के लोगों ने सुझाव दिये हैं उनको क्रियान्वित करेगी। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 33 हजार गांवों में जो पांच 2 लोगों को छांटेंगे उसका यह परिणाम होगा कि 5 सालों में 8 लाख लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। यह बड़ी प्रेक्टिकल योजना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने भी राजस्थान सरकार का जब बजट प्रस्तुत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किया गया तो इस योजना का प्रशंसा की। उन्होंने राजस्थान सरकार को कहा है कि यदि ब्लुप्रिन्ट बनाकर राजस्थान सरकार प्रधान मंत्री को दे तो वह इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार और जनता पार्टी का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीबी दूर होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी योजना से प्रभावित होकर हमारे भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई 6 और 7 तारीख को स्वयं यहां पधार रहे हैं इस योजना का उद्घाटन करने के लिए। तो मैं मेरी सरकार को निश्चिततौर पर धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लें जिससे कि राजस्थान देश में ऐसा उदाहरण पेश कर सके जो कि भारत की जनता के लिए बेमिसाल उदाहरण हो सके। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

अब कहा जाता है कि यहां हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आंकड़ों के साथ सिद्ध करना चाहता हूं कि ऐसे अपराध जातिगत भावनाओं से प्रेरित होकर किये गये हैं। 1975 में 3 हत्यायें की गईं, 9 गम्भीर चोटें आईं, बलात्कार के दो मामले और एक मामला गम्भीर अपराध का था। यह आंकड़े उस समय के हैं जिस समय कि देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की हुई थी, कांग्रेस का एकछत्र राज्य था और विरोधियों को जेल में ठूंस दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी एक हत्या, एक गंभीर चोट का मामला, बलात्कार का एक भी मामला नहीं और गम्भीर अपराध का एक मामला था। 1976 में इन आंकड़ों के आधार पर एक हत्या का मामला है, न गम्भीर चोट का मामला है और न कोई बलात्कार का और न गम्भीर अपराध का मामला है। 1977 में जनता पार्टी का राज्य राजस्थान में आ गया। हम कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है? जो अपराध सवर्णों द्वारा किये जाते हैं और जातिगत भावनाओं से प्रेरित होकर किये जाते हैं वह भी आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 1975 में 15 मामले तो हत्या के हैं, 41 मामले गम्भीर चोटों के हैं, बलात्कार के 9 मामले हैं और 21 मामले गम्भीर अपराध के हैं। 1976 में 9, 37, 18 और 32। अनुसूचित जनजाति के 6, 17, 2 और 8। जून 1977 तक यह सिर्फ 6, 17, 7 और 5 और अनुसूचित जनजाति के 3, 5, 2 और 2। मेरा निवेदन करना यह है कि लोग भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं कि जनता पार्टी के राज में हरिजनों के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इन आंकड़ों के आधार पर सिद्ध करना चाहता हूं कि यह भ्रामक प्रचार है। 1970 में 31 मामलों का चालान अदालत में किया गया। इसके बाद 176 पर मुकदमे चले जिनमें से 28 को सजा हो गई, 21 का रिहाईनामा हो गया, एक पर जुर्माना हो गया, 37 बरी हो गये और 88 की जांच चल रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है कलेक्टर्स को इस बारे में आगाह किया है कि हरिजनों पर अत्याचार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार अन्य आगे के मामले हैं उनमें से 73 के चालान प्रस्तुत कर दिये, 333 अदालत में पड़े हुए हैं, 42 को सजा हुई हैं, 53 मुल्जिम रिहा हो गये और एक पर अदालत विचार कर रही है। यह स्थिति है। राजस्थान में कहीं पर अनुसूचित जनजाति के लोगों पर, हरिजनों पर अत्याचार नहीं हुए हैं। जनता पार्टी पर यह जो आरोप लगाया गया था उसके बारे में आंकड़ों के जरिये मैंने आपको बता दिया है। 1974 में 66, 75 में 90। 1976 में 156 मामले और जून 1977 तक केवल 61 मामले सामने आये हैं। इससे स्पष्ट है····

एक माननीय सदस्य : अभी साल बाकी है····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठहर जाइये। अभी समय बाकी है बहुत बड़े बड़े और बढ़िया काम होंगे। रचनात्मक कामों में तो कांग्रेस को भी सहयोग देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक सुझाव दूंगा, जो माननीय सदस्य विश्राम कर रहे हैं वे कृपया चेम्बर में जाकर विश्राम करें।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी सो रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई नहीं सो रहा, सब जाग रहे है। आपकी मोटर खत्म हो गई, बंगले खत्म हो गये····

श्री जय कृष्ण शर्मा : आप तो अपनी चिन्ता करो।

श्री अयूब खां : मेरी आंख बन्द थी, कान बन्द नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के लोग हरिजनों की दुहाई देते हैं। इन्होंने ही हरिजनों को शहर से तीन मील दूर फेंका है। इन लोगों ने····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शांत रहें। भार्गव साहब, आप बोलते रहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर हो तो बैठ जाना चाहिये इसलिये मैं बैठ गया था।

तो यह निवेदन कर रहा था कि अब तक जून, 1977 तक 61 मामले आये उनमें से 30 का चालान हो गया। बार बार जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये मैंने यह आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

हमारे गृह मंत्री जी और श्रम मंत्री जी मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़ा न हो, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों की जो वाजिब मांगें हैं, वे मान ली जायें ताकि उनको आन्दोलन न करना पड़े, तालाबन्दी न हो। हम मजदूरों में यह भावना पैदा करना चाहते हैं कि भारत माता हमारी माता है। देश का नुकसान न हो इसके लिये प्रयास करने का हमने विचार किया है। गृह मंत्री जी, श्रम मंत्री जी, मजदूरों और मालिकों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं कि वाजिब मांगों को तुरन्त मान लिया जाये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

माननीय वित्त मंत्री जी, आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो आपने सारे बजट में कमियां रखी हैं। पर्यटन विभाग में चाहे टेक्सी ड्राइवर हो या अन्य आदमी हो सबका काम महत्वपूर्ण है। पर्यटन निगम बनाने की बात करनी चाहिये थी क्योंकि राजस्थान पर्यटन के नाते बहुत बड़ा केन्द्र है। जनेवा में जो इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस हुई थी उसमें यह कहा गया था कि राजस्थान ही एक ऐसा दर्शनीय स्थान है जहां पर्यटक लोग सबसे अधिक जाते हैं। राजस्थान विश्व में सबसे बढ़िया स्थान है। यहां बर्फ जरूर नहीं है। पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ 20 लाख खर्च करके 6 करोड़ रुपया कमाया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम स्थान-स्थान पर होटल बनाते हैं और टूरिस्ट्स के लिये बंगले बनाते हैं। लेकिन 1973 से इस पर्यटन विभाग को एक पैसे की मदद नहीं की है। पर्यटन के जरिये राजस्थान में एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो सकता है।

उद्योग धन्धों की कमी है। इनको आप किस तरह पनपायें इस पर विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खनिज विभाग की ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं जयपुर शहर की पेय जल की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान मुख्य मंत्री ने इसी विधान सभा में विरोधी दल के नाते बार बार बनास योजना को कार्यान्वित करने लिये कहा था। बनास योजना से जयपुर, अजमेर और टौंक में पीने का पानी और सिचाई के लिये अच्छा साधन उपलब्ध होगा। जयपुर शहर में आये दिन गर्मियों के अन्दर और आजकल भी पानी की दिक्कत रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये जागृत है।

जयपुर में अन्य जो उद्योग धन्धे हैं, मूर्ति बनाने का, छपाई, लाख की चूड़ी का धन्धा करने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन देने का आपने कोई जिक्र नहीं किया है।

आज केन्द्रीय सरकार के पेन्शनयाफ्ता को राहत ज्यादा मिलती है, राजस्थान के पेन्शनयाफ्ता को राहत कम मिलती है। आपने केवल 5, 10 और 15 रुपये बढ़ाये हैं। मै, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में गम्भीरता से विचार करें।

मद्य निषेध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने और स्वयं सर्वोदयी नेता गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान में मद्य निषेध की बात बार बार कही है। इसलिये पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसे बड़े-बड़े जिलों में लागू करें। मद्य निषेध होना चाहिये। मद्य निषेध आन्दोलन के मुख्य मंत्री स्वयं अगुवा रहे हैं और आन्दोलन में भाग लिया है।

रेडिमेड वस्त्रों वाले कुछ लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि 15 रुपये तक के वस्त्रों पर बिक्री कर नहीं होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा।

अन्त में मैं अधिक समय न लेकर भाषा विभाग को शिक्षा विभाग में मिलाया और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूसरे विभागों को भी अन्य विभागों के साथ मिलाया है, जो बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया है एक विभाग को दूसरे विभाग में मिलाने का यह निश्चित रूप से सराहनीय है।

अन्त में एक आश्वासन और चाहूंगा, राज्य में जो लाटरी में हजारों लोग लगे हुये हैं उनको भी आप निश्चित रूप से काम देंगे।

पुलिस के बारे में जो आपने प्रावधान किया है, वह निश्चितरूप से बढ़िया प्रावधान है। सिपाही की ड्यूटी हार्ड होती है। हार्ड ड्यूटी के बाद उनका वेतन कम मिलता है। पुलिस हितकारी निधि में जो पैसा रखा है, मैं समझता हूं जो 5 लाख रुपये का प्रावधान किया है उस पर भी आप निश्चितरूप से ध्यान देंगे।

अन्त में जो केसरिया बजट, सुन्दर बजट, राजस्थान सरकार ने रंग बदलकर बजट प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं विरोधी दल भी निश्चितरूप से इसको पास करने में सहयोग देगा। मैं समझता हूं जो बजट आपने प्रस्तुत किया है वह पास हो। एक बार मैं पुनः राजस्थान की सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को तथा वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो रखा गया है इसके लिये अभी कहा गया है कि यह बजट बड़ा सुन्दर है लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बजट में और जनता पार्टी के बजट में कोई खास फर्क नहीं है। इस बजट में होना यह चाहिये था कि कांग्रेस के टाइम में जो टैक्स बढे थे, जो गरीबों पर लगे थे, उन टैक्सों को कम किया जाता और बड़े पैसे वालों पर टैक्सों का भार बढ़ाया जाता। यह जो बजट सामने आया है यह जल्दबाजी में तैयार किया गया बजट है। वाणिज्य फसलों पर उप-कर का, जब गत सैशन चला था, का विरोध किया था। जनता पार्टी के सदस्यों को भी ठीक नहीं लगा था और विरोध किया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि पार्टी दुबारा विचार करके इस सत्र में उसे वापिस ले लें। जल्दबाजी में रखने और जल्द-बाजी में वापिस लेने से क्या इसमें बड़े बड़े लोगों को फायदा नहीं हुआ है। इस टैक्स को बिलकुल समाप्त किया गया जब कि छोटे काश्तकारों पर माफ करना चाहिये था और जो बड़े बड़े भूमिधारी लोग है उन पर रखा जाना चाहिये। लेकिन गरीबों के नाम पर, गरीबों की आड़ में बड़े लोग ही फायदा उठाते हैं इस टैक्स का बिलकुल समाप्त करने से यह साफ जाहिर है। बिलकुल छोटे काश्तकारों पर यह माफ होना चाहिये जब कि बड़े बड़े लोगों पर भी माफ कर दिया गया है, यह बिलकुल गलत है।

जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई को रोकने के लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये वह कहीं भी इसमें नहीं झलकती है। आज के टाइम में मनमाने ढंग से हर चीज पर व्यापारी पैसा कमा रहे हैं और अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। अभी कल से होने वाली बहस में यह सुनने को मिला कि बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े फार्म बने। आज भी वे बन रहे हैं और पहले भी बने थे। आज दो ढाई महीने के टाइम में क्या ऐसा एक्टिव कदम उठाया गया जिससे पैसे वालों को पैसा बढ़ाने से रोका गया। सेन्टर में

Page No 76

(76)

(श्री नूरा)

भी जनता पार्टी का शासन है, यहां भी जनता पार्टी का शासन है। नीति के हिसाब से कहा जा सकता है कि किसी को आसान माल मिला तो महारानी गायत्री देवी को, जिसको लाखों का माल वापस कर दिया गया। जनता पार्टी को दया आ गई। क्या वह माल गरीबों के लिए और देश के विकास के लिये उपयुक्त नहीं था? वह माल जैसा पकड़ा गया और वापस कर दिया इसमें कौनसी बात नई हुई?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अखबारों में आपने क्या पढ़ा और क्या देखा, जो आप ऐसा कह रहे हैं

श्री नूरा : माल क्या था वह तो आपको खुलासा करना चाहिए था··

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपको, माननीय सदस्य, गलतफहमी है।

श्री नूरा : अखबार में छपता है तो आपको कोई स्टेटमेंट देना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी को कहना चाहिए था यह गलत है।

(व्यवधान)

अगर वास्तव ऐसा नहीं हुआ है तो स्वागत योग्य है। अगर ऐसी बात है तो आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से बयान दिया जाय और उसमें सारी स्थिति को साफ किया जाय।

जो यह कहा जाता है कि किसान और मजदूरों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है तो न तो आज गांवों में किसानों को बसाने की बात ही हुई है और न उनके लिये कोई आवास की व्यवस्था हुई है। आज गांवों में उनको काफी तकलीफ है। इसके साथ ही शहर में ही आज, उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों की आवास की समस्या को भी हल नहीं किया गया है। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है, ब्यावर और विजयनगर में गरीब लोगों को पट्टे दिये गये लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल उनको पट्टे ही हाथ में आये हैं, मकान हाथ में नहीं आये। अब मैं आने वाली सरकार को कहूं या फिर जनता पार्टी की सरकार को कुछ कहूं? उनसे गलतियां हुई लेकिन आने वाली सरकार को कुछ बात कहूं तो ज्यादा काम की बात होगी। कांग्रेस ने गलतियां कीं तो कांग्रेस चली गई। आप काम करेंगे तो ज्यादा समय तक इस जगह रहेंगे और आपके काम का स्वागत भी किया जाएगा।

सिंचाई के लिये कुए खोदने और कुओं को गहरा करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि कुओं की संख्या भी बढ़ाई जायगी। इस हेतु एक काश्तकार को पांच हजार रुपये देंगे। पांच हजार में पानी नहीं मिला तो काश्तकार कर्जदार हो जायगा। कुआ भी जो खोदना चाहता है वह अगर पूरा नहीं हुआ तो भी सरकार वसूली की कार्यवाही कर लेगी। मेरी ऐसी मान्यता है और मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सामूहिक कुए खोदे जायं जिसमें राज्य का पैसा लगे, कुए खोद कर काश्तकारों को पानी दिया जाय और सिंचाई की दर जैसे तालाबों से सिंचाई की लेते हैं वैसे लें तो सरकार को भी आय होगी और छोटे काश्तकारों को भी अधिक लाभ मिलेगा। मैंने

(श्री नूरा)

बोरूंदा की स्कीम को देखा है। वहां सामूहिक कुए खोदे गये हैं। जितनी जमीन में पिलाई का खर्चा होता है उसमें आधा वे खुद रखते थे और आधा काश्तकार बर्दाश्त करता है। मैंने कहा, 8 हजार पिलाने की बात कही है उसमें पांच हजार का मुनाफा कैसे बताया है तो बताया गया कि छोटे काश्तकारों का बड़ा काश्तकार जो शोषण करता है, इसमें वह उस शोषण से बच जाता है। इस तरह के कुए हो जायेंगे तो किसान कर्जे के भार से भी मुक्त हो जायगा। मैं समझता हूं कि किसान को भी लाभ होगा, खासतौर से छोटे काश्तकारों को लाभ होगा, सरकार को भी आमदनी होगी और बड़े लोग जो लूटते हैं उनसे भी मुक्त होंगे।

आज के टाइम में यहां पर मजदूरों के लिए कहा जाता है, मजदूरों को लाभ पहुंचाने की बात कही जाती है लेकिन आज जैसे जिक्र किया गया था कि भीलवाड़ा में एक महीने से हड़ताल चल रही है और सरकार सोमवार को इसके बारे में अपनी बात कहेगी। यह बात यहां पर कही गई है। एक महीने तक मजदूर संघर्ष में रहे फिर भी पता नहीं कब सरकार का वक्तव्य आएगा। पैसे वाले लोग जब चाहें कारखाना बन्द कर दें, जब चाहें तब कारखाना खोल दें। ब्यावर में मैंने अभी देखा है, जब मैं यहां आ रहा था, कृष्णा मिल के मालिक ने तीसरी पारी बन्द कर दी और बन्द करके सैंकड़ों मजदूरों को बेकार कर दिया। वे मजदूर इस मामले में बाहर धरना देकर बैठे हैं कि हमें वापस काम दिया जावे। वे कहते हैं कि हमारी इच्छा होगी तब खोलेंगे। अभी उसने तीसरी पारी बन्द कर दी है। उन मजदूरों का धरना आज भी जारी है। कांग्रेस के टाइम में भी मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ता था और आज भी आन्दोलन करना पड़ता है। आन्दोलन करने की बात में यही उद्देश्य होता है कि सरकार का ध्यान दिलाना है इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जो मजदूरों की डिमाण्ड है, एक एक महीने बाद जाकर मजदूरों की मांगें मानी जायं तो क्यों नहीं एक ही दिन में बैठ कर और सरकार बीच में पड़ कर विचार विमर्श कर के उनको निपटाने की कोशिश करती है ? एक महीने तक मजदूर लड़ाई-झगड़े करते रहें तब जाकर किसी नतीजे पर सरकार पहुंचे यह अच्छी बात नहीं है। ये पैसे वाले लोग, मिल मालिक इन मजदूरों को इतना हताश कर देते हैं कि वह लाचार हो कर अपनी नौकरी छोड़ कर दूसरी जगह नौकरी की तलाश में निकलते हैं। अभी भी मैंने देखा कि किशनगढ़ मे छोटे छोटे लघु उद्योगों के नाम पर बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। काम का आठ घण्टे का नियम बना हुआ है लेकिन आठ घण्टे से ज्यादा बारह-बारह घण्टे तक कार्य लिया जाता है। क्या लेबर डिपार्टमेन्ट की शाखा वहां नहीं है ? क्या लेबर डिपार्टमेन्ट देखता नहीं है ? अगर देखता है तो जब नियम है कि आठ घन्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है तो फिर कैसे बारह बारह घण्टा काम लिया जाता है। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वह जुटा कर काम लेते हैं जो नियम विरुद्ध हैं। कांग्रेस के टाइम में भी यही होता था और आज भी यही होता है। ढाई महीने

(श्री नूरा)

सरकार को हो गया, क्या सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है ? भाषण देने से या हमारी सरकार कुछ करेगी इसको दोहराने से इन बातों की पूर्ति नहीं होगी। इसमें काम करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। अगर यह ठीक ढंग से काम करें कानूनी रूप से काम करें और जो नियम है उनका पालन यदि करा दें तो काफी लोगों को राहत मिलेगी।

आज पुलिस की बात पर आ जायें तो एक साथी माननीय सदस्य नैनवा की घटना की बात बता रहे थे जिस पर उनको गुस्सा था। पुलिस ने उठा कर एक बच्चे को तालाब में फेंक दिया, उसका मांस भी मछलियां खा गई, हड्डियों का ढांचा बाहर निकला। लेकिन उस अधिकारी को आज तक सजा नहीं मिली। यह कांग्रेस के राज्य में भी होता था और आज जनता पार्टी के राज्य में भी हो रहा है। इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके बारे में खुलासा जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि जो आज बजट लाया गया है और जो पहले कांग्रेस का बजट था, इन दोनों बजटों में कोई फर्क नहीं है। आपके बजट का केसरिया रंग है, रंग तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसके अनुसार काम करके दिखायें। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। आश्वासनों से और भाषणों से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है।

जहां तक कंकरी और पत्थर और बजरी पर टैक्स लगाने की बात कही है इन चीजों की क्या स्थिति है ? क्या पत्थर गरीब वर्ग के यहां चिनाई के काम में नहीं आता है ? क्या उनके मकानों के काम में नहीं आता है। केवल ठेकेदारों का नाम लेकर कि ठेकेदार लाभ उठाता है, यह टैक्स लगाना ठीक नहीं है। मजदूरों और किसानों के भी यह काम में आता है इसलिए अगर इसमें उचित तरीके से संशोधन करके फिर इस टैक्स को लाया जाता तो छोटे तबके के लोगों को लाभ मिलता। आज भी जो ठेकेदारों की बात कही जाती है तो ठेकेदार तो उसी पैसे में से निकालता है। उसी पैसे में से पैसा निकाल कर बंगले बनाता है और कई गाड़ियां दौड़ाता है। आज वह उसी एस्टीमेट में से पैसा निकाल कर ले जाता है तो क्या एस्टीमेट्स के अनुसार काम होता है ? एस्टीमेट्स के माफिक काम नहीं होता है।

आज जागीरदारों के पास जमीन पड़ी हुई है, जागीरदारों के पास बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई है। उनके बड़े बड़े महल हैं जो खाली पड़े हैं। मैंने तबीजी में देखा है कि वहां पर सरकारी गेहूं का ढेर लगा पड़ा है। उस पर त्रिपाल डाल रखे हैं और वह बरसात में खराब हो रहा है। किसानों को अनाज मिलना चाहिए खाने के लिए वह नहीं मिल रहा है। जो महल खाली पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं आ रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उनमें अनाज रख दें तो किसानों को ताजा अनाज तो मिलेगा। लेकिन दुःख है कि इतने सारे राजा-महाराजाओं के महल पड़े हुए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। अगर वे मन से दे दें तो ठीक है अगर न दें तो कम से कम में लिए जाने वाली बात तो इसमें आनी चाहिए।

बड़े बड़े लोग जमीनों की चोरी करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि गरीब कभी

(श्री नूरा)

जमीन की चोरी नहीं करता है। बड़े बड़े लोग, जागीरदार लोग जमीन को

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दबाए बैठे हैं। जहां पर उनकी जमीन सीलिंग में ली गई है, यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को उनकी जमीन दी गई। लेकिन उससे उन लोगों को हटाया गया है। जमीन नहीं लेने दी गई। अगर किसी गरीब ने काश्त कर ली तो उसको जोर जबरदस्ती से अलग किया गया है, उनको फसल लेने नहीं दी गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बजट एक पून्जीवादी बजट ही कहा जा सकता है। गरीब मजदूर किसानों का बजट नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक महंगाई का सवाल है, कल मैंने यहां देखा कि जयपुर की महिलाओं ने जुलूस लाकर धरना दिया और मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया कि महंगाई बढ़ रही है आप उस पर विचार करिये। रास्ता निकालिए। आज औरत-मर्द सभी महंगाई के कारण आन्दोलित हैं। व्यापारी वर्ग सरकार की परवाह नहीं करता और महंगाई बढ़ती जा रही है।

श्री दिग्विजयसिंह : महंगाई रोकने के लिए आपका क्या सुझाव है।

श्री नूरा : धन्यवाद आपके पूछने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि अनाज की सप्लाई कोआपरेटिव स्टोर्स के जरिये और राशन की दुकानों के थ्रू की जाय। उनके निश्चित भाव तय किये जावें ताकि मजदूर-किसानों को सस्ता अनाज मिल सके और उस पर नियंत्रण सरकार का रहे। अगर कोआपरेटिव के जरिये बिके तो उसका लाभ कोआपरेटिव सोसायटी को मिलेगा और राज्य के जरिये होगा तो सरकार को लाभ मिलेगा न कि व्यक्ति विशेष को। इसलिए अनाज बंटवाने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाय तो मैं समझता हूं कि इस महंगाई के टाइम में गरीब वर्ग को मदद मिलेगी। यह जरूरी है। ऐसा कदम जल्दी से जल्दी उठाया जाय तो यह बढ़ने वाला असंतोष भी रुकेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे दल का एक ही हूं। मेरे लिए भी घण्टी बजायी जाय···

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित था। करीब बीस मिनट हो गये हैं।

श्री नूरा : थोड़ा सा टाइम और दे दें।

जहां तक वन विभाग का सवाल है, आज आप गांवों में देखेंगे कि जंगल साफ पड़े हुए हैं। अगर कहीं पर चारा चरा देते हैं तो उस गरीब वर्ग पर 51-51 रुपया जुर्माना किया जाता है और 51-51 रुपया जुर्माना करके उन गरीबों को लूटा जाता है। अगर उसकी बाउण्ड्री बंध जावे, बाड़ा-बन्दी हो जावे तो उसमें पशु चरा सकते हैं। आज फोरेस्ट लैंड के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। एक बैल पर 52 रुपया जुर्माना किया जाता है जो बड़ी अशोभनीय बात है। अच्छी बात नहीं है।

अब मैं खनिज विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे यहां पहाड़ी इलाका है, वहां पर सीमेंट और चूने का पत्थर

(श्री नूरा)

बहुत ज्यादा तादाद में निकलता है। पहले वहां पर साहू जैन को सीमेंट का कारखाना लगाने का परमिट दिया गया था लेकिन वह नहीं लगा। उसके बाद बिड़ला को परमिट दिया गया लेकिन वह भी नहीं कर सका। अगर ऐसे कारखाने लग जायं तो बेकार लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की बेरोजगारी मिटाने में मदद मिलेगी। अगर वहां पर इस प्रकार के चूने भट्टे के ठेके लोगों को दिए जायें तो बेरोजगार लोगों को काम मिल सकता है।

जहां तक यातायात का सवाल है, हमने देखा है हमारे ब्यावर से चलने वाली बस विजयनगर तक जाती है। यह सड़क इतनी खराब है कि जिस पर गाड़ियां चलाना मुश्किल है। ब्यावर से मसूदा तक जाने वाली सड़क पर लाखों रुपयों की रोडवेज की गाड़ियों का सत्यानाश होता है। बसें खराब होती हैं लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। ऐसी सड़कों के मामले को जल्दी ही प्राथमिकता देकर ठीक करवाया जाना चाहिए। वहां पर व्यक्तिगत साधनों का और सरकारी साधनों का नाश होता है। यह बहुत जरूरी है, इसको देखा जाय। लेकिन सिर्फ एक बात कहकर छोड़ दी है, इसकी पूर्ति नहीं की गई है।

खनिज विकास की बात है। सड़कों के बिना खनिज का काम नहीं हो पाता है। मेरे इलाके में पट्टी निकलाने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरा निवेदन है कि वहां पर लोगों को सहायता दी जावेगी, उनको साधन दिए जायेंगे तब जाकर के वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यह कह देने से ही कोई विकास की बात नहीं हो जाती है। इससे आम लोगों को राहत नहीं मिल जाती है।

यह बजट पूंजीवादी है। इसको समाजवादी बजट नहीं कहा जा सकता। यह गरीबों का हित करने वाला नहीं है। यह बजट पून्जीपतियों की मदद करने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पदमसिंह राठौड़।

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कहावत है :

घर मोटा टोटा घणा मोटा पीवजी रा नाम।
सखी हूं इन कारण दुबली जो गेला माथे गांव।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की स्थिति ऐसी ही है। भारत के बीच में यह है। आप देखेंगे, पिछली सरकार ने जितने भी काम किए हैं, मैं यहां पर सच्ची बात ही कहना चाहूंगा, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, जितने भी कार्यक्रम बने हैं, उसमें राजस्थान के वास्ते जितना ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। आज मैने इस दृष्टि से आपके बजट को भी देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष की अपेक्षा यह बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बड़ी सावधानी से बनाया है।

पहली बात आपको निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि ग्रामीणों और गरीबों के विकास के वास्ते एक अन्त्योदय की योजना चलाई गई है। अन्त्योदय की इस योजना के अन्तर्गत गांव में जो गरीब से गरीब आदमी है, ऐसे पांच गरीब आदमियों की गरीबी मिटाने के लिए यह कार्य-

(श्री पदमसिंह राठौड़)

क्रम चलाया गया है। इतने वर्षों से हम यह देखते आये हैं कि अधिकतर उत्थान की चीजें शहरों से शुरू होती हैं। इस कारण लोग गांवों से शहरों की तरफ आते हैं। आज यह जो नया कार्यक्रम चलाया है, यह जो उत्थान की बात कही गयी है, इससे आदमी गांव से शहर की तरफ नहीं जाएगा। शहरों की तरफ जाना रुकेगा और गांव के लोग ऊपर उठ सकेंगे जितना भी बजट है इसके लिए वह ठीक है। अगर गरीब आदमी ऊपर उठेगा तो गांव का विकास होगा और गांव का विकास होगा तो गरीबी मिटेगी।

शिक्षा के बारे में भी आपको बताऊं, जितना शिक्षा की ओर ध्यान शहरों में दिया गया है, उतना गांवों के वास्ते नहीं दिया गया। गांव का गरीब आज भी अनपढ़ है। शहरों में बड़े बड़े कालेज हैं और यह कालेज और बढ़ते जा रहे हैं। अगर गरीबी मिटानी है तो गांवों में शिक्षा का ज्यादा फैलाव करना होगा। गांव में शिक्षा होगी, गांव के गरीब अगर पढ़ जाएंगे तो उनको अदालत जाने में दुःख नहीं होगा। वहां पर जो एजेन्ट, दलाल हैं वे एक एक कागज की लिखाई के दो-दो रुपये, पांच-पांच रुपये इन लोगों से ले लेते हैं। अगर यह गरीब पढ़ जाए तो यह जो गरीबी है यह दूर हो जाएगी। एक मजदूर दो रुपये, चार रुपये और पांच रुपये की मजदूरी करता है। किसी काम से अगर वह तहसील में जावे अगर इसे लिखा-पढ़ी नहीं आवे, पढ़ना नहीं आवे तो इस लिखा पढ़ी में ही उससे पांच पांच रुपये ले लिये जाते हैं। चाहे वह तहसील का काम हो, चाहे अदालती मुकदमे का काम हो। तो गांवों में शिक्षा के लिए बजट में जो शिक्षा के मद में रुपया रखा गया है, उसके वास्ते मैं वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही साथ एक कड़वी बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेहता साहब नाराज होंगे। यह कहावत है—

नित नित तो पीणो न हो
न ही पीणो बिन नाथ।
के पी ओ मित्र संग,
के अर्द्धांगनी आप॥

आज शहरों में ही ज्यादातर यह काम हो रहा है। गांव में शराब बन्दी और शहरों में उन्मुख शराब की दुकानें। शराब की दुकानें ही नहीं, अंग्रेजी शराब की दुकानें, लाखों करोड़ों रुपयों की शराब यहां पर बिकती है यह शराब उन बस्तियों में बिकती है जहां पर मोटे 2 दफ्तर हैं, मोटे 2 बंगले हैं। आप कह रहे हैं शराब बन्दी पहले गांवों से शुरू करिए। मैं यह कहता हूं आप शहरों से शुरू कीजिए। शराब बन्दी पहले शहरों में होनी चाहिए। क्या दिल्ली, बम्बई और जयपुर में शराब की बिक्री नहीं होती है। यहां पर विषाक्त शराब से लोगों को अकाल मृत्यु नहीं हुई। गांवों में आप यह बन्द करना चाहते हैं। वहां पर तो गरीब लोग रहते हैं, वहां के लोग तो इतने गरीब हैं कि वे सिनेमा ही नहीं देख पाते। वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल नहीं देखी है। वहां पर रविन्द्र मंच नहीं है। वहां पर एन्जायमेंट के काई साधन नहीं है। एन्जायमेंट का कोई साधन है तो वह है राई का नाच,

(श्री पदमसिंह राठौड़)

तेजाजी का खेल, नट का खेल। ये खेल ही उनके एन्जायमेंट हैं। वहां पर कोई सिनेमा नहीं है। वहां पर के. लाल का जादू नहीं है, वहां पर कोई एन्जायमेंट है तो डमरूवाला जादू है। इसके उपरान्त भी कोई साधन है तो वह है शराब। मेहता साहब ने आंकड़े बता कर बहुत प्रयत्न किया है परन्तु मैं अपने आंकड़ों की किताब अपने घर भूल आया हूं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और सभी माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि विषाक्त शराब पीने से कहां पर लोग ज्यादातर मरे हैं। जयपुर में शराब पीने से लोग मरे है। मद्रास में मरे हैं। सूरत, अहमदाबाद में लोग मरे हैं। मुझे आप यह बता दीजिए 125, 200 की संख्या में आदमी शराब के कारण किसी गांव में मरे हैं। शहरों में मरे हैं। तो शराब बन्दी आप शहरों में करिये। आज हर काम ऊपर से चल रहा है। नीचे से नहीं चल रहा है। नीचे से तो एक काम शुरू किया जा रहा है गरीबों को हैसियत ऊपर उठाने का। मैं इस के लिए मुख्य मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होने गांव के पांच गरीबों के लिए गाय देने, भैंस देने और कुए खोदने के लिए साधन जुटाए हैं। मेहता साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वे तेजी से दारूबन्दी का काम कर रहे हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वे यह काम शहरों पर पाबन्दी लगा कर शुरू करें। पहले से ही आप गांवों पर पाबन्दी न लगावें। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहिले मैं अहमदाबाद गया था। जाते वक्त मैं रेल से गया था और आते वक्त कार से आया। अहमदाबाद जाने के लिए रेल के डिब्बे में बैठा, तीसरे दर्जे के कम्पार्टमेंट में। उसी डिब्बे में दो चार लड़के मजदूर टाइप के भी थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। मैने उनसे पूछा, कहां ठहरा जाय? तो उत्तर दिया जाए, फलां होटल में। पूछा, राजपूत हो? कहा, हां राजपूत हूं। शराब पीते हो? कहा, शराब पीता हूं। तो उन्होंने कहा, इस होटल में ठहरो वहां पर ठर्रा, अजमेरा, सट्टा, दशहरा सब मिलता है। उन्होंने सब दारू के नाम गिना दिए। सब तरह की दारू वहां पर मिलती है। कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो आप पहले शहरों पर प्रतिबंध लगाइये। शहर में इंसपेक्टर दारू को पकड़ता है। अदालत में भी केस जाता है परन्तु गरीब लोगों के सिर पर यह मढ़ दिया जाता है। कई लोगों का चरित्र इसीलिए खराब हुआ है क्योंकि शहरों में शराब पिये जाने से करोड़ों लोगों के चरित्र का हनन हुआ है। इससे कुछ लोगों के पास अनावश्यक पैसा भी एकत्र हुआ है और इसीलिए भ्रष्टाचार पनपा है। भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। नेता भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट लेकिन पटवारी पकड़ा जाता है। चरित्र के निर्माण का उदाहरण चुने हुए नेताओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तब उसकी छाप अधिकारियों पर और दूसरे लोगों पर पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है।

श्री पदम सिंह राठौड़ : जितने भी चुने हुए विधायक हैं, वह लोग अगर शराब के आकर्षण में नहीं आयें। किसी भुलावे में पड़कर, कारों में बैठकर किसी प्रलोभन में नहीं आयें तो चरित्र हनन नहीं होगा। फिर किसी अधिकारी का भी चरित्र हनन नहीं होगा। वह भी भ्रष्ट नहीं होगा। जो लोग खुद पीने वाले हैं वे नशाबन्दी की बात करते हैं और ऐसी बाते करके अखबारों में

(श्री पदमसिंह राठौड़)

अपना नाम छपा देते हैं। वह अपने दिल से सही मायने में बात नहीं किया करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

भ्रष्टाचार रोकने के लिए पहले ऊपर से चलो फिर नीचे आओ। जनता पार्टी के जितने भी विधायक चुनकर आये हैं अभी तक उन के चरित्र उजले है। अगर वह प्रलोभन में नहीं आये तो वह जनता का कुछ कल्याण कर सकेंगे। अगर हम भी लिप्त हो गये तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उन मन्त्रियों को सुनाओ।

श्री पदम सिंह राठौड़: यह जो बजट आया है, इसमें आवागमन के लिए प्रावधान रखा गया है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में जो भी बैठते है वे भगवान को याद करके बैठते हैं—

मुसाफरी दूर की है या मुईनुद्दीन मदद कीजे
तुम्हारा नाम लेकर मैं कदम आगे बढ़ाता हूं

रोडवेज की बसों में ऐसी हालत है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि निगम की बसों के साथ 2 प्राइवेट बसों को भी चलाया जाये। जिससे जनता को दुःख नहीं हो और इस कम्पीटीशन से सरकारी बसें भी अच्छी चलें, राष्ट्रीयकरण की नीति पर मन्त्रियों को और सरकार को अड़ कर नहीं बैठना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए। प्राईवेट बसों को भी रोड पर जरूर चलने देना चाहिए। इससे जनता को भी लाभ होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक व्यवस्था मेरी है। आप जो भाषण मेवाड़ी में दे रहे हैं उसको यहां रिकार्ड करने में काफी दिक्कत हो रही है। आप मेवाड़ी में न बोल कर हिन्दी में बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप पहले हिन्दी में लिखकर दे दें और फिर मेवाड़ी में बोलें। मुझे तो आपके मुंह से मेवाड़ी में सुनते हुए अच्छा लगता है। ऐसा बढ़िया भाषण मैंने पहले कभी नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष : सुनने में मुझे भी अच्छा लगा लेकिन रिकार्डिंग में दिक्कत होती है। अगर पहले हिन्दी में लिखकर दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, ठीक है।

श्री पदमसिंह राठौड़ : मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूं कि इस प्रकार से प्राइवेट बसें भी रोडवेज के साथ में चलाई जायें तो उससे जनता को बहुत सुविधा हो सकती हैं। दोनों के कम्पीटीशन से घाटा भी नहीं होगा। इससे अनेक लोगों की रोटी और रोजी भी चालू रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है. इस लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ❀

श्री मूलचन्द डागा : आपकी मोटर तो पहुंच गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

❀(मेवाड़ी भाषण का हिन्दी रूपान्तरण)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी के प्रथम बजट का स्वागत करता हुआ कुछ निवेदन करना चाहूंगा । यह एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस बजट के अंदर वह सभी कुछ है जो कि होना चाहिए । इसलिए खुशी होना स्वाभाविक है । आम जनता के बारे में जो कुछ भी है उससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी हुई है । इस बजट का कांग्रेसी बन्धुओं ने भी स्वागत किया है और उन्होंने इतने अच्छे बजट के लिए ताज्जुब किया है । बजट हमेशा से अच्छा है ।

मैं पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि गत 25 वर्षों में साढ़े बारह अरब खर्च कर चुकने के बाद भी 67 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । इतने सालों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है । यह भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के लिए कलंक की बात है । अब जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया है । जनता पार्टी की सरकार ने कमर कसी है । पहली बार राजस्थान में पीने के पानी की गारन्टी मिली है ।

मैं यह बात भी बता देना चाहता हूं कि काश्तकारों का ढाई हैक्टेयर जमीन से लगान माफ करने की बात सरकार ने की उसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने फसलों पर जो, वाणिज्य फसलों पर उन कर लगाया था उसको जनता सरकार ने माफ करके काश्तकारों को राहत प्रदान की है ।

पशुपालन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है तो इस व्यवस्था को पनपाकर लाया जा सकता हैं । पशुओं में हाई-ब्रीड की व्यवस्था करके और डेयरी को पनपा-कर इसमें सुधार लाया जा सकता है । मुझे खुशी है कि इस ओर जनता सरकार ने कदम उठाये है । अब हमको ढाई लाख की जगह साढ़े चार लाख लीटर दूध मिलने लगेगा ।

पिछली कांग्रेस सरकार ने तीस सालों में वनों का बिल्कुल सफाया कर दिया है । अब जनता सरकार ने वनसम्पदा को जो बढ़ाने का प्रयास किया, यह स्वागत योग्य है ।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है निर्माण कार्यों और लघु सिंचाई की जो योजनाएं हैं उस पर सरकार अपने ढंग से कार्य कर रही है वह तो ठीक है लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि राजस्थान में जितने भी अधूरे काम पड़े हुए है उनको पूरा करने के लिए विशेष तौर से कदम उठाया जाय । पिछली कांग्रेस सरकार ने जो भी निर्माण कार्य कराये वह सब वोटों के आधार पर कराये । मैं समझता हूं कि उसके सामने वोटों को प्राप्त करने का प्रलोभन था । जनता सरकार ने सही मायनों में राहत देने के लिए अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाये हैं, जिसके कारण अब तक जो पैसा लगा है उसका पूरा रिटर्न मिल सकेगा ।

ऊन उद्योग के लिए मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की 40 प्रतिशत ऊन राजस्थान में होती है । यहां पर बहुत बेरोजगारी है फिर भी सारी ऊन राजस्थान से बाहर जाती है । इसलिए

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मेरा निवेदन है कि उसका उपयोग राजस्थान में ही हो जिससे कि यहां पर जो बेकारी है वह दूर की जा सके। इसके लिए अधिक से अधिक कुटीर उद्योग विकसित किये जाने चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को पार्ट-टाइम जोब मिल सके और उनके फालतू समय का उपयोग हो सके।

इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने, सन् 19-75-76 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने, संजय गांधी ने और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेवजी ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए जिस प्रकार काम किये उसी प्रकार से भीलवाड़ा के तत्कालीन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने 75–76 में शिक्षकों की एक चयनित लिस्ट निकाली। उसमें से 61 नम्बर तक तो शिक्षकों को पंचायत समितियों के अन्दर भेज दिया और उसके बाद 62 नम्बर से इन्सपेक्टर ने अपने ही अधीनस्थ स्कूलों में शिक्षकों को भेज दिया। फिर उसके बाद 30 अप्रेल, 76 को पंचायत समितियों के लोगों ने उन शिक्षकों को वहां से निकाल दिया। राज्य सरकार ने आई. ओ. एस. को लिखा कि उनको एवजार्व कर लिया जाय लेकिन उस पर आई.ओ.एस. ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन 61 आदमियों को वापस कहीं पर भी नहीं लगाया। इस सम्बन्ध में आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और शिक्षक लोग परेशान होकर इधर-उधर भटक रहे हैं। डिप्टी डाइरेक्टर साहब से भी इस बारे में आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है शिक्षक संघ की ओर से भूख हड़ताल का नोटिस दिया गया है। इससे समस्या और गम्भीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए मेरा शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाय और शिक्षकों को एब्जार्व किया जाय।

इसी प्रकार से पंचायतों के अन्दर जो सेक्रेटरीज काम करते थे, उनको कांग्रेस सरकार ने हटाने के लिए कार्यवाही की है। एक तरफ एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में जिन आदमियों के नाम लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जिनको काम मिला हुआ है उनको बेरोजगार किया जा रहा है। उनको आप किसी किसी तरह से रखने की व्यवस्था करें क्योंकि वे बहुत पुराने लोग हैं और कई वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं। इसके लिये जो बोर्ड बना है उसमें कई शर्तें लगा दी हैं, 45 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और अन्य कई शर्तें हैं, इस प्रकार की शर्तों को हटाया जाय।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर माइका का उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है अतः इस उद्योग को पनपाने की बात करनी चाहिये। कांग्रेस सरकार ने तीस सालों में माइका उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके लगभग 14000 आदमियों को बेकार कर दिया है। जो छोटे-छोटे माइन्स ओनर थे और लाइसेन्स लेकर काम करते थे उनका धन्धा बरबाद हो गया है। अब मुझे खुशी है कि जनता सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। मेरा सुझाव है कि माइका उद्योग, ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो कि बिल्कुल मृतप्राय हो गया है, की ओर पूरा ध्यान देकर इसको पुनर्जीवित

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

करने का प्रयास किया जाय जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में मांडल तहसील करेड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पर नायब तहसीलदार का आफिस होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कलेक्टर साहब ने भी कई बार लिखा है लेकिन लालफीताशाही के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है, जनता सरकार ने वायदा किया है कि सस्ता न्याय दिलायेंगे इसलिये इसकी सुव्यवस्था की जाय। मांडल के अन्दर में मुन्सिफ कोर्ट रखने की मांग करूंगा। वहां के लोगों को भीलवाड़ा जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लेकर भीलवाड़ा में जो चार मुन्सिफ कोर्ट चल रही है उनमें से एक मुन्सिफ कोर्ट मांडल में लगाई जाय। इससे कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सकेगा।

अभी मेरे बन्धु बता रहे थे शराब बन्दी के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि, राजस्थान के अन्दर काफी जगहों पर शराब बन्दी की गई है और कई जिलों का नाम लिया गया है लेकिन उसमें भीलवाड़ा जिले का नाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भीलवाड़ा जिले को भी इन्क्लूड किया जाय।

सभापति महोदय, समय बहुत कम है और कई बातें कहनी हैं, इसलिए मैं इतना ही कहकर बजट का स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि इससे राजस्थान में खुशहाली बढ़ेगी।

श्री सभापति : श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में हाउस के बहुत से सदस्य जानते हैं कि मैं 12 साल के बाद इस हाउस में आया हूं। 11 मार्च, 66 को मैं कांग्रेस सत्ता के साथ इस हाउस में बैठा था। कांग्रेस सत्ता के साथ मैंने बचपन से लेकर लगभग 40 साल तक का जीवन व्यतीत किया है। हमारे देश के सपूतों ने इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाकर स्वतन्त्र किया। उसके बाद यह स्वतंत्रता गांधीजी के भक्तों के हाथ में आई। उन्होंने गांधीजी को आश्वासन दिया था कि पूज्य गांधी के इस खेत की रखवाली हम करेंगे मगर उस खेत की रखवाली करना तो दूर उस खेत की फसल को चूंट चूंट कर खाने लगे। मैं 11 मार्च 1966 को यह कह कर गया था मुख्य मंत्री से कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने जन प्रतिनिधित्व के नाम पर सिफारिशी राज कायम कर दिया है जिसमें भाई, बेटे, साले, बहनोई की बेकारी दूर हो गई है और हमारे गांवों के गरीबों की बेकारी दूर नहीं हुई है। गांधीजी के नकली भक्तों ने दिखाने के लिए खादी पहनी, लेकिन अपनी कोठियों पर परदेसी गद्दों पर आराम किया। उस समय मैंने कहा था कि पूज्य गांधीजी, संत विनोबा जी और सर्वोदय के नाम पर कई सांप दूध पी रहे हैं, इस पर गोकुलभाई चिढ़

(श्री भैरव लाल कालाबादल)

गए थे। परन्तु संतों की आड़ में खादी ओढ़ कर ये नकली चेहरे सामने आये। आपको मालूम है कि प्रजातंत्र की हत्या पर ये लोग कैसे उतारू हुए और जनतंत्र के नाम को बदनाम किया। कांग्रेस के शासन में बहनों और माताओं की इज्जत भी खतरे में पड़ गई थी।

नसबंदी के नाम पर उन्होंने क्या नहीं किया। यदि ईमानदारी से नसबंदी के अभियान को चलाते, सही तरीके से नसबंदी करते तो कोई आपत्ति नहीं थी मगर उन्होंने अभियान चलाया इनाम की आड़ में। इनाम प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया नसबंदी का। एक नौजवान बहू को लेकर आ रहा था, उसको जबर्दस्ती मोटर से उतार कर उसकी नसबंदी कर दी गई। एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा था उसकी नसबंदी कर दी। एक 80 वर्ष का बुड्ढ़ा था उसकी भी नसबंदी कर दी। यहां तक भी सुनने में आया कि सांगोद में एक हींजड़े की भी नसबंदी कर दी बताई। यह जनता सरकार परिवार नियोजन को रोकना नहीं चाहती लेकिन उस हींजड़े से संतान होती क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : उस समय उन्होंने पत्र के अंदर हींजड़ा लिखवाया था ?

एक माननीय सदस्य : पत्र नहीं भरवाते थे।

श्री भैरवलाल कालाबादल : नसबंदी के नाम पर हमारे जिले झालावाड़ में कैम्प लगाया 25 अक्टूबर, 1976 को। सारे इलाके के लोग मिलकर हरीगढ़ केम्प में कहने गए कि हमारा बीज डालने का समय है, एक महीने के बाद नसबंदी का केम्प लगायेंगे तो राजी राजी नसबंदी करा देंगे। इस बात पर उनके साथ जबरदस्ती हुई और हाथापाई हो गई। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन आर. ए. सी. पुलिस के लगभग 500 सिपाही आए, और डी वाई. एस. पी. सहित सारे गांव में फैल गए। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 27 तारीख को ललावता गांव के 11 किसान खेत में बीज बो रहे थे। आर. ए. सी. के जवानों ने उन 11 किसानों को पकड़ लिया। उनको जमीन पर आधा डाल दिया और लातों से मारने लगे। वे चिल्लाने लगे। इतने में छीतरलाल 25 साल का युवक दूसरा खेत छोड़कर आया। उसने हाथ जोड़कर उस डी वाई. एस. पी. शंकर लाल काला के सामने प्रार्थना की कि महाराज इन गरीब किसानों को क्यों मार रहे हैं? इतने में ही छीतर लाल को वहीं ढेर कर दिया। उसको जान से मारा गया। 4 जनों की हालत ऐसी थी कि उनको मृतक समझ कर गाड़ी में लिटाकर पुलिस वाले ले गए। छीतरलाल की लाश को भी ले गए। उसकी लाश को कोतवाली में उतार दिया और अंधकार में नदी में या नाले में फेंक दिया। आज भी उसकी लाश का पता नहीं। पुलिस रिकार्ड में नहीं है। आई. जी. पी. और गृह मंत्री बोलते नहीं थे। जो कोई भी बोले उनको जेल के सिकंजे में डाल दिया।

मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी संसद के चुनाव जीतने के लिए खानपुर गए और झालावाड़ भी गए। जितने लोग गिरफ्तार थे उन पर केसेज चल रहे थे लेकिन बिना फैसला किए जेलों से निकलवाया। यह उन्होंने इसलिए किया कि संसद के चुनाव जीता जायं। उपाध्यक्षजी, छीतर

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

लाल मारा गया। घासीलाल की बगल में गोली लगी, प्रभुलाल को कूल्हे में लगी और विरधी घायल हो गया। तीन लाशें और झालावाड़ की अस्पताल से निकलीं। छीतर लाल मारा गया। उसके कपड़े और लाश आज तक माता-पिता को नहीं लौटाई। उसका बाप आज भी 'हाय छीतर, हाय छीतर, कह कर रो रहा है। इतने लोगों पर अत्याचार किया, लेकिन गांव वालों से किसी ने जाकर नहीं पूछा। कोर्ट को यह बताया गया कि बहुत से आदमियों ने पुलिस को घेर लिया था। जब कि पुलिस ने 184 फायर किए। पुलिस ने कहा, 2 हजार आदमियों ने घेर लिया था। कितने ही जख्मी हुए जब कि 11 के अलावा कोई और नहीं था। डी. वाइ. एस. पी. ने कहा, आर. ए. सी. के जवानों के पास छर्रे कारतूस नहीं होते हैं। कन्हैयालाल बोहरा और मदनलाल सरपंच के घर छापा डाल कर चार बन्दूकें और 20 कारतूस जब्त किए और बन्दूकें लेकर ललावता गांव पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गोलियां चलायी गयीं। कई लोग मर गये और घायल हो गये। इतना दर्दनाक काण्ड हुआ कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। इसलिये मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस काण्ड के लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर करेंगे। कांग्रेस शासन के जाने के बाद जनता पार्टी ने पता नहीं कितने ही आयोग बैठाये हैं शाह आयोग, कानसिंह आयोग। वह आयोग इनके खिलाफ में कब कार्यवाही करेंगे? आज यहां पर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई अत्याचार नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कई केसेज बता सकता हूं आप उनकी निष्पक्ष जांच कराइये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी। मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के वक्त भी नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपको आगे भी बोलने का अवसर मिलेगा। आज चूंकि अभी 20 मिनट ही बाकी हैं और बोलने वाले व्यक्ति अभी आज की सूची में दो तीन बाकी हैं इसलिये आप समाप्त कर दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मेरे पास एक बहुत ही नृशंस गोली काण्ड ललावता की रिपोर्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं अगर आप समय दें तो।

इस गोली काण्ड में कई लोग मर गये। आज तक जो दोषी अधिकारी हैं, अपराधी हैं उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया है। आज उन मृतकों के परिवार वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं उनके पास खाने को दाणा तक नहीं। उनकी दशा बहुत खराब है। मेरा निवेदन है कि उनके लिये व्यवस्था की जाय और अपराधियों को दण्ड दिया जाय। मैं आपकी आज्ञा से यह ललावता नृशंस काण्ड की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं जो कि आप अपने माध्यम से होम मिनिस्टर साहब के पास उचित कार्यवाही हेतु भिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की मेज पर क्यों रखते हैं, मिनिस्टर के पास ही भिजवा दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपके द्वारा होम मिनिस्टर साहब को दी जाये तो ठीक रहेगा। अपराधियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप खुद ही दे सकते हैं क्योंकि आप तो इलेक्शन पिटीशन कर चुके है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे चेम्बर में दे दें। संबंधित मन्त्री के पास पहुंचा दूंगा।

(श्री भैरवलाल कालाबादल ने सदन की मेज पर प्रतिवेदन रखा)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एक जरूरी सूचना माननीय सदस्यों को देनी है। आज सदन का समय पांच बजे तक का ही है। पांच बजने में मुश्किल से 25 मिनट बाकी हैं और बोलने वाले व्यक्ति भी काफी हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि कम समय में दो तीन व्यक्ति तो बोल लें। मैं यह भी अपेक्षा माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं कि वह मुझे बार बार घन्टी बजाने के लिये बाध्य नहीं करें तो ठीक रहेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया। मैं आशा करता हूं कि श्री गुलाबचन्द कटारिया निर्धारित समय में अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यगण ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह कौनसा तरीका है सदस्यों को एड्रेस करने का ?

श्री मूलचन्द डागा : यह आप किनको एड्रस कर रहे हैं ? यह पब्लिक प्लेटफार्म नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 30 सालों से कांग्रेस सरकार अपना बजट रखती आयी है। वह हमेशा से ही अपने बजट को गरीबों का और जनता का हिमायती बताती रही है। पर वास्तव में देखें तो कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस सालों में जनता के साथ खिलवाड़ ही किया, गरीबों के साथ हमेशा से अन्याय ही किया। आज भी जो इलाका पिछड़ा था वह पिछड़ा ही हुआ है। मैं आपको निवेदन करूं कि जिले की झाडोला तहसील के गांव ऐसे है जहां के लोग, जो कि आदिवासी हैं, अपना पेट भरने के लिये लकड़ी काटकर 17 मील तक उस लकड़ी को अपने ऊपर लाद कर बाजार में ले जाते हैं और उसे बेचकर पांच रुपया कमाते हैं। उस पैसे से वापस घर जाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी आदिवासी लोग रोजाना यह काम करते हैं और अपना गरीबी से पेट पालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह तीस वर्षों बाद एक ऐसा बजट जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया है जिससे गरीब वर्ग को सही मायने में लाभ होगा। यह वह बजट है जो गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग का हिमायती है। इस बजट का न केवल जनता पार्टी के सदस्यों ने ही बल्कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी स्वागत किया है। और जिन्होंने स्वागत नहीं किया है उनको करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : हरगिज नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महादय, बजट जो सरकार द्वारा पेश किया जाता है वह एक प्रकार से सरकार का दर्पण होता है। उस बजट के माध्यम से जनता का किस प्रकार से फायदा हो, किस प्रकार जनता के हितों की रक्षा हो यह पता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, विद्वान मन्त्री जी ने बजट में जनता पर कई टैक्स जो पुरानी सरकार ने लगाये थे उनमें छूट दी है तथा कई कर समाप्त कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो भूमि एवं भवन कर से जो एक लाख रुपये तक की सम्पत्ति को मुक्त रखा गया था वह समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलों पर उपकर की समाप्ति की गई है जिससे जनता का जो छोटा वर्ग है उसको काफी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी राहत जहां जनता पार्टी की सरकार ने अपने बजट में जनता को दी वहां पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुम्हार जो ईंटें बनाते हैं उनको आपने दस हजार रुपये तक ही छूट दे दी लेकिन उसके बाद में आगे आपने उसको टैक्सेबल कर दिया है। इसी प्रकार हलवाइयों के लिए पचास हजार रुपये तक तो आपने छूट दी है। पर होता यह है कि इस आय का हिसाब लगाते वक्त उन लोगों को सरकारी कर्मचारी बहुत ही परेशान करेंगे। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कुम्हार ईंटें बनाता है वह एक कमजोर वर्ग के अन्दर आता है। ज्यों ही इन का 50 हजार के टर्न ओवर से एक पैसा भी अगर ऊपर आया तो यह लोग उस पर पूरा टैक्स लगा देंगे अन्यथा उसको परेशान करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो आपने राहत दी है वह परेशानी में बदल जायगी। इसी प्रकार हलवाइयों के मामले में ज्यों ही 51 हजार रुपये साल की इन्कम हुई वैसे ही पूरा 51 हजार पर ही टैक्स वसूल किया जायेगा। जब कि होना यह चाहिये कि पचास हजार तक आपने अगर टैक्स फ्री किया तो उसके ऊपर जो एक हजार रुपया है उसी पर ही टैक्स लगे। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ऐसी कार्यवाहियां जनता को परेशान करने के लिये किया करती थी। आपको तो इसमें जैसा कि मैंने सुझाव दिया है जो पचास हजार के ऊपर वाली रकम हो उसी पर ही सेल्स टैक्स लगाना चाहिये। ऐसा करने पर मैं समझता हूं कि आप निश्चत रूप में जनता को राहत दे सकेंगे। इसके लिए अगर आपको धन की कमी हो तो मैं एक सुझाव और दे सकता हूं कि अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में 23 ए. पी. पी. एक्साइज के केसेज की पैरवी के लिए अपोइन्ट किये गये हैं। वह लोग इधर-उधर कोर्टस में जाते हैं तो उन्हें टी. ए. डी. ए., भी दिया जाता है। इससे राज्य सरकार के कोष पर करीब 2 लाख 76 हजार रुपये का खर्च आता है। अगर आप इन ए. पी. पी. की पोस्ट का काम पुलिस के ए. पी. पीज. को दे दें, जो कि आलरेडी कोर्ट्स में होते हैं तो यह 2 लाख 76 हजार रुपये का व्यय होता है वह समाप्त हो जायेगा। इस तरह से उस पैसे की कमी होने से आप जो बेचारे कुम्हार पर टैक्स ईन्टों की इनकम पर 50 हजार के बाद लगाते हैं वह समाप्त कर दें तो एक बहुत बड़ी राहत एक कमजोर वर्ग कुम्हार, जो समाज का है, को मिलेगी।

इसी प्रकार राजस्थान में प्रत्येक जिले में मोबाइल सर्जीकल यूनिट परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत चलती है। आजकल वह हाथ पर हाथ दिये बैठे हैं। राजस्थान में 26 केन्द्र हैं जिन पर राजस्थान सरकार को 45 लाख 75 हजार रुपये खर्च करने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पड़ते हैं अगर इन यूनिटों में आप कमी कर दें तो मैं समझता हूं कि राज को कुम्हारों और हलवाइयों को छूट देने में दिक्कत नहीं आयेगी। मैं समझता हूं कि इन टैक्सों के नहीं लगने से गरीब व कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले तीस साल से शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में बराबर तरक्की हो रही है यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जनता पार्टी ने अपने पहले ही बजट में पिछले तीन साल के रिकार्ड को बीट डाउन किया है खर्च को घटा कर, उसका आपको स्वागत करना चाहिये था। इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। एक समस्या भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां आप शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं वहां आपको प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता पर भी ध्यान देना चाहिये। अध्यापक आपको काफी मिल जावेंगे। अध्यापक लोगों का काम बढ़ाते हैं, उनको मिनिमम राशि नहीं दी जाती है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के लिये जो लोग शिक्षित हैं और जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको इस कार्य में लगाया जाय तो इसका काफी हल निकल सकता है। प्रौढ़ शिक्षा का और साक्षरता का काम भी होगा और लोग शिक्षित भी हो जावेंगे। तीस वर्ष में कांग्रेस सरकार ने केवल बजट के आंकड़े ही दिखाये हैं।

बिजली के भी केवल आंकड़े ही आंकड़े दिखाये हैं। आज भी कई तहसीलें हैं जहां पर बिजली के लट्टू को देखा ही नहीं है लोगों ने।

श्री मूलचन्द डागा : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्षजी, अच्छा भाषण हो रहा है। दुर्भाग्य है कि न तो वित्त मन्त्री है और न ही फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर हैं।

कई माननीय सदस्य : महबूब अली साहब है।

श्री मूलचन्द डागा : महबूब अली साहब हैं लेकिन फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री मौजूद हैं।

श्री मूलचन्द डागा : फुलफ्लेज्ड होने चाहिये। वे तो राज्य मन्त्री हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज भी कई ऐसी तहसीलें है जहां पर लोगों ने बिजली के लट्टू तक नहीं देखे हैं, बिजली की रोशनी देखने का उनको सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको दो तहसीलों का उदाहरण दूंगा। एक है झाडोल और दूसरी हैं कोटड़ा तहसील। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर तो जितनी जल्दी बिजली की रोशनी पहुंचा सकते हैं, उतनी जल्दी बिजली की रोशनी पहुंचानी चाहिये उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिये।

रोजगार की दृष्टि से जहां आंकड़े दिये गये हैं वहां यह भी कहा गया है कि उनको रोजगार देंगे। एक समस्या आप और हम सब के सामने मुंह बाये खड़ी है। आज शिक्षित व्यक्ति डिग्रियां प्राप्त व्यक्ति अपना नाम एम्प्लायमेन्ट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक्सचेंज में लिखाता है और जब तक उसको नौकरी नहीं मिल पाती तब तक वह आपने जो उम्र की सीमा बांधी है 28 वर्ष उसको पार कर जाता है। उसको कौन नौकरी देगा? वह कहां जायगा? उसकी क्या स्थिति होगी? आप इसको सहज ही समझ सकते हैं। या तो रोजगार कार्यालय में जब से नाम लिखाया तब से उसकी उम्र की सीमा मानी जाय और जब तक उसको रोजगार न मिल जाय तब तक उसकी आयु सीमा में ही माना जाय और उससे बाहर न माना जाय या फिर उस का उस पर बन्धन नहीं लगाया जाय। शिक्षित लोगों के सामने आज बड़ी भारी समस्या है। वे आज मारे मारे फिरते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और जीवन यापन के साधन उपलब्ध न होने की सूरत में बहुत निराश और दुखी होते हैं। जायं तो कहां जायं। योजना आप बनाते हैं लेकिन मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकार को नौकरी देनी ही चाहिये। जिस परिवार के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये। आज सर्विसेज में उन्हीं लोगों ने प्रभुत्व जमा रखा है जिनके परिवार के सब ही लोग लगे हुए हैं, सम्पूर्ण परिवार जिनका सर्विस में लगा हुआ है। गांव का पिछड़ा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके पश्चात् भी जब उसको नौकरी नहीं मिलती, कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसको खाने के लिये रोटी नहीं मिल सकती। किसी भी दफ्तर में वह प्रवेश नहीं कर सकता। आखिर वह नौजवान और वह परिवार क्या करे? इस समस्या को हल करना होगा।

चिकित्सा की दृष्टि से उदाहरण के तौर पर ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर के कालू नामक व्यक्ति की पुलिस द्वारा पीटने से हत्या हुई। जांच होने के बाद भी जिस तरह से पुलिस ने उस मामले को रंग दिया वह बहुत ही शर्मनाक है। उस व्यक्ति को थाने में ले जाकर पीटा गया। वह बेहोश हो गया। डाक्टरी मुआयना कराया गया और डाक्टर ने यह लिखा और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में डाक्टर पर दबाव डाल कर यह लिखवा दिया कि अल्कोहल के कारण मरा है। जिलाधीश और पुलिस के दबाव के कारण से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दूसरी हा बनाई गयी। उस व्यक्ति के पास कोई अल्कोहल नहीं थी। उस सारी फाइल को दबा कर एक तरफ रख दिया। मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में ज्यादतियां हुई हैं, 21 साल के नौजवान व्यक्ति की जान ली गयी है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये और दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिये। आप के राज में भी फाइल दबा दी जावेगी, कार्यवाही नहीं होगी और जिलाधीश के बयान से निर्णय ले लिया जावेगा तो न्याय का गला घोंट दिया जावेगा। मजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा है कि दोषी व्यक्ति घूम रहे हैं।

खनिज की दृष्टि से उदयपुर काफी समृद्ध है। प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं। धन कमा कर देने वाला वह क्षेत्र है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान में जियोलोजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज में केवल 19 स्थान हैं। इसको बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां राजस्थान में इतने खनिज हों और प्रचुर मात्रा में हों वहां केवल मात्र 19 स्थान हों और नौकरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दी जाती है तो यू. पी. और मद्रास से आये हुए लोग ले लिये जाते हैं और यहां के बुद्धिशाली और प्रतिभावान शिक्षित छात्र बेकार बैठे रहते हैं। उनमें बुद्धि है, साहस है लेकिन उनको अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का सही अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। उसका परिणाम है कि बाहर के लोग लिये जाते हैं। जो यह राजस्थान के शिक्षित लोगों के लिये चुनौती है। राजस्थान खनिज की दृष्टि से अधिक उन्नत हो सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्थान बढ़ाये जायं।

समय का ध्यान रखते हुए मैं इस बजट का, जो जनता पार्टी का पहला बजट है, तहेदिल से स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

सदन की अवमानना

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि आज मध्याह्न पश्चात 1.40 बजे दर्शक दीर्घा से एक युवक ने जो अपना नाम गोपाल प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी कुम्हेर, भरतपुर बतलाता है, 'लाटरी चालू करो', 'बेरोजगारी बन्द करो', ये नारे लगाये। गोपाल प्रसाद के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची और प्रहरियों ने तत्काल उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर गोपाल प्रसाद ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि आयन्दा वह इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। मैं इस मामले को सदन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करता हूं।

कई माननीय सदस्य : माफ करो, माफ करो।

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको गोपाल प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण कहता है, जिसने आज लगभग 1 बजकर 40 मिनिट पर दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, जिसको वाच एंड वार्ड के अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया उसने अपने इस कृत्य के लिये क्षमा याचना की है अतः उसे माफ कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मूलचंद डागा : जीतने का सवाल ही नहीं है।

परिवर्तित आय-व्ययक 1976-77 पर सामान्य वादविवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (चिड़ावा) : उपाध्यक्षजी, राजस्थान का परिवर्तित बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा है।

Page No 94

(९४)

(श्री शीशाराम ओला)

राजस्थान के बजट का ट्रेजरी बेंचेज में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भारी स्वागत किया है। ऐसा लगता है कि यह बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद अब और करने का कोई कार्य न रहा हो, यह बजट पेश हो जाने के बाद वाहवाही लूट ली हो, ऐसा संकेत संज्ञा माननीय सदस्यों ने इसे दी। मैंने बजट को पढ़ा और वित्त मंत्री जी का स्पीच भी सुनी। बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके माध्यम से नयी बात आयी हो। समाजवाद की झलक जिसमें रही हो, गरीबी को दूर करने की बात कही गयी हो। वही बात तोड़ मरोड़कर बजट में रखने की कोशिश की गयी है। जो इन बातों से बहुत दूर हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत वाहवाही लूटी है। बहुत सस्ती पब्लिसिटी के लिए प्रत्येक अखबार में वक्तव्य प्रसारित करवाया है। और जगह जगह बताया है कि हमने 520 नये प्राइमरी स्कूल खोले हैं और 410 प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में, 350 मिडिल स्कूल सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये गये हैं। और 520 प्राइमरी स्कूल नये खोले गये, 410 प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किये गये और 12 कालेजेज नये खोले गये। इसके अलावा 30 हायर सैकेन्डरी स्कूलों में नये सब्जेक्ट्स खोले हैं ......

एक माननीय सदस्य : यह 420 का फिगर कहां से लाये ?

श्री शीशाराम ओला : यह तो आपकी तरफ से ही आता है। हमारी तरफ से नहीं। यह 520 है 420 नहीं।

मुझे अफसोस है शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं बिराज रहे हैं। इस बार जिस प्रकार शिक्षण संस्थाएं खोली गयी हैं और शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा प्रोपेगेण्डा किया गया है और जिसको अभूतपूर्व की संज्ञा दी है- यह नगण्य है। इसमें खुला पक्षपात है। मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से राजनैतिक षडयंत्र रचकर दूसरी पार्टियों के साथ अथवा राजस्थान के आम लोगों के साथ बहुत बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया गया है।

राजस्थान में जहां शिक्षण संस्थाएं खोली जानी चाहिए थीं और जहां जिनकी आवश्यकता थी उनकी घोर उपेक्षा की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों से जहां जहां की राज्य सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी और वह रिपोर्ट वहां से आई लेकिन उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। जहां एक कमरा नहीं है, 10 स्टूडेन्ट्स नहीं हैं वहां आपने सैकेन्डरी स्कूल खोल दिया। जहां अत्यन्त आवश्यकता प्राइमरी स्कूल की थी वहां पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोली गयी......

एक माननीय सदस्य : ऐसा कोई नाम बता सकते हैं ?

श्री शीशाराम ओला : मैं बहुत नाम बता सकता हूं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं इसलिए मुझे भी बीच में न करें। आपको नाम तो बता दिये जायेंगे लेकिन नाम बताने से आप उसका हल नहीं निकाल सकते।

इसके अलावा मैं यह कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षण संस्थाओं को

(श्री शीशाराम ओला)

खोलने में जितना बजट रखा है उसका 25 प्रतिशत तो मंत्री महोदय ने अपने कोटा डिविजन में ही ले लिया। ऐसा मुझे सूची देखने से प्रतीत होता है। राजस्थान में आज के युग में चुनिन्दा सरकार शिक्षा जैसी चीज को एक क्षेत्र में बन्द करके रखती है या पार्टी के पक्षपात की दृष्टि से निर्णय करती है तो यह कहां तक न्यायसंगत बात होगी ? हमारे मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर महोदय की स्पीच पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए और अब भी यह कहा कि हम कोई पक्षपात विकास के कार्यों में नहीं करेंगे। बात सुनने में अच्छी लगती है। वाहवाही भी मिली है लेकिन होता उसके बिलकुल विपरीत है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : विपरीत काम तो आपने किये थे।

श्री शीशाराम ओला: प्रेमसिंह जी तीन-चार मिनट और बचते हैं मुझे बोल लेने दीजिए।

कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यों तो यहां श्री मेघवाल जी भी बैठे हैं जो सबका जिम्मा लेकर चलते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का इतना बड़ा पक्षपात करें शिक्षा जैसी पवित्र संस्था में, जिसके माध्यम से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, उस शिक्षा को एक विशेष पार्टी के कमरे में बन्द करके रख दें इससे बड़ी अत्याचार की बात दूसरी नहीं हो सकती। जनता पार्टी ने पक्षपात का सबसे बड़ा यह नमूना प्रस्तुत किया है।

मेरे क्षेत्र में एक भी प्राइमरी, मिडिल व सैकेन्डरी स्कूल नहीं खोला और न मंढावा में खोला जब कि शिक्षा जिला अधिकारी ने नरहड, किठावा और गोठडा आदि के लिए सिफारिश प्रस्तुत की थी। वह ऐसा क्षेत्र है कि जहां के सारे के सारे लोग देश की सुरक्षा के लिए सेना में तैनात हैं। आप देश के हितों की गलत दुहाई देते हैं। जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर हैं उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहें क्या यह शोभा की बात है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : 30 साल में क्या हुआ ?

श्री शीशाराम ओला : बाद में हम बात कर लेंगे, इस समय बीच में डिस्टर्ब न करें।

निवेदन करने का मतलब यह है कि 30 साल में शिक्षा का विस्तार हुआ लेकिन आज जो स्कूल खोले गये हैं उनमें निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है। उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि गोठडा नरहड और किठावा, वहां की जनता ने दो दो और ढाई ढाई लाख रुपये का चन्दा इकट्ठा करके मकान तैयार किये हैं। वह बहुत बड़े विशाल भवन हैं जिनमें पूर्णत: हायर सैकेण्डरी स्कूल तक की व्यवस्था हो सकती है वहां 90-100 बच्चे 9 वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। वहां पर 15 मील और 18 किलोमीटर में कोई सैकेण्डरी या हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। ऐसे गांवों में स्कूल नहीं खोल कर उनके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। इस से बड़ा पक्षपात आप दूसरा साबित नहीं कर सकते।

टाइम बहुत कम है वरना विस्तृत रूप से सारी बातें बताता। घड़ी की सुई अपने

(श्री शीशराम ओला)

स्थान पर पहुंच रहो है। मुझे सिर्फ दस मिनट का समय मिला हैं इसलिए जब विस्तृत रूप से बजट मांगें आयेंगी तो अलग अलग मांग पर बोलूंगा। अभी मेरा निवेदन है कि शिक्षा में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा पक्षपात किया है।

मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि मुझे दस पन्द्रह मिनट और दिये जायें यदि सुविधा हो तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है जहां तक सुविधा का प्रश्न हैं वह सम्भव नहीं होगा मैंने सारी परिस्थिति की जानकारी कर ली है।

श्री शीशराम ओला : मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी जिस बजट को कामधेनु समझती है........

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है 5 बज चुके हैं इसलिए आज की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

Page No 97

(97)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूचना)

अप्रेल, 1973 से 2 जुलाई, 1977 तक राजस्थान प्रणुशक्ति विद्युत गृह की प्रथम इकाई 173 बार बन्द हुई। राजस्थान प्रणुशक्ति विद्युत गृह, वर्षवार निम्नांकित समय तक बन्द रहा —

वर्ष	घण्टे
1973-74	4174 घंटे
1974-75	4297 घंटे
1975-76	5644 घंटे
1976-77	2077 घंटे
1977-78	427 घंटे

(जून 1977 तक)

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

भूतपूर्व योजना मंत्री को फिएट कार एवं स्कूटर का आवंटन

72. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व योजना मंत्री श्री शिवचरण माथुर को अब तक कितनी फिएट कार एवं स्कूटर अलाट किये गये हैं ?

उत्तर

तीन फिएट कारें निम्नांकित कोटे से अलाट की गई :—

अगस्त–अक्टूबर, 67	1
मई–जुलाई, 70	1
जुलाई–सितम्बर 72	1

कोई स्कूटर अलाट नहीं किया गया है।

झालावाड़ जिले में विद्युतीकरण

73. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) झालावाड़ जिले की किस पंचायत समिति में कितने-कितने गांवों का गत तीन वर्षों में विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना राजनैतिक आधार पर बनाई गई थी और वास्तविकता के आधार पर नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि मनोहरथाना पंचायत समिति का एक भी गांव विद्युतीकरण में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की 6 पंचायत समितियों में से 3 पंचायत समितियों के गत 3 वर्षों में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया गया है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं का चयन अमुक क्षेत्र में उपलब्ध उच्च प्रसारण एवं उप प्रसारण लाइनों की क्षमता व भू-जल उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, जिसे एक राज्य स्तरीय समन्वय उप समिति अनुमोदित करती है।

(3) जी नहीं, पंचायत समिति मनोहरथाना के 24 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। यद्यपि इस क्षेत्र को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, क्षेत्र के बिजली वितरण प्रणाली के बहुत अधिक दूर होने के कारण बनाना सम्भव नहीं हो सका है।

पंचायत समिति झालरापाटन में विगत तीन वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	ढावली खुर्द	41	खर खेडा
2	नल खाडी	42	तलवाडिया
3	गडारी	43	भवंरासी
4	रलायता	44	बजांरी
5	गोरधन निवास	45	किशनपुरा भवरांसी
6	नीमोदा	46	ढावली कला
7	उन्डल	47	टोल खेडा
8	गुराडी	48	बोरदा
9	सेगलीबखता	49	बीदा
10	कून्डी खेडा	50	भूमकी
11	कलमंडी खुर्द	51	मोडी
12	काला कोट	52	अमरपुरा
13	सेमली	53	नयापुरा
14	तीतरी	54	पिपलोद
15	तीतरवासा	55	जरेल
16	करमा खेडी	56	चांदिया खेडी
17	खाचरोद	57	बडवेला
18	मोतीपुरा	58	बडवेली
19	भूमाडा	59	बडोदिया
20	जेतपुरा	60	आकोदिया
21	सारंगा खेडा	61	भीलापुर
22	सालरिया	62	खेडला
23	कोटरा	63	गादिया कुण्ड
24	लसूडिया	64	झिरनिया
25	बिशनिया	65	डूंगर गांव
26	आवली खुर्द	66	पीपल्या गुजरान
27	मेहूदिया खेडी	67	ढावली
28	बकानी	68	बाली
29	खोरिया	69	पनवासा
30	ताल	70	हरिपुरा
31	खारपा	71	डूंगनी
32	मोरडा	72	खजुरी खुर्द
33	चोर खेडी	73	पिरथीपुरा
34	आक खेडी	74	गोरधनपुरा
35	हतुनिया	75	मानपुरा
36	जसवन्तपरा	76	गादियामेर
37	महूंडिया	77	मोहम्मद पुरा
38	रनावरा	78	खजूरी कलां
39	सरोद	79	कंवर पुरा
40	आनन्दा	80	गुराडिया मर्ता

पंचायत समिति बकानी में विगत तीन वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	बरखेडा खुर्द	26	मोलक्या खुर्द
2	गंगपुरा उर्फ तुमाडिया	27	पुन्या खेडी
3	भामभर खुर्द	28	शिवपुरा
4	कंकरिया	29	नयानिया दल्ला
5	नानोर	30	बास खेडी
6	दीवडी	31	उमेदपुरा
7	देवर	32	जगपुरा
8	करल गांव	33	खटकड
9	गरवाडा	34	रामनिवास
10	मोड खेडी	35	विशनपुरा
11	चार डुंगरी	36	भाऊपुरा
12	कोली	37	दीन्या खेडी
13	खरिया	38	पाडलिया गुजरान
14	राजपुरा	39	राजपुरा
15	पीपल्या नग्गा	40	बर खेडी
16	सावलपुरा	41	बगवाडा
17	रटलाई	42	रामपुरिया
18	मोतीपुरा	43	आगरिया
19	रीजोन	44	नरसिंहपुरा
20	देवडूंगरी	45	दौलतराम
21	दुधालिया	46	लाल्या खेडी
22	राजपुरा	47	पुरी
23	नयान्या गुजरान	48	कोली
24	गाडा गांव	49	ब्रह्म पुरा
25	मोलक्या कलां	50	रात्या डूंगरी

पंचायत समिति पिरावा में विगत तीन वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

1 कलोतिया

2 रोशन बाडी

भण्डारी गांव में पुलिस हैड कान्स्टेबल की हत्या

74. **श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम में भण्डारी नामक गांव में किसी व्यक्ति ने पुलिस हैड कान्स्टेबल की हत्या 1976 में की ? क्या उक्त हत्या करने वाले व्यक्ति को बचाने एवं केस को दबवाने में भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री चेतराम का हाथ था ?

(2) राज्य सरकार उक्त केस के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है उक्त हैड कान्स्टेबल की हत्या करने वाला व्यक्ति श्री सवाईसिंह पहले भी ऐसी हत्या कर चुका है?

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिस हैड कान्स्टेबल प्रमानन्द की हत्या 1976 में गांव भण्डारी थाना टोडाभीम में हुई थी। जी नहीं। भूतपूर्व विधायक श्री चेतराम ने इस मुकद्दमे से सम्बन्धित मुलजिम के पक्ष में पैरवी की थी।

(2) इस घटना के सम्बन्ध में मुकद्दमा नं. 66 दिनांक 27-10-76 धारा 302, 201, 452, 224, 225, 332, 353 आइ.पीसी पुलिस थाना टोडाभीम पर दर्ज किया जाकर तफतीश की गई थी तथा बाद तफतीश दो मुल्जिम महावीर पुत्र सवाईसिंह एवं मनोहरा पुत्र लोहन को गिरफ्तार किया जाकर दोनों के खिलाफ दिनांक 23-5-77 को चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। तीसरा मुल्जिम सवाईसिंह बाद बकुआ फरार होने से उसके खिलाफ 299 जा० फौ० तहत चालान पेश किया गया है।

(3) यह सही है कि श्री सवाईसिंह पूर्व में अभियोग नं० 17/65 धारा 307,342, 379 आई. पी. सी. थाना चौमूं में गिरफ्तार हुआ था परन्तु 307 आई. पी. सी. में बरी होकर 347 आई. पी. सी. में 1000|-रुपये के मुचलकों पर 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन पर छोड़ा गया था।

मांडलगढ़ क्षेत्र में लगान के साथ स्कूल के लिए टैक्स की वसूली

75. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में लगान के साथ 5 पैसा प्रति रुपया स्कूल के लिये टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार टैक्स से वसूल की गई रकम की राशि कितनी है ?

(2) क्या जिस-जिस पंचायत क्षेत्र से यह रकम वसूल की गई, उसी पंचायत क्षेत्र में स्कूल या अन्य निर्माण के काम के लिए दे दी गई या नहीं ? यदि नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई और अब कब तक दी जा सकेगी ? यदि दी गई तो किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी रकम दी गई ?

उत्तर

(1) स्कूल के लिए टैक्स के रूप में पांच पैसा प्रति रुपया वसूल नहीं किया जाता है। पांच पैसा प्रति रुपया भू-राजस्व पर सैस (उपकर) के रूप में वित्तीय वर्ष 1968-69 से वसूल किया जा रहा है। इस टैक्स से वर्ष 68-69 से जून 77 तक 1,78,539-37 पैसे की आय हुई।

(2) जिन जिन पंचायतों को स्कूल निर्माण के लिए राशि दी गई है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 102

(102)

तारांकित प्रश्न संख्या 14|भेड़ मं. के भाग (2) से संबंधित सूचना

सूची अधूरे प्राथमिक पाठशाला भवनों को पूरा कराने हेतु दिये गये अनुदान की सूची भू-राजस्व सैस कर से दिये गये अनुदान की वर्षवार सूची (पंचायतों को)

क्र.सं. 1	नाम पंचायत 2	स्कूल का नाम 3	राशि जो दी गई 4
		1971-72	
1	बल्दरणा	1 बल्दरणा	300-00
		2 पलासिया	600-00
2	बल्दंनो	1 बूल्दंनी	1000-00
3	मानपुरा	1 मिडिल स्कूल मानपुरा	1000-00
4	धनकडपेडी	1 धाकडखेडी	700-00
5	श्रीनगर	1 श्रीनगर	500-00
6	थडोदा	1 जावदा	500-00
		2 थडोदा	800-00
7	धामनियां	1 धामनियां	1000-00
8	श्यामपुरा	1 श्यामपुरा	1000-00
9	जोजवा	1 जोजवा	1000-00
10	सूरास	1 सूरास	1000-00
11	पाचरोल	1 पाचरोल	700-00
		2 होडा	700-00
12	भोपतपुरा	1 लक्ष्मीखेडा	500-00
13	जालिया	1 जालिया	500-00
14	उमाजी का खेडा	1 पुरोहितों का खेडा	500-00
		2 उमाजो का खेडा	500-00
15	मकरेडी	1 गुडा	500-00
		2 मकेरडी	500-00
16	गोपालपुरा	1 लक्ष्मीनिवास	500-00
17	मोहनपुरा	1 मोहनपुरा	500-00

1	2	3	4
18	सरथला	1 सरथला	500-00
		2 जसूजी का खेड़ा	500-00
19	पटवाड़ा	1 पटवाड़ा	500-00
20	महूआ	1 महुआ	600-00
21	गणोली	1 गेणोली	800-00
22	सिंगोली	1 मि० स्कूल सिंगोली	1000-00
23	माण्डलगढ़	1 नई आबादी	500-00
24	बिजोलिया	1 बड़ा दरवाजा बिजोलिया	500-00
25	दीगोद	1 पा. दीगोद	700-00
26	विक्रमपुरा	1 सदाराम जी का पेड़ा	500-00
		योग वर्ष 1971-72	20,900-00
		वर्ष 1972-73	
1	लाडपुरा	1 मिडिल स्कूल लाडपुरा	1000-00
		वर्ष 1973-74	
1	सूरास	1 वंडला	800-00
		वर्ष 1976-77	
1	राजगढ़	1 प्रा. वि. राजगढ़	1000-00
		वर्ष 1977-78 (30 6-77 तक)	
1	मकरेडी	1 शा. भ. रसून्दा	1000-00
2	मालका पेडा	1 उन्द्रो का पेडा	1000-00
3	जलीन्द्री	1 जलीन्द्री	1000-00
4	जोजवा	1 विठलपुरा	1000-00
5	थडोदा	1 प्रा वि. थडोदा	1000-00
6	धामनिया	1 प्रा. वि. लटाला	1000-00
			6,000-00

Page No 104

(104)

सोजत तहसील के गांवों में बिजली

76. श्री माधव सिंह (सोजत) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील के ग्राम बड़ा गुडा, सारंगवास व दूसरे आस पास के गांवों में बिजली की लाइन खिची हुई है। यदि हां, तो उक्त लाइन कब खींची गई ?

(2) उक्त गांवों में गांववार कितने 2 प्रार्थना-पत्र कितने लोड के किस किस तारीख से पैंडिंग हैं व किन 2 को कनेक्शन दिये जा चुके है ?

(3) उक्त गांवों में पैंडिंग प्रार्थना-पत्रों को कब तक कनेक्शन्स दे दिये जायेंगे ? अब तक कनेक्शन्स नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम दाढ़ी को छोड़कर बाकी गांवों की एच० टी० लाइन मार्च, 1976 तक खेंची जा चुकी थीं। इस गांव का विद्युतीकरण 30-3-1977 को हुआ है।

(2) अभी कनेक्शन नहीं दिये जा सके है। ग्रामवार जो कनेक्शन विचाराधीन हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(3) यह कनेक्शन अक्टूबर, 1977 के मध्य तक दे दिये जायेंगे। कनेक्शन बगड़ी के 33.11 के. वी. सब स्टेशन के न बन सकने के कारण नहीं दिये जा सके।

विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्रम संख्या	गांव का नाम	श्रेणी	संख्या	प्रार्थना पत्र कब से विचाराधीन
1.	करमावास	कृषि	15	5-4-76 से 2-8-76
		अन्य	—	—
2.	गुडा कलां	कृषि	—	
		अन्य	—	
		घरेलू	19	2-9-76 से 17-12-76
3.	दोनडी	कृषि	15	5-4-76 से 2-8-76
4.	मुरडावा	कृषि	—	
		अन्य	17	12-9-76
		औद्योगिक	2	23-9-76
5.	गुडा श्यामा	,,	1	19-7-77
6.	हरिया माली	,,	1	3-6-76 से 16-7-77
		कृषि	7	
		घरेलू	34	
7.	उदेसी गुढा	कृषि	8	
8.	गुडा बचराज	—	—	

एलम की खरीद के लिए रेट कान्ट्रेक्ट

77. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग, भीलवाड़ा का एलम खरीदने के लिये मै. उदयपुर केमिकल इण्डस्ट्रीज से 30 जून, 1974 तक का कोई रेट कान्ट्रेक्ट था? यदि हां, जो उसकी क्या रेट प्रति टन थी?

(2) क्या यह सही है कि 30 जून, 1974 की अवधि समाप्त होने के पूर्व विभाग ने एलम खरीदने का आर्डर नहीं दिया?

(3) क्या यह सही है कि 30-6-74 को एक आर्डर दिया जिसके अनुसार विभाग को 840 रु. प्रति टन देना पड़ा जब कि अन्दर अवधि खरीदने पर 310 रु. प्रति टन देना होता? इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) क्या यह सही है कि ऑडिट विभाग ने उपरोक्त नुकसान के लिए 25470 रु. की जिम्मेदारी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता की मानी है और वसूली करने के लिए लिखा है? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई वसूली की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रेट कान्ट्रेक्ट की रेट रु. 310 प्रति टन थी।

(2) जी नहीं। विभिन्न अधिशासी अभियन्ताओं ने अपनी आवश्यकतानुसार माल की खरीद के लिए आदेश जारी किये।

(3) जी नहीं। 30-6-74 को कोई आर्डर नहीं दिया।

(4) जी नहीं।

उपभोक्ताओं से बिजली की मिनिमम एवं एवरेज चार्जेज की वसूली

79. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जसवन्तसागर बान्ध एवं उनके आस-पास के क्षेत्र में कितने कुए हैं जो पिछले दो वर्षों से बांध की डूब में आये हुए हैं व बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके मिनिमम चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं? उपभोक्ताओं की सूची जिनके कुए डूब में आये हुए हैं, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ऐसे कुए जो अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा बांध की डूब में आये हुए हैं या दो साल से अतिवृष्टि के कारण जहां काश्त नहीं हो रही है, वहां मिनिमम चार्जेज माफ किये हैं? यदि हां, तो इस तरह के आदेश कब हुए? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके कुए पिछले 2 साल से नहीं चल रहे हैं, मिनिमम एवं एवरेज चार्जेज से राहत देगी? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जसवन्तसागर बांध की डूब में आये हुए 13 कुओं की सूचना मण्डल के पास उपलब्ध है जिन्हें मिनिमम चार्जेज का

(उत्तर)

भुगतान न करने के कारण डिस-कनेक्ट किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) मण्डल ने दिनांक 8–9–1977 की मीटिंग में निर्णय लिया है कि यदि कोई उपभोक्ता अपने कुए को डूब में आने के कारण पूरे वर्ष काम में नहीं ले सका है, तो ऐसे उपभोक्ता से उस वर्ष के मिनिमम चार्जेज नहीं लिये जायेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये उपभोक्ता को अपना आवेदन मण्डल के संबधित अधिकारी (सहायक अथवा अधिशासी अभियन्ता) को देना होगा जिससे ये अधिकारी तथ्यों की पुष्टि कर सकें। यह निर्णय प्रश्न एक में वर्णित मामलों में भी लागू होगा।

उपभोक्ताओं की सूची पिछले दो वर्षों से जसवन्तसागर बांध (पिचियाक) के सबमर्ज एरिया में आने के कारण डिसकनेक्ट पड़े हैं।

1. बस्तीराम पुत्र श्री शैतानसिंह
2. मोहनलाल पुत्र श्री साजाराम
3. शिवराम पुत्र श्री भोलाराम
4. जयराम पुत्र श्री डाबरराम
5. पन्नाराम पुत्र श्री खगांडराम
6. जयराम पुत्र श्री घीसाराम
7. मिश्रीलाल पुत्र श्री पुरखाराम
8. अन्दाराम पुत्र श्री जयराम
9. रूपाराम पुत्र श्री कृष्णाराम
10 खेमाराम सुपुत्र श्री छोगाराम
11, गंगासिंह पुत्र श्री चिमनसिंह
12. किशनाराम पुत्र श्री पुरखाराम
13. ओमप्रकाश पुत्र श्री आसजी

ग्राम पंचायत नगर की विशेष जांच

81. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1971 में ग्राम पंचायत नगर पं. सं. देवली, जिला टोंक, की विशेष जांच हेतु विकास विभाग से कोई पार्टी गई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट थी? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और अब उसकी क्या स्थिति है ?

(3) क्या उक्त जांच के दौरान यह पाया गया था कि वहां के सरपंच श्री रतनलाल द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया और बिना नियमों का पालन किए पेमेंट किए गए हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विशेष जांच में जांच अधिकारी के दौरान जांच यह थी कि जीप किराए का पेमेंट मनमाने तरीके से किया गया जो गलत है ?

(5) क्या उक्त रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि वहां की पंचायत व सरपंच दोनों ने मिलकर भारी अनियमिततायें कीं ? क्या राज्य सरकार ऐसी पंचायत को भंग करने का कोई विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या उक्त विशेष जांच से यह साफ है कि ग्राम पंचायत सरपंच श्री रतन-

(श्री दिग्विजय सिंह)

लाल ने करीब 4,000) रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है और पंचायत को हानि पहुँचाई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरपंच की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उत्तर

(1) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, बून्दी एवं जिलाधीश टोंक को ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र लिखे गये हैं और उनसे पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(3) जी हां। जिलाधीश टोंक को जांच रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया है।

(4) जी हां।

(5) जांच रिपोर्ट से यह प्रकट है कि सरपंच श्री रतनलाल जैन द्वारा धन के व्यय किये जाने में अनियमिततायें की गई हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीश से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) इस सम्बन्ध में जिलाधीश से जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भूमि की अधिकतम सीमा में संशोधन

83. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार भूमि की अधिकतम सीमा, जो कानून द्वारा निर्धारित की जा चुकी है उसे, कम करने का कोई विधेयक ला रही है?

(2) कृषि भूमि सुधार के नाम पर राज्य सरकार क्या नई योजना बना रही है? क्या लैण्ड रेवेन्यू को समाप्त करने का अथवा कम करने का राज्य सरकार का इरादा है?

(3) क्या लैण्ड रिकार्ड्स पटवारी के स्थान पर पंचायत के ग्रुप सचिव को सुपुर्द करने का राज्य सरकार का इरादा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, नहीं। अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (अढ़ाई) 2½ हैक्टेयर तक की असिंचित भूमि की जोत के लगान को माफ करने का निर्णय लिया है।

(3) जी नहीं।

राज्य में निलम्बित सरपंच

85. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस समय राजस्थान में कुछ सरपंच निलम्बित हैं? यदि हां, तो कौन कौन? यह सरपंच कब-कब से निलम्बित हैं तथा निलम्बित करने के कारण क्या हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 108

(108)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) निलम्बन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और अधिक से अधिक कितने समय तक निलम्बित रखा जा सकता है?

(3) क्या जनता सरकार बनने के बाद किन्हीं निलम्बित सरपंचों को वापस बहाल भी किया गया? यदि हां, तो कब-कब, किन किन को और उनके खिलाफ चार्जेज क्या क्या थे?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सरपंचों के विरुद्ध राजस्थान अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत जांच कराने पर आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए, या सरपंच के न्यायालय में नैतिक दुराचरण (Moral Turpitude) के अपराध से सम्बन्धित कोई प्रकरण विचाराधीन होने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के समय के बारे में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सुची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अटरू की नल योजना

86. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि (अटरू की नल योजना पूरे अटरू कस्बे) अटरू पंचायत व खेडलीगंज पंचायत को पीने का पानी पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं करा पा रही है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त नल योजना को अपने नियंत्रण में लेने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत अटरू ने उपरोक्त नल योजना को सरकार के नियंत्रण में देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा योजना को विभाग के नियंत्रण में लेने के लिए 14/3/77 को आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत अटरू के कुछ खातों के साथ उपरोक्त योजना को सरकार को देने का प्रस्ताव पारित कर लिया था।

शराबबन्दी अभियान के अन्तर्गत दिया गया अनुदान

87. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शराबबन्दी अभियान में किन-किन सार्वजनिक संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा कितना कितना अनुदान गत तीन वर्षों में दिया गया?

(2) क्या अनुदान प्राप्त इन संस्थाओं के कार्य विवरण की जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में वर्तमान में 5 संस्थाएं शराबबन्दी अभियान के कार्य में लगी हुई हैं। गत तीन वर्षों में इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई अनुदान राशि की सूचना निम्न प्रकार है:—

संस्था का नाम	स्वीकार की गई अनुदान की राशि 1974-75	1975-76	1976-77	योग
1. राजस्थान टेम्परेन्स सोसायटी, जोधपुर	1,92,232-11	10,000-00	77,000-00	2,79,232-11
2. बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर	1,30,600-00	1,72,161-47	1,00,000-00	4,02,761-47
3. भारतीय संस्कार निर्माण समिति सरदारशहर		91,700-00	1,85,000-00	2,76,700-00
4. राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाइड, जयपुर		26,000-00	23,000-00	49,000-00
5. राजस्थान नशा निवारण समिति, जयपुर			15,000-00	15,000-00

जी हां। इन संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्य की देखरेख के लिए प्रत्येक संस्था के व्यवस्थापक मण्डल में राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त स्तर का एक अधिकारी मनोनीत किया जाता है जो इन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति एवं अनुदान राशि के सदुपयोग की देखभाल करता है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अलग से कोई रिपोर्ट नहीं मंगाती है, इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

खुली नहर की जगह पक्के नाले द्वारा पानी पहुंचाने की योजना

88. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध से जोधपुर पीने का पानी ले जाया जाता है ? उसमें रास्ते भर खुली नहर होने के कारण काफी मात्रा में पानी रास्ते में नष्ट हो जाता है ? यदि हां, तो किस अनुपात से कितना पानी रास्ते में नष्ट हो जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा खुली नहर की जगह पक्के नाले द्वारा पानी पहुंचाने की योजना का सर्वे कराया गया था ताकि पानी रास्ते मे व्यर्थ नष्ट न हो ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। लगभग 70% 80% पानी रास्ते में नष्ट हो जाता है।

(2) पक्के नाले से पानी ले जाने की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। अलबत्ता हेमावास से जोधपुर तक नहर के साथ पाइप लगाने की एक योजना बनाई गई थी। सूची बहुत विस्तृत होने के कारण सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

(3) जी हां। धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम अलोद के लापता व्यक्तियों की खोज

89. श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अलोद, तहसील रामगंज मण्डी के श्री नाथूलाल पुत्र श्री पन्नालाल अहीर दिनांक 18-4-76 से एवं श्री रामकुंवार पुत्र श्री रामचन्द्र अहीर गायब हैं जिनका गुप्तचर विभाग आज तक पता नहीं लगा पाया है ?

(2) क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जो साल भर से दो व्यक्तियों की खोज नहीं कर सके जबकि उनके परिवार वालों को सन्देह है कि उनकी हत्या कर दी गई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री नाथूलाल पुत्र पन्नालाल अहीर दिनांक 16-4-76 से एवं श्री रामकुंवार पुत्र श्री रामचन्द्र अहीर 18-4-76 के आसपास से गुम हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है परन्तु जांच जारी है।

(2) श्री नाथूलाल के गायब होने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 93/76 धारा 365 आइ० पी० सी० थाना चेचट की तफतीश अब पुन: गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है। श्री रामकुंवार के गुम होने की जांच के लिए उप महानिरीक्षक, कोटा ने एक विशेष जांच अधिकारी को नियुक्त किया है, जिनकी जांच रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है। अनुसंधान व जांच अभी चल रहे हैं अतः पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से क्षति

90. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र (कुम्हेर पं. स. एवं सेवर पं. स. के गांवों सहित) में कितने गांव बाढ़ से इस वर्ष जलमग्न हुए और कितनी जनसंख्या व कितना क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ और अब भी कितना क्षेत्रफल जलमग्न है? क्या इस निर्वाचन क्षेत्र को राज्य सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर रही है और राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र को क्या राहत दी जा रही है?

(2) भविष्य में इस क्षेत्र से बाढ़ न आने देने के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है और उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी?

(3) माह जुलाई में बाढ़ का पानी एकदम आ जाने से इस क्षेत्र की खरीफ की सम्पूर्ण फसल और चारा नष्ट हो जाता है और किसान को भारी क्षति उठानी पड़ती है, फिर भी राज्य सरकार इस अनचाहे बाढ़ के पानी का आबियाना वसूल करती है? क्या यह उचित है? यदि उचित है, तो कैसे?

(4) सिंचाई के लिए किसान को जिस पानी की आवश्यकता होती है उसी पर आबियाना वसूल करना उचित होता है, क्या राज्य सरकार इसी सिद्धांत को मानती है?

(5) जुलाई-अगस्त में आई बाढ़ का पानी किसान की हर प्रकार की बर्बादी करता है और खरीफ की फसल को पूर्णत:नष्ट कर देता है? रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर में होती है, उसके लिए जुलाई-अगस्त के पानी से सिंचाई सम्बन्धी कोई लाभ नहीं मिलता फिर भी राज्य सरकार द्वारा इस पर आबियाना वसूल करने का क्या औचित्य है? क्या राज्य सरकार इस वर्ष ऐसा आबियाना वसूल न करने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में 86 गांव बाढ़ से जलमग्न हुए तथा 66,215 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए। 28,682 एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से जलमग्न हुवा और इस समय 1420 हैक्टर भूमि जलमग्न है सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा नहीं की जाती है। खरावे के आधार पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगान में राहत में वसूली स्थगन इत्यादि की कार्यवाही सरकार द्वारा नियमानुसार की जाती है।

(2) राज्य के सभी बाढ़ग्रस्त स्थानों में बाढ़ की रोकथाम के लिए योजना बनाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है।

(3) नि:संदेह बाढ़ के कारण फसल और चारे की क्षति होती है। सिंचाई विभाग द्वारा आबियाने की वसूली खरीफ की फसल के समय नहीं की जाती है।

(4) सामान्यत: सिंचाई के लिए किसान पानी रबी में लेते हैं और रबी की फसल के पश्चात् 15 मई के बाद खतौनी तैयार की जाकर आबियाना वसूल किया जाता है। अत: बाढ़ के पानी का आबियाना वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सिंचाई विभाग खरीफ की फसल पर कोई आबियाना नहीं लेता है।

देवली-भीलवाड़ा वाया जहाजपुर बनेड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण

91. श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) देवली-भीलवाड़ा वाया जहाजपुर बनेड़ा रूट का राष्ट्रीयकरण करने की योजना कब प्रकाशित की गई थी और इसे कितना अर्सा हो गया ?

(2) इस मार्ग पर कितनी बसें किन-किन की चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अब तक उक्त मार्ग का राष्ट्रीयकरण न करने का क्या कारण है ?

(4) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा के बाद राज्य में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की ड्राफ्ट स्कीम राजस्थान राजपत्र दिनांक 3-4-76 में प्रकाशित की गई थी।

(2) इस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों की 21 वाहनें चल रही हैं। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस स्कीम के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पत्रों की सुनवाई लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा ड्राफ्ट स्कीम अनुमोदित कर दिये जाने पर ही मार्ग का राष्ट्रीयकरण संभव हो सकेगा।

(4) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की ड्राफ्टस्कीम प्रकाशित होने के उपरान्त 10 मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनाएं अनुमोदित की गई। जिनमें से 4 योजनाओं के मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष छः योजनाओं के मार्गों पर अभी निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारंभ नहीं किया जा सका है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 113

(113)

देवली-जहाजपुर-बनेड़ा-भीलवाड़ा मार्ग के निजी अनुज्ञा-पत्रधारियों की सूची

क्रम सं०	अनुज्ञा-पत्रधारी का नाम
1.	श्री रामस्वरूप अग्रवाल पुत्र श्री गिलूराम, बनेड़ा
2.	श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अली मोहम्मद ।
3.	श्री रतनलाल लखो पुत्र श्री पन्नालाल, जहाजपुर ।
4.	श्री गुंगहामल पुत्र श्री राधामल सिन्धी, शाहपुरा ।
5.	श्री जे० जी० सिंह ट्रांसपोर्ट, शाहपुरा ।
6.	श्री जे० जी० सिंह ट्रांसपोर्ट, शाहपुरा ।
7.	श्री बालमुकुन्द सत्यनारायण, शाहपुरा ।
8.	श्री श्यामलाल पुत्र रामनिवास भट्ट, भीलवाड़ा ।
9.	श्री जनता सहकारी समिति, भीलवाड़ा ।
10.	श्री नथमल पुत्र श्री भुंगडामल सिंधी, शाहपुरा ।
11.	श्री ज्ञानचन्द मूलचन्द, शाहपुरा ।
12.	श्री मदनलाल पुत्र श्री कल्याणमल बांगड, बनेड़ा ।
13.	श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री ताराचन्द पंजाबी, शाहपुरा ।
14.	श्री रामनारायण पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद, भीलवाड़ा ।
15.	श्री न्यू राजस्थान ट्रांसपोर्ट कं० प्रा० लि० ।
16.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री गणेशीराम लोहिया, जहाजपुर ।
17.	श्री राधेश्याम जीतमल निवासी, बनेड़ा ।
18.	श्री बालमुकुन्द पुत्र नाथूलाल चौधरी, शाहपुरा ।
19.	श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री सरदारमल, भीलवाड़ा ।
20.	कल्याणमल पुत्र श्री मोहराज बांगड, बनेड़ा ।
21.	श्री रामस्वरूप गुप्ता, बनेड़ा ।

उक्त अनुज्ञा-पत्रधारियों के अनुज्ञा-पत्रों की अवधि दिनांक 31-5-78 तक है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची जिनकी योजनाएं प्रकाशित व राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई

क्रमांक	राष्ट्रीयकृत योजना का मार्ग	धारा 68 घ के अन्तर्गत राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि	धारा 68 घ (3) के अन्तर्गत राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्यान्वित करने की तिथि
1.	खेड़ली–हिण्डौन वाया पीलू खेड़ली मोड़ खोकड़वाड़ा, भुसावर, वल्लभगढ़, खेड़ला और भट्ट	3– 4–76	10– 1–77	31– 1–77
2.	अजमेर–मकराना वाया लोहागल, अरड़का करकेड़ी, परबतसर, मंगलाना, अजमेर–नागौर वाया भैंरुदा, मेड़तासीटी	3– 4–76	4– 4–77	—
3.	बालोतरा–बाड़मेर वाया बायतू	[illegible]– 4–76	30– 9–76	1-11–76
4.	उदयपुर–कोटड़ा वाया नाई, ऊंदरी, झाड़ोल, बिभीवाड़ा, पालासाई, सोम, मानपुर	7– 4–76	10– 1–77	—
5.	नीमकाथाना–कोटपूतली वाया पाटन पाममपुर, बरेडा सीकर–नीमकाथाना वाया पीपराली रघुनाथगढ़, उदयपुरवाटी, गुमाना, चला, सिरोही	7– 4–76	17– 2–70	—
6.	इकलेरा–सालपुरा वाया छिपाबरोद, हरनावदा इकलेरा–मनोहरथाना वाया हरनावदा।	7– 4–76	10– 1–77	—
7.	डग–पिड़ाव वाया मगावलिया डग चौमेला वाया नया खेड़ा भवानी मण्डी–पिड़ाव वाया सलिया	7– 4–76	13– 1–77	—
8.	बारां–अटरू वाया बाना, मेगासर बारां–खातोली वाया मांगरोल	7– 4–76	10– 2–77	—
9.	नाथद्वारा–देलवाड़ा वाया चारभुजा रिछांड, मजेरा	7– 4–76	10–12–76	27– 1–7
10	सिरोही–जालोर वाया सियाना	7– 4–76	10–12–76	17– 1–77

...० वी० विद्युत लाइन तथा गांवों में विद्युतीकरण

92. श्री रामरघुनाथ (डेगाना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने और कौन-कौन से गांव हैं जिनमें से 11 के. वी. की विद्युत लाइन निकली हुई है, पर वे गांव विद्युतीकरण हेतु घोषित नहीं हैं अथवा उन गांवों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है? उपरोक्त गांवों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार सर्वप्रथम इन गांवों के विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है, इन गांवों के लिए ट्रान्सफार्मर के अलावा कोई और खर्च नहीं उठाना होता फिर भी इस प्राथमिकता के कार्य में देरी क्यों की जा रही है?

(3) अगर एक ही रेवेन्यू गांव की दो इकाइयां अलग-अलग हैं और उनकी आपसी दूरी एक किलोमीटर से 4 किलोमीटर है और इसे विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है पर दूसरी इकाई छूट गई है, ऐसी स्थिति में छूटी हुई दूसरी इकाई के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या नियम हैं?

(4) गांवों के विद्युतीकरण पूरा करने के बाद भी यदि ऐसी कुछ इकाईयां बची हुई हैं तो क्या राज्य सरकार उन गांवों या उन इकाइयों में विद्युत उपलब्ध कराना उचित समझती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूचना तैयार करने में समय लगेगा।

(2) धन, ट्रांसमिशन व सब ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह कहना सही नहीं है कि जिन गांवों में से होकर 11 के. वी. की लाइन गुजरती हैं उनमें केवल ट्रांसफार्मर रखने के खर्च से ही विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर रखना व उस गांव में कनेक्शन देने के लिये लाइनें बिछाने के लिये भी धन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी साध्यता देखना भी नितान्त आवश्यक है अन्यथा ऐसी लाइनों पर अधिक लोड डालने से पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के उपभोक्ताओं को वोल्टेज सम्बन्धी कठिनाइयां होना निश्चित है।

(3) मण्डल रेवेन्यू सीमा वाले गांव (सेन्सस बुक में दिये गये कोड नम्बर के अनुसार ही) को ही इकाई मानता है और उन्हीं इकाइयों को विद्युतीकरण की स्वीकृति देता है। नजदीक वाले गांवों का यदि कोड नम्बर दूसरा है तो उसकी स्वीकृति अलग से ही देनी होती है। नये ग्रामों का विद्युतीकरण धन की उपलब्धता व तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता पर निर्भर करता है।

(4) जी हां, इस प्रकार के गांवों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करना चाहती है, लेकिन विद्युतीकरण करने से पूर्व इन गांवों का सर्वेक्षण आर्थिक एवं तकनीकी साध्यता की जांच होना अनिवार्य है। तत्पश्चात् धन तथा अन्य साधनों की उपलब्धि भी एक मूल आधार होगा।